



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 684]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 28, 2016/आश्विन 6, 1938

No. 684]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 28, 2016/ASVINA 6, 1938

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 924(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हुए तथा ऐसे अतिक्रमण के पूर्व की गई बातों अथवा हटाए जाने वाली बातों से संबंधित को छोड़कर, भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने के पश्चात्, एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः-

1. लघु शीर्षक एवं प्रारंभ.—(1) इन नियमों को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 कहा जाएगा।

(2) इन्हें 1 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त हुआ माना जाएगा।

2. परिभाषाएं.—उन नियमों में, जब तक अन्यथा संदर्भ अपेक्षित नहीं हो :-

(i) संशोधित वेतन संरचना में “मूल वेतन” का अर्थ होगा वेतन मैट्रिक्स से निर्धारित स्तर में आहरित किया गया वेतन;

(ii) “बेंचमार्क स्कोर” का अर्थ होगा ऐसी समग्र ग्रेडिंग के लिए न्यूनतम गणितीय महत्व के उपाय स्कोर पर पहुंचना जिससे ऊपर किसी अधिकारी को अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति अथवा नामांकन, जैसा भी मामला हो, के लिए योग्य के रूप में माना जाएगा;

- (iii) “संवर्ग” एवं “संवर्ग पदों” का क्रमशः अर्थ वहीं होगा जो उन्हें भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 में प्रदान किया गया था;
- (iv) “विभागीय परीक्षा” का अर्थ होगा ऐसी परीक्षा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सेवा के सदस्यों के लिए समय-समय पर राज्य के संवर्ग में आवंटित अथवा प्रशिक्षण के लिए उस राज्य में तैनात किए गए सदस्यों के लिए निर्धारित की जाएगी;
- (v) “सीधी भर्ती” का अर्थ होगा भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमावली, 1966 के नियम 7 के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति;
- (vi) “मौजूदा मूल वेतन” का अर्थ होगा निर्धारित मौजूदा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा मौजूदा वेतनमान में आहरित वेतन;
- (vii) “मौजूदा परिलिंबियों” का अर्थ होगा (i) मौजूदा मूल वेतन तथा (ii) 1 जनवरी, 2016 तक की स्थिति के अनुसार औसत सूचकांक में मौजूदा महंगाई भत्ता;
- (viii) सेवा के किसी सदस्य के संबंध में “मौजूदा वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन” का अर्थ होगा इन नियमों की अधिसूचना के तत्काल पूर्व तारीख को सरकारी सेवक द्वारा धारित पद चाहे वह पद मूल क्षमता में हो अथवा स्थापन्न क्षमता में, लिए लागू वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में वेतन में वेतन;
- (ix) सेवा के किसी सदस्य के संबंध में “मौजूदा वेतन संरचना” का अर्थ होगा इन नियमों की अधिसूचना इन नियमों की अधिसूचना के तत्काल पूर्व तारीख को सरकारी सेवक द्वारा धारित पद चाहे वह पद मूल क्षमता में हो अथवा स्थापन्न क्षमता में, लिए लागू वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में वेतन में वर्तमान प्रणाली;
- (x) सेवा के किसी सदस्य के संबंध में “मौजूदा वेतनमान” का अर्थ होगा इन नियमों की अधिसूचना के प्रकाशन के तत्काल पूर्व तारीख को सेवा के सदस्य द्वारा उच्च प्रशासनिक ग्रेड, उच्च प्रशासनिक ग्रेड+ शीर्ष वेतनमान में धारित पद के लिए लागू वेतनमान और जो मंत्रिमंडल सचिव चाहे मूल अथवा स्थानापन्न क्षमता में हो, के लिए लागू;
- (xi) “वेतन मैट्रिक्स में स्तर” का अर्थ होगा मौजूदा वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अथवा अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट वेतनमान के अनुरूप स्तर;
- (xii) “लियन” का अर्थ होगा कि नियमित आधार पर चाहे अवधि के तत्काल अथवा समापन पर अथवा अनुपस्थिति की अवधियों पर, कोई पद, जिसमें ऐसा कालिक पद भी शामिल है जिसमें उसे नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है तथा जिस पर वह परिवीक्षा पर नहीं है, धारण करने वाला सेवा का कोई सदस्य का शीर्षक;
- (xiii) “सेवा का सदस्य” का अर्थ होगा भारतीय वन सेवा का कोई सदस्य;
- (xiv) “स्थानापन्न” का अर्थ होगा कोई अधिकारी जो ऐसे पद के कर्तव्यों का निष्पादन कर रहा है जिन पर सेवा के अन्य सदस्य का लियन बना हुआ है और उसमें सरकार द्वारा किसी ऐसे रिक्त पद में स्थानापन्न क्षमता में नियुक्त किया गया कोई अधिकारी शामिल होगा जिसमें सेवा का कोई अन्य सदस्य लियन नहीं रखता हो;
- (xv) “स्तर में वेतन” का अर्थ होगा वेतन मैट्रिक्स में विनिर्दिष्ट अनुसार स्तर के उपयुक्त सेल में आहरित वेतन;

(xvi) “वेतन मैट्रिक्स” का अर्थ होगा तदनुरूपी मौजूदा वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान को प्रदान किए गए अनुसार उर्ध्वगामी सेल में व्यवस्थित वेतन के स्तरों सहित अनुसूची III में विनिर्दिष्ट मैट्रिक्स;

(xvii) ‘वैयक्तिक वेतन’, से सेवा के किसी सदस्य को अनुदत्त अपर वेतन अभिप्रेत है;

(क) वेतन के पुनरीक्षण के कारण या ऐसे अष्टियी वेतन में किसी कटौती के कारण किसी अनुशासनिक कटौती के रूप में कालावधि पद से भिन्न किसी स्थायीपद के संबंध में उसके अधिष्ठायी वेतन में उसे हानि बचाने के लिए; या

(ख) किसी वैयक्तिक प्रतिफल पर आपवादिक परिस्थितियों में;

(xviii) ‘प्रोन्नत अधिकारी’ से भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 8 के उप नियम (1) के अनुसार किसी राज्य सिविल सेवा से भारतीय वन सेवा में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(xix) ‘प्रोन्नति’ से उस श्रेणी, जिसमें वह संगत समय पर कार्यरत है, से अगली उच्चतर श्रेणी की सेवा में किसी सदस्य की नियुक्ति अभिप्रेत है;

(xx) अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट किसी पद के संबंध में ‘संशोधित वेतन संरचना’ का अर्थ होगा मौजूदा वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अथवा पद के वेतनमान के तदनुरूपी उसमें विनिर्दिष्ट वेतन मैट्रिक्स एवं स्तर, जब तक उस पद के लिए भिन्न संशोधित स्तर अलग से अधिसूचित न किया गया हो;

(xxi) “संशोधित परिलक्षियां” का अर्थ होगा संशोधित वेतन संरचना में सेवा के किसी सदस्य के वेतन के स्तर में वेतन अथवा शीर्ष वेतनमान;

(xxii) ‘अनुसूची’ से इन नियमों से संलग्न कोई अनुसूची अभिप्रेत है;

(xxiii) ‘सेवा’ से भारतीय वन सेवा अभिप्रेत है;

(xxiv) ‘राज्य’ से संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई राज्य अभिप्रेत है और उसमें संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित है;

(xxv) ‘राज्य काडर और संयुक्त काडर’ के क्रमशः वही अर्थ हैं, जो भारतीय वन सेवा (काडर) नियम, 1966 में उनके अर्थ हैं;

(xxvi) ‘राज्य वन सेवा’ का वही अर्थ है जो भारतीय वन सेवा (काडर) नियम, 1966 में उसका है; और

(xxvii) किसी संयुक्त काडर के संबंध में ‘संबंधित राज्य सरकार’ से संयुक्त काडर प्राधिकारी अभिप्रेत है;

**टिप्पणी 1 :-** बेंचमार्क स्कोर को काडर के भीतर प्रोन्नति के लिए राज्य सरकार द्वारा पैनल के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा और सरकार द्वारा तल चिन्हों (बेंचमार्क) के पुनरीक्षण के भविष्यक्षी प्रभाव होंगे।

**टिप्पणी 2 :-** श्रेणी में कनिष्ठतम व्यक्तियों निम्नतर श्रेणी में प्रत्यावर्तित किए जाने के दायी होंगे यदि नियमित पदों को धारण करने के लिए हकदार सेवा के सदस्यों की संख्या उस श्रेणी में उपलब्ध पदों की संख्या से अधिक है;

3. वेतन मैट्रिक्स में स्तर एवं इन स्तरों पर नियुक्ति.—(1) वेतन मैट्रिक्स.—(1) सेवा के किसी सदस्य के लिए देय वेतन मैट्रिक्स में स्तर जिसे 1 जनवरी, 2016 से लागू हुआ माना जाएगा। निम्नलिखित अनुसार होंगे:-

(क) कनिष्ठ वेतनमान -

वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10

## (ख) वरिष्ठ वेतनमान -

- (i) वरिष्ठ समयबद्ध वेतनमान - वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11
- (ii) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड - वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12
- (iii) चयन ग्रेड - वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13

## (ग) सुपर टाइम स्केल

- (i) वन संरक्षक - वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
- (ii) मुख्य वन संरक्षक - वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14

## (घ) सुपर टाइम स्केल से अधिक

- (i) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
- (ii) एचएजी + - वेतन मैट्रिक्स में स्तर 16
- (iii) शीर्ष वेतनमान - वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17

**टिप्पणी 1-** समय वेतनमान (टाइम स्केल) और उससे ऊपर के वेतनमान में सेवा के किसी सदस्य की नियुक्ति को भारतीय वन सेवा में कतिपय श्रेणियों में प्रोन्नति की बावत मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। परंतु सेवा का कोई सदस्य भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 6क के उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसकी सेवा के चार वर्ष पूरा होने पर वरिष्ठ समय वेतनमान में नियुक्ति किए जाने के लिए और कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में उसकी सेवा के 9 वर्ष पूरा होने पर चयन श्रेणी में सेवा के 13 वर्ष पूरे होने पर और 14 वर्ष पूरे होने पर वन संरक्षक (सुपर टाइम स्केल) तथा सेवा के 18 वर्ष पूरे होने पर मुख्य वन संरक्षक (सुपर टाइम स्केल)

**टिप्पणी 2-** इन नियम में सेवा के चार वर्षों, नौ वर्षों, तेरह वर्षों और अठारह वर्षों को भारतीय वन सेवा (ज्येष्ठता विनियमन) नियम, 1966 के नियम 3 के अधीन उसको आवंटित वर्ष से संगणित किया जाएगा।

**टिप्पणी 3 -** चिकित्सीय प्रमाणपत्र से भिन्न या संबंधित राज्य सरकार द्वारा सेवा के सदस्य के नियंत्रण के परे के किसी कारण से ली गई, समझी गई या आगे अध्ययन के लिए असाधारण छुट्टी को, जो लोकहित में हैं और जो अखिल भारतीय सेवा (अध्ययन छुट्टी) विनियम, 1960 के अधीन अनुमेय से अन्यथा है, इन श्रेणियों में नियुक्ति के लिए अपेक्षित सेवा की पात्रता अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण 1 -** विद्यमान वेतनमान बनाए रखने का विकल्प, केवल किसी विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान के संबंध में अनुमेय होगा।

**स्पष्टीकरण 2 -** उक्त विकल्प, 1 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात सेवा में नियुक्त किसी व्यक्ति को अनुमेय नहीं होगा और उसे केवल पुनरीक्षित वेतनमान अनुमेय होगा।

**स्पष्टीकरण 3 -** जहां, सेवा का कोई सदस्य, उस वेतन संरचना के विनियमन के प्रयोजन से नियमित आधार पर किसी स्थानापन्न हैसियत में उसके द्वारा धारित पद के संबंध में, विद्यमान पद धारण करने के लिए कोई विकल्प देता है, जहां उसका अधिष्ठायी वेतन, वह अधिष्ठायी वेतन होगा जो उसने तब लिया होता जब वह स्थायी पद पर विद्यमान को धारण करता जिस पर वह धारणाधिकार रखता है या वह तब धारणाधिकार लियन रखता जब उसे निलंबित न किया जाता या स्थानापन्न पद का वेतन, जो उसने तत्समय प्रवृत्त किसी आदेश के अनुसार अधिष्ठायी वेतनमान का स्वरूप अर्जित कर लिया होता, इसमें से जो भी अधिक हो।

(2) (i) भारतीय वन सेवा में चयन ग्रेड तथा चयन ग्रेड से ऊपर वेतन वाले पदों पर नियुक्ति वरिष्ठता का उपयुक्त ध्यान रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले मानदंड के अनुसार, मेरिट (योग्यता) पर चयन द्वारा की जाएगी।

(ii) चयन ग्रेड तथा ऊपर के स्तर पर सेवा के किसी सदस्य की नियुक्ति उन ग्रेडों में रिक्तियों की उपलब्धता के अध्यधीन होगी और इस उद्देश्य के लिए राज्य संवर्गों या संयुक्त संवर्ग प्राधिकारियों, जो भी मामला हो, के लिए प्रत्येक ग्रेड में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या पर केन्द्र की पूर्व-स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा, एवं भारत सरकार की पूर्व-स्वीकृति लिए बिना की गई कोई भी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

(iii) केन्द्र सरकार, ऐसे संदर्भ प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर ऐसी स्वीकृति प्रदान करेगी और यदि केन्द्र सरकार उक्त तीन दिनों की अवधि के भीतर मंजूरी प्रदान नहीं करती है तो रिक्तियों की उपलब्धता पर मंजूरी प्रदान किया हुआ माना जाएगा तथा इस खंड की वजह से उत्पन्न होने वाली स्थिति को इन ग्रेडों में पदोन्नति पर विचार किए जाने के लिए जांच समिति (स्क्रीनिंग कमेटी) की होने वाली बैठक के समक्ष रखा जाएगा।

(iv) सेवा का सदस्य चयन ग्रेड और इससे ऊपर के वेतनमानों के वेतन के आहरण करने का तभी हकदार होगा जब उसकी इन ग्रेडों में नियुक्ति की जाती है।

बशर्ते कि सेवा के सदस्य को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में केवल तभी नियुक्त किया जाएगा जब उसने सुपर टाइम स्केल में नियुक्ति हेतु पात्र होने की तारीख से फेज-III का अनिवार्य मध्य करिअर प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर लिया हो यदि अनिवार्य मध्य करिअर प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा करने के लिए नहीं हो,

बशर्ते कि सेवा के सदस्य को सुपर टाइम स्केल में केवल तभी नियुक्त किया जाएगा जब उसने सुपर टाइम स्केल में नियुक्ति हेतु पात्र होने की तारीख से फेज-IV अनिवार्य मध्य करिअर प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर लिया हो यदि अनिवार्य मध्य करिअर प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करने के लिए नहीं हो।

बशर्ते यह भी कि सेवा के ऐसे सदस्य जिसकी उस वर्ष, जिसमें उसे मध्य करिअर प्रशिक्षण के फेज-III, फेज-IV या फेज-V करने के लिए पंक्तिबद्ध किया गया है, के पश्चात तीन वर्ष से कम की सेवा हो; को अनिवार्य मध्य करिअर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अनिवार्य रूप से नहीं जाएगा।

**टिप्पणी-1 :-** जब किसी विशेष बैच का भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी केन्द्र में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10, 11, 12 या 13, 14 में तैनात किया जाता है तो सेवा के सदस्य जो ऐसे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी से दो वर्ष अथवा अधिक वरिष्ठ हैं तथा अब तक उस विशेष स्तर पर प्रोन्नत नहीं किए गए हैं, उनको संवर्ग में केन्द्र में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के उस विशेष वेतनमान में तैनाती वाला वेतनमान अपने संबंधित राज्य संवर्ग में गैर कार्यात्मक आधार पर प्रदान किया जाएगा। सेवा के उन सदस्यों के मामले में जो केन्द्र में तैनात है, गैर-कार्यात्मक उन्नयन प्रदान करते समय उनका मूल वेतन मौजूदा वेतन में एक वेतन वृद्धि प्रदान करके निर्धारित किया जाएगा जो कि गैर-कार्यात्मक उन्नयन के वेतनमान के न्यूनतम के अध्याधीन होगा तथा उनको जैसा भी मामला हो उच्च वेतनमान नहीं दिया जाएगा। ऐसे अधिकारियों को उस पद पर वेतन मिलना जारी रहेगा जिसके बतौर वह केन्द्रीय स्टॉफिंग योजना के तहत केन्द्र में नियुक्त किए गए हैं तथा जहाँ प्रयोग्य हो यह केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि भत्ता के साथ मिलेगा।

**टिप्पणी-2 :-** शीर्ष वेतनमान (स्तर 17) में प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद को वेतन मैट्रिक्स के स्तर 16 में राज्य संवर्ग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पद धारण करने वाले अधिकारियों में से चयन द्वारा भरा जाएगा।

**4. संशोधित वेतन ढांचे में वेतन का नियतन।**—सेवा का कोई सदस्य जो इन नियमों के अनुसार, 1 जनवरी, 2016 को अथवा बाद की किसी तारीख को संशोधित वेतन ढांचे के अनुसार विकल्प देता है अथवा विकल्प दिया हुआ समझा जाता है तो उसके आरम्भिक वेतन का, उसके उस स्थायी पद जिस पर उसका पुनर्ग्रहणाधिकार (लियन) रहता है और वह पद जिस पर उसका पुनर्ग्रहणाधिकार रहता यदि वह निलंबित न हो गया होता, के वास्तविक वेतन के अनुसार उस तारीख से अलग से पुनः निर्धारित किया जाएगा और उसके द्वारा धारित पद स्थानापन्न वेतन के संबंध में निम्नलिखित तरीके से निर्धारित किया जाएगा।

**अर्थात्:-**

(क) सेवा के सभी सदस्यों के मामलों में-

(i) वेतन मैट्रिक्स में स्वीकार्य स्तर में वेतन वह वेतन होगा जो मौजूदा मूल वेतन को 2.57 से गुणा करने पर, निकटतम रूपये पर समाप्त करने पर प्राप्त संख्या होगी, तथा इस संख्या को वेतन मैट्रिक्स में उस स्तर पर रखा जाएगा तथा यदि यह समान संख्या वेतन मैट्रिक्स के किसी स्वीकार्य स्तर के किसी सेल के समवर्ती होती है तो वह ही वेतन होगा तथा स्वीकार्य स्तर में ऐसा कोई सेल नहीं होता तो वेतन उस वेतन मैट्रिक्स के उस स्वीकार्य स्तर में अगले उच्च सेल में नियत किया जाएगा;

(ii) यदि स्वीकार्य स्तर में न्यूनतम वेतन या प्रथम सेल उपर्युक्त (i) के अनुसार आई राशि से अधिक हो जाता है, तो वेतन को स्वीकार्य स्तर के न्यूनतम वेतन पर या उसके प्रथम सेल पर नियत किया जाएगा।

बशर्ते कि-

(क) जहां वेतन के निर्धारण में, सेवा के सदस्य संशोधन पूर्व वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान, जैसा भी मामला हों, में दो या अधिक स्तरों पर वेतन प्राप्त कर रहे हों, वेतन मैट्रिक्स से लागू स्तर पर उसी सेल में उनका वेतन निर्धारित कर दिया जाता है, तो प्रत्येक दो चरणों वाले बंच के लिए एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि दी जाएगी और संशोधन पूर्व ढांचे में उच्च वेतन आहरित करने वाले सेवा के सदस्य का वेतन लागू स्तर में अगले वर्टिकल सेल में निर्धारित किया जाएगा।

(ख) इस प्रयोजनार्थ, किसी निश्चित वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान जहां उच्च वेतन निम्न वेतन से न्यूनतम 3% अधिक हो, में सेवा के दो सदस्यों द्वारा आहरित वेतन दो चरण बनाएगा। 3% से कम के अंतर का वेतन आहरित करने वाले अधिकारी इस हितलाभ के लिए अधिकारी नहीं होंगे। (उदाहरण अनुसूची-I से पूर्व है)

(ग) उपर्युक्त ढंग से वेतन वर्धन से किसी सरकारी कर्मचारी का वेतन संशोधित वेतन ढांचे की उस अवस्था पर निर्धारित हो जाता है जो अगली उच्च अवस्था अथवा अवस्थाओं वाले संशोधित ढांचे वाले कर्मचारियों को प्राप्त हो रहा है, तब ऐसी स्थिति में बाद वाले कर्मचारी का वेतन उस सीमा तक बढ़ाया जाएगा जब तक की वह पिछले कर्मचारी के वेतन की तुलना में कम हो।

(घ) सेवा का सदस्य, जो भारत के बाहर 1 जनवरी, 2016 को प्रतिनियुक्त अथवा छुट्टी अथवा विदेश सेवा पर था अथवा जो उच्चतर पद पर कार्य करने के अलावा एक या अधिक निम्नतर पदों पर उस तारीख को कार्य किया होता, के मामले में "विद्यमान वेतन" ढांचे में, उस पद जिस पर वह उच्चतरपद पर कार्य करने के अलावा भारत के बाहर प्रतिनियुक्त अथवा छुट्टी अथवा विदेश सेवा अथवा जैसा भी मामला हो, के लिए लागू वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन शामिल हैं।

(ङ) सेवा के उन सदस्यों के मामले में जो कि मौजूदा वेतन ढांचे में वेतन के अलावा विशेष वेतन अथवा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके लिए स्थानापन्न तौर पर किसी विशेष वेतन या भत्तों के बिना ही कोई वेतन मैट्रिक्स के स्वीकार्य स्तर में वेतन दिया जाएगा ऐसे सदस्य का वेतन संशोधित वेतन ढांचे में ऊपर (क) के उपर्युक्त में निहित प्रावधानों के अनुसार ही किया जाएगा।

(घ) सेवा के उन सदस्यों के मामले में जो कि वर्तमान वेतन ढांचे में मिल रहे वेतन के अतिरिक्त किसी अन्य नाम से विशेष वेतन संरचना प्राप्त कर रहे हैं जैसे कि छोटे परिवार के मानकों को प्रोत्साहन देने के लिए व्यक्तिगत वेतन, केंद्रीय (कार्यकाल पर प्रतिनियुक्त) भत्ता, आदि तथा जिनके मामले में इनके स्थान पर सादृश्य भत्ता अथवा वेतन के साथ संशोधित वेतन ढांचा लागू कर लिया गया है, के मामले में संशोधित वेतन उपर्युक्त ढांचा उपर्युक्त धारा (क) के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित होंगे ऐसे मामलों में संस्तुत नई दरों पर, भत्ते, इन बातों से संबंधित वैयक्तिक अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट तारीख से संशोधित वेतन ढांचे में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त मिलेंगे।

**टिप्पणी-1** निलंबित सेवा का सदस्य वेतन के विद्यमान वेतन ढांचे पर आधारित निर्वाह भत्ता लेता रहेगा और संशोधित वेतन ढांचे में उसका वेतन लंबित अनुशासनिक कार्यवाहियों पर अंतिम आदेश के अध्यधीन होगा।

**टिप्पणी-2** सेवा के किसी सदस्य की "मौजूदा परिलब्धियां" संशोधित परिलब्धियों से अधिक हो जाती है तो उस अंतर को वेतन में होने वाली भावी वृद्धियों में व्यक्तिगत वेतन के रूप में समाहित करने की अनुमति होगी।

**टिप्पणी-3** जहां उप नियम (1) के अधीन वेतन निर्धारण में सेवा का कोई सदस्य जो मौजूदा वेतन ढांचे में 1 जनवरी, 2016 से तत्काल पूर्व समान कैडर के किसी कनिष्ठ कर्मचारी की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था और संशोधित वेतन बैंड में उसका वेतन एक ऐसी अवस्था पर निर्धारित हो जाता है जो कि उसके कनिष्ठ से कम हो तब ऐसी स्थिति में उसका वेतन संशोधित वेतन ढांचे में उसी अवस्था में बढ़ा दिया जाएगा जिस अवस्था पर वह कनिष्ठ कर्मचारी हो।

**टिप्पणी-4** जहां सेवा का कोई सदस्य इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से तत्काल पूर्व व्यक्तिगत वेतन प्राप्त कर रहा हो और जो उसकी मौजूदा परिलिंग्वियों से जुड़ कर संशोधित परिलिंग्वियों से अधिक हो गया हो, तो उस अंतर को वेतन में होने वाली वृद्धियों में उस सेवा के किसी सदस्य के व्यक्तिगत वेतन के रूप में समाहित करने की अनुमति होगी।

**टिप्पणी-5** उस सेवा के सदस्य के मामले में जो 1 जनवरी, 2016 के पूर्व "हिन्दी शिक्षण योजना" के अंतर्गत हिन्दी प्राज्ञ और ऐसी अन्य परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए व्यक्तिगत वेतन प्राप्त कर रहा है, उनका यह अव्यक्तिगत वेतन संशोधित वेतन वेतन संरचना में मूल वेतन के निर्धारण के लिए शामिल नहीं किया जाएगा, वे 1 जनवरी, 2016 से या उससे आगे की अवधि के लिए संशोधित वेतन ढांचे में उस व्यक्तिगत वेतन को प्राप्त करते रहेंगे जो कि वे संशोधित वेतन ढांचे का निर्धारण न होने की दशा में प्राप्त करते। ऐसा व्यक्तिगत वेतन, निर्धारण की तिथि से संशोधित वेतन ढांचे में वेतन वृद्धि की उचित दर से उस अवधि तक के लिए दिया जाएगा जिस अवधि तक अधिकारी उसे प्राप्त करना जारी रखता।

**टिप्पणी-6** जहां दिनांक 1 जनवरी, 2016 से पूर्व किसी उच्चतर पद पर पदोन्नत किया गया सेवा का कोई वरिष्ठ सदस्य अपने से कनिष्ठ सदस्य से पुनरीक्षित वेतनमान में कम वेतन प्राप्त करता है, जो 1 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् उच्चतर पद पर पदोन्नत किया गया है वहां सेवा के वरिष्ठ सदस्य का संशोधित वेतन संरचना में वेतन उच्च पद पर उसके कनिष्ठ के लिए निर्धारित वेतन के बराबर होगा और वेतन के बढ़ाए (स्टेप-अप) जाने को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन सेवा के कनिष्ठ सदस्य की पदोन्नति की तारीख से प्रभावी किया जाएगा अर्थात्:-

- (क) सेवा के कनिष्ठ और वरिष्ठ दोनों सदस्य उसी काडर और पद के होने चाहिए और वे पद जिन पर उन्हें पदोन्नत किया गया है उसी काडर के पद के सदृश होने चाहिए;
- (ख) निम्नतर या उच्चतर पदों का संशोधन पूर्व वेतन ढांचा एवं संशोधित वेतन ढांचा जिसमें वे वेतन पाने के हकदार हैं, एक समान होंगे;
- (ग) पदोन्नति के समय सेवा का वरिष्ठ सदस्य कनिष्ठ के बराबर या अधिक वेतन पा रहा हो और;
- (घ) विसंगति, इस टिप्पण के उपबंधों के लागू करने के परिणामस्वरूप प्रत्यक्षतः तौर पर हुई हो;
- (ड.) यहां तक की यदि निम्नतर पद के कनिष्ठ अधिकारी उसको अनुदत्त किन्हीं अग्रिम वेतनवृद्धियों के कारण वरिष्ठ व्यक्ति से मौजूदा वेतन ढांचे में अधिन वेतन प्राप्त कर रहा था, तो इस टिप्पणी के प्रावधानों को सेवा के वरिष्ठ सदस्य के वेतन को बढ़ाने के लिए विखंडित किए जाने की आवश्यकता है।

**टिप्पणी-7** उपरोक्त उपबंधों के अनुसरण में सेवा के वरिष्ठ सदस्य के वेतन में पुनः नियतन से संबंधित आदेश सुसंगत नियमों के अधीन जारी किया जाएगा और सेवा का वरिष्ठ सदस्य वेतन के पुनः नियतन की तारीख से उसके द्वारा अपेक्षित अर्हक सेवा पूरी करने पर अगली वेतनवृद्धि का हकदार होगा।

(ड.) दिनांक 1 जनवरी, 2016 के बाद संशोधित वेतन ढांचा के वेतन का निर्धारण- जहां सेवा का कोई सदस्य मौजूदा वेतन ढांचे में वेतन आहरित करना जारी रखता है और 1 जनवरी, 2016 के बाद किसी तारीख से संशोधित वेतन ढांचे का विकल्प देता है तो संशोधित वेतन ढांचे में उसका वेतन, बाद वाली तारीख से इन्हीं नियमों के तहत निर्धारित किया जाएगा और इस प्रयोजन से मौजूदा वेतनमान में उसका वेतन खंड (क), (ग) अथवा (घ) जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार यथापरिकलित मौजूदा परिलिंग्वियों के मामले में बराबर होगा, परंतु इस शर्त के अध्यधीन कि बाद वाली तारीख में मूल वेतन और जहां सेवा का सदस्य सेवा विशेष भत्ता प्राप्त कर रहा है, उसका वेतन इस प्रकार परिकलित परिलिंग्वियों के उपयुक्त संशोधित दरों पर विशेष भत्ते के समान धनराशि की उन परिलिंग्वियों में से घटाकर नियत किया जाएगा।

**5. आरंभिक वेतन का निर्धारण।—(1)** सीधी भर्ती से आए अधिकारी का प्रारंभिक वेतन, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 के न्यूनतम या प्रथम सेल पर निर्धारित किया जाएगा:

बशर्ते कि यदि सीधी भर्ती का कोई अधिकारी भारतीय वन सेवा में उसकी नियुक्ति से पूर्व उस पर लागू नियमों के तहत लियन रखता है, अथवा लियन रखता यदि उसका लियन स्थायी आधार पर निलंबित न कर दिया गया होता, तो उसका आरंभिक वेतन निम्नलिखित तारीके से विनियमित किया जाएगा अर्थात्:

(क) वह, परिवीक्षा की अवधि के दौरान स्थायी पद का वेतन आहरित करेगा, यदि यह कनिष्ठ वेतनमान और भारतीय बन सेवा में स्थायीकरण होने पर उसके वेतनमान के न्यूनतम से अधिक है;

(ख) यदि वह भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति से पूर्व किसी समूह 'क' के पद को धारण किए हुए था, तो उसका वेतन, उस स्तर पर निर्धारित किया जाएगा जैसा कि वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 में समूह 'क' के लिए किया जाएगा; और

(ग) यदि वह समूह 'क' के किसी निम्नतर पद को धारण किए हुए था तो वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 में उसका वेतन ऐसे निम्नतर पद के लिए लागू वेतन मैट्रिक्स में स्वीकार्य स्तर के उर्ध्वगामी सेल में यथाविनिर्दिष्ट एक वेतन वृद्धि द्वारा निम्नतर पद के संबंध उसके वेतन में वृद्धि करते हुए आए वेतन परे निर्धारित किया जाएगा और यदि एक वेतनवृद्धि जोड़ने के पश्चात् वेतन मैट्रिक्स में उसका वेतन, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 के न्यूनतम वेतन या प्रथम सेल से कम है तो उसका वेतन, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 के न्यूनतम स्तर पर नियत किया जाएगा;

(घ) तथापि, कनिष्ठ वेतनमान में वह कोई वेतनवृद्धि प्राप्त नहीं करेगा, जब तक कि अपनी सेवा अवधि के हिसाब से वह किसी उच्चतर वेतन के लिए पात्र नहीं बन जाता।

बशर्ते यह भी कि वह नियम 10 के अंतर्गत देय वेतन आहरित करेगा यदि वह पूर्ववर्ती परंतुक में संदर्भित वेतन से अधिक है।

(2) संशोधित वेतन ढांचे में कनिष्ठ वेतनमान से वरिष्ठ समयमान के पद में सेवा के किसी सदस्य की पदोन्नति के मामले में उसका वेतन निम्नलिखित रीति से निर्धारित किया जाएगा:-

वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 में जिससे सेवा के सदस्य की पदोन्नति हुई है, एक पदोन्नति दी जाएगी तथा प्राप्त हुई संख्या के समान संख्या में उसे पदोन्नत किए गए पद के वरिष्ठ समयमान के समर्वत्ति वेतन मैट्रिक्स के स्तर-II में रखा जाएगा और यदि पदोन्नत हुए स्तर में ऐसा कोई सेल नहीं है तो उस स्तर में अगले उच्च सेल में रखा जाएगा।

(3) राज्य वन सेवा के अधिकारी का आरंभिक वेतन, सेवा में उसकी नियुक्ति पर या भारतीय वन सेवा (काडर) नियम, 1966 के नियम 9 के अनुसार किसी स्थानापन्न हैसियत में किसी संवर्ग पद पर नियुक्ति पर जैसा भी मामला हो, इस, नियम के साथ संबद्ध अनुसूची-1 के अधिकथित सिद्धांतों के अनुसार नियत किया जाएगा तथा वेतन और वेतनवृद्धि लाभ अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन उससे प्रोद्भूत होंगे।

(4) वरिष्ठ वेतनमान पर किसी सेवा के सदस्य का आरंभिक वेतन उसके कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में नियुक्ति पर उसी प्रकार उसी रीति में स्तर कर में निर्धारित किया जाएगा जैसा कि कनिष्ठ समयबद्ध वेतनमान से वरिष्ठतम समयबद्ध वेतनमान में पदोन्नति के समय उस वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में एक वेतनवद्धि को जोड़ते हुए निर्धारित किया जाता है, उसे उस पद, जिसमें उसे पदोन्नत किया गया है, के स्तर में इस प्रकार प्राप्त अंकड़े के बराबर किसी सेल में रखा जाएगा तथा यदि उस स्तर, जिसमें पदोन्नत किया गया है, में ऐसा कोई सेल उपलब्ध नहीं हो तो उसे उस स्तर में अगले उच्च सेल में रखा जाएगा।

(5) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में सेवा के किसी सदस्य की चयन ग्रेड पर नियुक्ति होने पर उसका वेतन उस वेतन मैट्रिक्स, जिससे सेवा के सदस्य को पदोन्नत किया जात है, के स्तर 12 में एक वेतनवृद्धि को जोड़ते हुए स्तर 13 में निर्धारित किया जाए, उसे उस पद, जिसमें उसे पदोन्नत किया गया है, के स्तर में इस प्रकार प्राप्त आंकड़े के बराबर किसी सेल में रखा जाएगा तथा यदि उस स्तर, जिसमें पदोन्नत किया गया है, में ऐसा कोई सेल उपलब्ध नहीं हो तो उसे उस स्तर में अगले उच्च सेल में रखा जाएगा।

(6) चयन ग्रेड में सेवा के किसी सदस्य का वेतन, वन संरक्षक ग्रेड में पदोन्नत होने पर, उस वेतन मैट्रिक्स, जिससे सेवा के सदस्य को पदोन्नत किया जाता है, के स्तर 13 क में एक वेतनवृद्धि को जोड़ते हुए स्तर 13 में निर्धारित किया जाए, उसे उस पद, जिसमें उसे पदोन्नत किया गया है, के स्तर में इस प्रकार प्राप्त आंकड़े के बराबर किसी सेल में रखा जाएगा तथा यदि उस स्तर, जिसमें पदोन्नत किया गया है, में ऐसा कोई सेल उपलब्ध नहीं हो तो उसे उस स्तर में अगले उच्च सेल में रखा जाएगा।

(7) वन संरक्षक ग्रेड में सेवा के किसी सदस्य का वेतन, मुख्य वन संरक्षक ग्रेड में पदोन्नत होने पर, उस वेतन मैट्रिक्स, जिससे सेवा के सदस्य को पदोन्नत किया जाता है, के स्तर 13ए में एक वेतनवृद्धि प्रदान करते हुए वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 में निर्धारित किया जाएगा तथा इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों को उस पद, जिसमें उसे पदोन्नत किया गया है, के स्तर में रखा जाएगा तथा यदि ऐसे समान आंकड़े लागू वेतन मैट्रिक्स में किसी सेल के तदनुरूप हों तो वेतन वही रहेगा, तथा यदि लागू स्तर में ऐसा कोई सेल उपलब्ध नहीं होगा तो वेतन का निर्धारण वेतन मैट्रिक्स के लागू स्तर 7 में तत्काल उच्च सेल में किया जाएगा।

(8) मुख्य वन संरक्षक ग्रेड में सेवा के सदस्य का वेतन उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी) में पदोन्नति पर उस स्तर, जिससे सेवा सदस्य पदोन्नत किया गया है में एक वेतन वृद्धि प्रदान करके वेतन मैट्रिक्स के स्तर 15 पर निर्धारित किया जाएगा। इस तरह से प्राप्त आंकड़े उस पद के स्तर में स्थापित किए जाएंगे जिस पर उसकी पदोन्नति की गई है और यदि वेतन मैट्रिक्स के लागू स्तर के किसी सेल में कोई समकक्ष आंकड़ा मिलता-जुलता है तो वही वेतन होगा और यदि लागू स्तर में ऐसा कोई सेल उपलब्ध न हो तो उसका वेतन, वेतन मैट्रिक्स के लागू स्तर में अगले उच्चतर स्तर पर निर्धारित किया जाएगा और उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड में वेतन स्तर 15 के अधिकतम से अधिक नहीं होगा।

(9) उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड में सेवा सदस्य का वेतन उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड + में पदोन्नति पर उस स्तर, जिससे सेवा सदस्य पदोन्नत किया गया है में एक वेतन वृद्धि प्रदान करके वेतन मैट्रिक्स के स्तर 16 पर निर्धारित किया जाएगा। इस तरह से प्राप्त आंकड़े उस पद के स्तर में स्थापित किए जाएंगे जिस पर उसकी पदोन्नति की गई है और यदि वेतन मैट्रिक्स के लागू स्तर के किसी सेल में कोई समकक्ष आंकड़ा मिलता-जुलता है तो वही वेतन होगा और यदि लागू स्तर में ऐसा कोई सेल उपलब्ध न हो तो उसका वेतन, वेतन मैट्रिक्स के लागू स्तर में अगले उच्चतर स्तर पर निर्धारित किया जाएगा और उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड + में वेतन स्तर 16 के अधिकतम से अधिक नहीं होगा।

(10) सेवा में एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति होने पर, सेवा के किसी सदस्य के पास या तो अपनी पदोन्नति की तारीख से अथवा उस तारीख, जिस पर वह बाद में उपर्युक्त संगत उप-नियम में प्रावधान की गई रीति से निम्न स्केल में एक वेतनवृद्धि अर्जित करेगा, से उच्च पद के स्तर में अपना वेतन निर्धारित करवाने का विकल्प रहेगा; बाद की स्थिति में, पदोन्नति की तारीख पर, वेतन मैट्रिक्स के स्तर में वेतन को 1 जनवरी अथवा 1 जुलाई; निम्न स्केल में अगली वेतनवृद्धि के प्रोद्भूत तारीख से लागू संगत उप-नियमों में प्रावधान की गई रीति में आगे के पुनःनिर्धारण किए जाने सहित निम्न पद में उसी के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

6. **विकल्प का चयन।—**(1) इन नियमों के परिशिष्ट में जुड़े प्रथम (विकल्प का प्रपत्र) में लिखित रूप में यह विकल्प दिया जाएगा ताकि इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से तीन माह के भीतर के उप नियम (2) में उल्लिखित प्राधिकारी के पास पहुंच सके या इस आदेश के तीन माह के भीतर इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के बाद मौजूदा वेतन संरचना में कोई संशोधन होता है:

बशर्ते कि:-

- सेवा का सदस्य जो ऐसी अधिसूचना की तारीख पर, जैसा भी मामला हो, ऐसे आदेश की तारीख पर, छुट्टी या प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा या सक्रिय सेवा के कारण भारत से बाहर होता है तो उक्त विकल्प लिखित में दिया जाएगा ताकि उसके भारत में पद ग्रहण करने के तीन माह के भीतर उक्त प्राधिकारी के पास यह पहुंच सके; और
- जहां सेवा का सदस्य 1 जनवरी, 2016 को निलम्बनाधीन है तो उसके कार्यभार ग्रहण करने के तीन माह के भीतर विकल्प दिया जा सकता है यदि इस उप नियम में निर्धारित तिथि के बाद की तारीख होती है।

बशर्ते यह भी कि सेवा का कोई भी सदस्य तब तक मौजूदा वेतन संरचना में वेतन आहरित करने का विकल्प दे सकता है जब तक वह अपना अगली या कोई बाद की वेतन वृद्धि अर्जित नहीं करता है या जब तक वह अपना पद खाली छोड़ता है या उस वेतन संरचना में वेतन आहरित नहीं करता है:

बशर्ते यह भी कि ऐसे मामले में जहां सेवा का सदस्य 1 जनवरी, 2016 के और इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के बीच पदोन्नति के उन्नयन के कारण उच्चतर वेतनमान में रखा गया है सेवा का सदस्य ऐसी पदोन्नति या उन्नयन की तारीख से संशोधित वेतन संरचना, जैसी की मामला हो का विकल्प दे सकता है।

(2) यह विकल्प सेवा सदस्य द्वारा इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र में शपथ सहित नियंत्रक प्राधिकारी को सूचित किया जाएगा।

(3) यदि प्राधिकारी को उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विकल्प के बारे में सूचना प्राप्त नहीं होती है तो सेवा सदस्य द्वारा 1 जनवरी, 2016 से संशोधित वेतन संरचना द्वारा शासित करने के लिए चयनित किया हुआ माना जाएगा।

(4) एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।

**टिप्पण 1:** सेवा का सदस्य जिसकी सेवाएं 1 जनवरी, 2016 को या इसके बाद बर्खास्त की गई थीं और जो स्वीकृत पदों की समाप्ति, त्यागपत्र, अनुशासनिक कारणों से बर्खास्त करने के कारण विकल्प नहीं दे सका, वह उप नियम (1) के अधीन विकल्प देने का हकदार होगा।

**टिप्पण 2:** सेवा का सदस्य जिसकी 1 जनवरी, 2016 को या इसके बाद मृत्यु हो गई और जो निर्धारित समय के भीतर अपना विकल्प नहीं दे सका, उसके द्वारा 1 जनवरी, 2016 या बाद की ऐसी तारीख जो उसके आश्रितों के लिए लाभदेय हो, यदि संशोधित वेतन संरचना अधिक समर्थनकारी हो, संशोधित वेतन संरचना का विकल्प दिया माना जाएगा और ऐसे मामलों में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा बकाया भुगतान की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

**टिप्पण 3:** सेवा का सदस्य जो 1 जनवरी, 2016 को अर्जित या अन्य कोई छुट्टी अर्जित करता है जो उन्हें छुट्टी वेतन का हकदार बनाती है, वह उप नियम (i) के अधीन विकल्प देने का हकदार होगा।

## 7. केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारियों का वेतन संरक्षण :-

यदि केन्द्रीय सरकार में केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के तहत प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों का वेतन, इन नियमों के अधीन संशोधित वेतन संरचना में निर्धारण करने पर या उस पद जिस पर वे प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं, के वेतन निर्धारण के अनुदेशों के अनुसार निर्धारण पर उनके मूल संवर्ग के पद जिस पर वे केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर न होते हुए आहरित करने से कम होता है तो इस संबंध में सरकार के संकल्प की अधिसूचना की तारीख अर्थात् 25 जुलाई, 2016 से उनके वैयक्तिक वेतन संरक्षित के रूप में ऐसे अंतराल का भुगतान किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, यदि सेवा के सदस्य को केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए संवर्ग में पदोन्नत किया जाता है, तो वेतन का अन्तर, जो वह अधिकारी आहरित कर रहा होता यदि वह अपने मूल संवर्ग में होता और केंद्र में उसकी प्रतिनियुक्ति वेतन की राशि को सरकारी संकल्प जारी होने की तारीख से लागू वैयक्तिक वेतन के रूप में संरक्षित की जाएगी।

## 8. वेतनवृद्धियों का विनिमयन .—(1) (क) वेतन मैट्रिक्स में वेतनवृद्धि वेतन मैट्रिक्स में लागू स्तर के वर्टिकल सेलों में यथाविनिर्दिष्ट होगा।

(ख) वेतनवृद्धि प्रदान के लिए 1 जुलाई की मौजूदा तारीख के बजाय, दो तारीखें नामतः प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी अथवा 1 जुलाई होंगी:

बशर्ते कि सेवा का कोई सदस्य अपनी नियुक्ति, पदोन्नति अथवा वित्तीय उन्नयन प्रदान करने की तारीख के आधार पर या तो 1 जनवरी, 2016 को अथवा 1 जुलाई, 2016 को केवल एक वार्षिक वेतनवृद्धि के लिए हकदार होगा।

बशर्ते यह भी कि सेवा के ऐसे सदस्यों के मामले में जो 01.01.2016 तक की स्थिति के अनुसार दो से अधिक वर्षों के लिए, लागू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान जैसा भी मामला हो, का अधिकतम आहरित कर रहे थे, वेतन मैट्रिक्स में लागू स्तर पर एक वेतन वृद्धि उक्त वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के अधिकतम में गति अवरोध के प्रत्येक दो पूरे किए एक वर्षों के लिए 01.01.2016 को प्रदान की जाएगी। अतिरिक्त वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियों) इस शर्त के अधीन प्रदान की जाएंगी कि ऐसी वेतनवृद्धि प्रदान करने के बाद प्राप्त वेतन मैट्रिक्स में लागू स्तर के अधिकतम से अधिक नहीं हो (उदाहरण अनुसूची I के पूर्व)

(ग) सेवा का ऐसा सदस्य जिसे 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतन वृद्धि 01 जनवरी को दी जाएगी और ऐसे कर्मचारी जिसे 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रान्नति के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतन वृद्धि 01 जुलाई को दी जाएगी।

(2) चिकित्सा प्रमाण पत्र से भिन्न ली गई असाधारण द्वारा छुट्टी पर जाते समय उसकी छुट्टियों के सिवाय सेवा सदस्य द्वारा धारित पद के लिए वेतन मैट्रिक्स के लागू स्तर में वेतन वृद्धि के लिए है गिनी जाएगी:-

बशर्ते कि संबंधित राज्य सरकार संतुष्ट हो कि असाधारण छुट्टी सेवा सदस्य के नियन्त्रण से बाहर किसी कारण से या जनहित में उच्चतर वैज्ञानिक या तकनीकी अध्ययन के लिए ली गई, जिसके लिए अखिल भारतीय सेवा (अध्ययन छुट्टी)

विनियम, 1960 के अधीन अध्ययन छुट्टी स्वीकार्य हो, ऐसी असधारण छुट्टी इस उप नियम के अधीन वेतनवृद्धि के लिए गिनी जाएगी।

(3) भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति की अवधि को भी इस प्रकार गणना में लिया जाएगा और वेतन वृद्धि के लिए उक्त अवधि की गणना इस शर्त के अधीन रहते हुए की जाएगी की सेवा का सदस्य उस पद को धारण करना जारी रखता, यदि वह ऐसी छुट्टी या प्रतिनियुक्ति पर भारत के बाहर जाने के लिए न जाता;

बशर्ते कि जहां इस नियम के अंतर्गत छुट्टी वेतन वृद्धि के लिए गणना में नहीं ली जाती है वहां इसे अंतर्वलित अवधि की सीमा तक अगली वेतन वृद्धि तक आस्थगित करने के लिए प्रभावी किया जाएगा।

(4) नियम 3 के उपनियम 1 में यथा विनिर्दिष्ट किसी सेवा के सदस्य को अनुज्ञेय वेतनवृद्धियां उसकी सेवा की अवधि जिसमें वेतनमान में सेवा की खंडित तथा पूर्ण सेवा यदि कोई होके स्तर पर वेतन स्तर या वेतन बैंड में वेतन और पूर्व सेवा यदि कोई हो के अनुसार नियमित होंगी तथा इसको भी वेतनवृद्धि के लिए गणना की जाएगी। यदि यह-

(i) किसी काडर पद की सेवा हो; अथवा

(ii) उक्त स्तर या उससे उच्चतर वेतनमान में स्थायी या अस्थायी सेवा हो (जिसमें पूर्णतः या सारवान रूप से सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन नियमित किया अनियमित किसी निकाय में कोई पद सम्मिलित है।)

बशर्ते कि केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सेवा सहित काडर के बाहर के पद पर सेवा की गणना काडर में वापस जाने पर वेतनवृद्धि के लिए निम्न शर्तों के अधीन की जाएगी, अर्थात्-

(क) उक्त वेतनमान में पदों पर नियुक्ति के लिए जिस राज्य सरकार के काडर से सेवा का सदस्य संबंधित है उस राज्य सरकार द्वारा उसका अनुमोदन कर दिया गया हो;

(ख) काडर में उसके सभी वरिष्ठ, उनके सिवाय जिन्हें ऐसी नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त पाया गया हो, उक्त वेतनमान के वेतन पाने वाले हैं ऐसे पदों पर सेवारत थे जिनमें लाभ की अनुमति है या उच्च पदों पर कार्य कर रहे थे और कम से कम एक कनिष्ठ व्यक्ति काडर पद धारण किए हुए था या राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व के अंतर्गत अनुज्ञेय काडर बाह्य पद या केंद्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञेय समय से अधिक के लिए प्रयोग किए गए राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व राज्य काडर जिसमें वह हो, की राज्य सरकार के अधीन वेतनमान के वेतन वाले पद पर था।

(ग) सेवा की गणना उस तारीख से की जाएगी जिस तारीख से उसके कनिष्ठ की प्रोन्नति हुई और लाभ उस अवधि तक सीमित होगा जिस के दौरान वह राज्य सरकार जिस काडर से वह संबंधित है, के अंतर्गत किसी पद पर रहा होता।

(5) सेवा का कोई सदस्य जो केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसा काडर बाह्य पद, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के अधीन पद भी उस काडर में जिससे वह संबंधित है राज्य सरकार द्वारा नियम 3 में विनिर्दिष्ट समय वेतनमान से ऊपर थे, वेतनमान में किसी पद पर प्रोफार्मा पदोन्नति दी जा सकेगी।

(6) यदि सेवा के किसी सदस्य को सुपर टाइम स्केल अनुमति मिल गई हो और उपरोक्त सुपर टाइम स्केल संवर्ग में वापस आने पर उक्त वेतनमान में किसी पद पर नियुक्ति होने पर प्रोफार्मा पदोन्नति की सेवा अवधि वेतन और पदोन्नति के आरंभिक नियतन के लिए गणना निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाएगी।

(i) संबंधित सेवा के सदस्य को संगत अवधि के दौरान उक्त स्तर के लिए नियुक्ति का अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा कर दिया गया हो

(ii) उसके सभी (अनुपयुक्त पाए गए व्यक्तियों को छोड़कर) अधिकारियों ने उस स्तर में उस तारीख को या उससे पूर्व से जब उसे प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की गई हो वेतन लेना आरंभ कर दिया हो।

(iii) उस अधिकारी के ठीक नीचे के कनिष्ठ अधिकारी ने भी (या, यदि वह अक्षमता, अनुपयुक्तता होने या अवकाश पर रहने या सामान्य पंक्ति के बाहर किसी पद पर सेवारत होने के कारण या उस श्रेणी में अपनी इच्छा से प्रोन्नति न लेने के कारण पीछे रह गया हो, उससे ठीक नीचे का कनिष्ठ अधिकारी इस प्रकार पीछे न रह गया हो) उस तारीख से वही स्तर आहरित करना आरंभ कर दिया हो तथा उस पद पर उसकी नियुक्ति आपात स्थिति में न की गई हो।

(iv) ऐसा लाभ 'एक के लिए एक' आधार दिया जाना चाहिए।

(7) जब सेवा का कोई सदस्य काडर-बाह्य पद ऐसे काल वेतनमान में धारण करता हो जो उसके द्वारा पूर्व अवसर पर में धारित किसी काडर बाह्य पद काल वेतनमान के समान हो, तो पश्चात् धारित काडर बाह्य पद पर उसका आरंभिक वेतन उस वेतन से कम नहीं होगा जितना वह आहरित करता था तथा वह, उस अवधि, जिसके दौरान उसने वह अंतिम वेतन तथा उस वेतन के समान वेतनमान स्तर में किसी अन्य अवसर पर वेतन आहरित करता था, की गणना करेगा और इस प्रकार की गई सेवा, उसके उस काडर में वापस आने पर की गणना तथा उसका आरंभिक वेतन उप नियम (4) में दी गई सीमा तथा शर्तों के अधीन रहते हुए नियत किया जाएगा।

(8) जहां सेवा का कोई सदस्य अखिल भारतीय सेवा (अध्ययन छुट्टी) विनियम, 1960 के अधीन अध्ययन छुट्टी से भिन्न उस तारीख को, अवकाश पर है जिस पर उसकी वेतनवृद्धि देय हो, तो उसे उसका लाभ, उस तारीख से, जिससे वह अपना कार्यभार संभालता है, मिलेगा यदि इस नियम के अधीन अन्यथा अनुज्ञेय है परंतु इससे भविष्य में उसकी सामान्य वेतनवृद्धि की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी।

(9) सेवा का एक सदस्य 28 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् वेतनवृद्धि आहरित करने का तब पात्र होगा जब उसने यथाविहित मध्य सेवा अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का चरण-V पूरा कर लिया हो।

9. **वेतनवृद्धि रोकना।**—राज्य सरकार, भारतीय वन सेवा में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त या भारतीय वन सेवा में नियुक्त गैर-राज्य वन सेवा के अधिकारी, जो विभागीय परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निर्धारित समय के भीतर आयोजित परीक्षाओं में असफल हो जाता है, की कोई वेतनवृद्धि उस समय के लिए रोक सकेगी जितने समय के लिए वह निदेश दे, लेकिन ऐसी वेतनवृद्धि को रोके जाने का कोई संचयी प्रभाव नहीं होगा।

10. **अग्रिम वेतनवृद्धियों का दिया जाना।**—भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 13 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार सीधी भर्ती किए गए अधिकारी को सेवा की अवधि जिसके पश्चात् वह वेतन मैट्रिक्स के स्तर में अपनी हैसियत के अनुरूप दरों पर वेतन आहरित करने का हकदार होगा, उसकी सेवा अवधि पर ध्यान दिए बिना उसे देय दूसरी और तीसरी वेतनवृद्धि मंजूर करेगी ज्यों ही वह विभागीय परीक्षा या परीक्षाएं उत्तीर्ण करता है,

परंतु इस नियम के अधीन तीसरी वेतनवृद्धि यथास्थिति विहित विभागीय परीक्षा या परीक्षाओं में पूर्ण रूप से या परीक्षाओं में से अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, जैसा भी मामला हो, परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर लेने तथा पुष्टि हो जाने पर की तारीख से भूतलक्षी रूप से मंजूर की जाएगी;

परंतु यह और सीधे भर्ती किया गया ऐसा व्यक्ति जिसे यथास्थिति विभागीय परीक्षा या परीक्षाओं में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से भाग लेने से इस कारण से छूट प्राप्त है कि उस सदस्य ने सेवा में आने के पहले ही ऐसी परीक्षा या परीक्षाएं या इसका भाग उत्तीर्ण कर लिया है के बारे यह समझ लिया जाएगा कि इस नियम के लिए उसने यथास्थिति विभागीय परीक्षा या परीक्षाएं या उसका भाग, ऐसी सबसे पहले की परीक्षा, परीक्षाओं या इसके भाग में जिस तारीख से वह उनमें बैठा था उसने उन्हें सेवा का सदस्य बनने के पश्चात् उत्तीर्ण कर लिया है।

11. **अनुसूची-II में सम्मिलित पदों को धारण करने वाले अधिकारियों का वेतन।**—अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट पद पर नियुक्त सेवा का सदस्य, जब तक वह उस पद को धारण करता है, उक्त अनुसूची में पद के लिए उपदर्शित वेतनमान तथा विशेष भत्ते या केन्द्रीय (पदावधि पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता, जहां अनुज्ञेय हो, आहरित करने का हकदार होगा।

परंतु ऐसा वेतन किसी भी समय इन नियमों के नियम 5 और नियम 8 के अधीन अनुज्ञेय वेतन से कम नहीं होगा।

12. **अनुसूची-II में सम्मिलित न किए गए पदों को धारण करने वाले अधिकारियों का वेतन।**—(1) सेवा का कोई भी सदस्य अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट किसी भी पद से भिन्न अन्य पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित राज्य सरकार यथास्थिति अपने नियंत्रणाधीन पदों के बारे में या केन्द्रीय सरकार अपने नियंत्रणाधीन पदों के बारे में, यह घोषणा नहीं कर देती कि उपर्युक्त पद उपर्युक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट पद के स्तर और उत्तरदायित्व के समतुल्य है।

(2) अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट पद के अलावा किसी अन्य पद पर नियुक्त सेवा के सदस्यों का वेतन उतना होगा जितने के लिए वह हकदार होता यदि वह उस पर नियुक्त किया गया होगा जिसे समतुल्य पद घोषित किया गया हो।

(3) इस नियम के प्रयोजन के लिए अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट पद से भिन्न अन्य पद में उस निकाय के पद सम्मिलित हैं निगमित हो अथवा नहीं जो पूर्ण रूप से अथवा सारवान रूप से सरकार से स्वामित्व या नियंत्रणाधीन हो, का पद शामिल हैं।

(4) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी संबंधित राज्य सरकार अपने नियंत्रणाधीन किन्हीं पदों या केन्द्रीय सरकार अपने नियंत्रणाधीन किन्हीं पदों के संबंध में लेखबद्ध किए जाने वाले पर्यास कारणों से, जहां समीकरण संभव नहीं है, यह घोषणा किए बिना किसी ऐसे पद पर सेवा के किसी सदस्य को नियुक्त कर सकती है कि उपर्युक्त पद अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट पद के स्तर और उत्तरदायित्व के समतुल्य है।

(5) उप नियम (4) में विनिर्दिष्ट पद पर नियुक्त सेवा का कोई सदस्य, जिसके बारे में वेतन मैट्रिक्स में कोई वेतन विहित नहीं किया गया है, ऐसी दर पर वेतन का आहरण करेगा जो पद से संबद्ध कर्तव्यों की प्रकृति और उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के अधीन आने वाले पद की दशा में राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के परामर्श से और केन्द्र सरकार के अंतर्गत आने वाले पद की दशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाएगा।

(6) इस उप नियम (4) में निर्दिष्ट पद पर नियुक्त होने पर सेवा का कोई सदस्य, जिसके संबंध में कोई वेतन या वेतन मैट्रिक्स में स्तर विहित है, विहित वेतन तथा विहित वेतन मैट्रिक्स में स्तर आहरित करेगा, वेतन की ऐसी दर यथास्थिति राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त नियत, वेतन मैट्रिक्स में स्तर में अधिकतम से अधिक नहीं होगी।

इस उप नियम और उप नियम (5) के अधीन किसी अधिकारी को दिया जाने वाला वेतन किसी भी समय उस वेतन से कम नहीं होगा जो वह उस समय आहरित करता होगा यदि वह उप-नियम (4) में निर्दिष्ट पद पर नियुक्त न हुआ होता।

(7) किसी भी समय उप-नियम (1) और उप-नियम (4) में निर्दिष्ट काडर पदों से भिन्न अन्य पदों जिनका वेतन स्तर 16 है और जिनकी राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व पर गणना की जाती है, को धारण करने के लिए नियुक्त किए गए सेवा के सदस्यों की संख्या केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना राज्य काडर में वेतन के उस स्तर पर यथास्थिति काडर पदों, संयुक्त संवर्ग से अधिक नहीं होगी।

**13. एक से अधिक पदों को धारण करने वाले सदस्यों का वेतन।—**एक समय में एक से अधिक पदों पर कार्य करने वाले सेवा के किसी सदस्य को अतिरिक्त वेतन की मंजूरी विनियमित की जाएगी;

(क) संघ के कामकाज से संबंधित सेवारत के ऐसे सदस्य की दशा में जो केन्द्रीय सिविल सेवा – समूह 'क' के अधिकारियों के लिए लागू नियमों; विनियमों और आदेशों द्वारा

(ख) किसी राज्य के कामकाज से संबंधित सेवारत सेवा के ऐसे सदस्यों की दशा में जो राज्य सिविल सेवा वर्ग I के अधिकारियों के लिए लागू नियमावली, विनियमों और आदेशों द्वारा

**14. संयुक्त काडर से संबंधित नियम 9, नियम 10 और नियम 12 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने का प्राधिकरण।—**

(1) संयुक्त काडर से सेवा आरंभ करने वाले सेवा के सदस्य की दशा में नियम 9 और नियम 10 के अधीन शक्तियों का प्रयोग संयुक्त काडर प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(2) संयुक्त संवर्ग के सेवा के सदस्यों और पदों के संबंध में नियम 12 के अधीन शक्तियों का प्रयोग संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

### उदाहरण

#### **(1) संशोधित वेतन संरचना में चरणों को एक साथ (बंचिंग) करना**

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के पैरा 5.1.37 में दिए गए उदाहरण के अनुसार यदि सेवा के रु. 53,000/- और रु. 54,590/- आहरित करने वाले ग्रेड-वेतन रु. 10,000/- वाले दो सदस्यों को नए वेतन मैट्रिक्स में समायोजित किया जाता है तो रु. 53,000/- आहरित करने वाले सदस्यों को, 2.57 से गुणा करने पर रु. 1,36,210/- वेतन की अपेक्षा होगी और रु. 54,590/- आहरित करने वाले सेवा के सदस्य के, 2.57 से गुणा करने पर रु. 1,40296/- वेतन की अपेक्षा होगी। दोनों का संशोधित वेतन रु. 1,44,200/- के वेतन के स्तर 14 के प्रथम सेल में निर्धारित किया जाना आदर्श स्थिति होगी लेकिन इनको

एक साथ (बंचिंग) करने से बचने के लिए रु. 54,590/- आहरित करने वाले सेवा सदस्य का वेतन रु. 1,48,500/- वेतन के स्तर 14 के द्वितीय सेल में निर्धारित किया जाएगा। [नियम 4 (क)(ii) के अधीन परंतुक]

(2) वेतन-बैंड और ग्रेड-वेतन या अधिकतम वेतनमान पर गतिरोध के लिए अतिरिक्त वेतन वृद्धि :

वेतन-बैंड और ग्रेड-वेतन या वेतनमान	पीबी-4 (37,400-67,000) ग्रेड-वेतन 10,000	एचएजी (67,000- 79,000)
लागू वेतन बैंड और ग्रेड-वेतन या अधिकतम वेतनमान	77,000	रु. 79,000
जिस तारीख को अधिकतम लागू वेतन बैंड और ग्रेड-वेतन या वेतनमान निर्धारित किया गया	01.07.2014	01.07.2013
नए वेतन मैट्रिक्स में लागू स्तर में संशोधित वेतन	199600	205100
दिनांक 01.01.2016 को पूरे किए गए अधिकतम वर्ष	1 वर्ष और 6 माह	2 वर्ष और 6 माह
01.01.2016 को प्रदान की जाने वाली वेतनवृद्धि की संख्या	शून्य	01
दिनांक 01.01.2016 को वेतनवृद्धि प्रदान किए जाने पर संशोधित वेतन	199600	211300

दिनांक 01.01.2016 को वेतन निर्धारण किए जाने पर, जैसा कि ऊपर इंगित किया गया है, वेतन वृद्धि की तारीख आईएएस (वेतन) नियम, 2016 के नियम 8 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित होगी। [नियम 8 (1)(ब) के अधीन परंतुक]

### अनुसूची-I

[नियम 5 के उप नियम (3)]

(नियम 5 का उपनियम (3) देखें) के अंतर्गत आने वाले मामलों में वेतन के नियतन के सिद्धांत

इस अनुसूची में,-

- (i) “वास्तविक वेतन” पद से ऐसा वेतन अभिप्रेत है जिसका यथास्थिति राज्य वन सेवा का सदस्य उस सेवा के काडर में नियुक्ति की अधिकारी हैसियत के कारण या लगातार अस्थायी रूप में या तीन वर्ष तक उच्चतर पद पर स्थानापन्न क्षमता में कार्य करने के कारण परंतु यह जबकि राज्य सरकार ने राज्य वन सेवा के लिए लागू वेतनमान में 1 जनवरी, 2016 के पश्चात् संशोधन न किया हो। यदि वेतनमानों में 1 जनवरी, 2016 के पश्चात् संशोधन होते हैं तो राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2016 के पश्चात् महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन, अंतरिम या अतिरिक्त राहत मंजूर हुआ है तथा संशोधित वेतनमान में समामेलित कर लिया गया है तो इसे ‘वास्तविक वेतन’ से अपवर्जित कर दिया जाएगा।
- (ii) ‘अनुमानित वेतन’ पद से ऐसा वेतन अभिप्रेत है जो यथास्थिति राज्य वन सेवा का सदस्य अपनी सेवा के वेतनमान में आहरित करता जिसमें वह स्थायी होता या जिसमें उसने लगातार अस्थायी रूप से या स्थानापन्न क्षमता में तीन वर्ष की अवधि या निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्यरत होता परंतु यह तब जब कि राज्य सरकार ने यथास्थिति राज्य वन सेवा के लिए लागू वेतनमानों में 1 जनवरी, 2016 के पश्चात् संशोधन न किया हो। यदि 1 जनवरी, 2016 पश्चात् वेतनमान संशोधित किए गए हों तो 1 जनवरी, 2016 के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा मंजूर की गई और

संशोधित वेतनमानों में महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन, अंतरिम या अतिरिक्त राहत को पुनरीक्षण वेतनमान में समायोजित कर लिया जाना है या अपवर्जित कर दिया जाएगा।

(1) नियम 3 के उप नियम (1) की टिप्पणी-I में किसी बात के होते हुए भी यथास्थिति किसी प्रोन्नत अधिकारी का प्रारंभिक वेतन उसके वास्तविक वेतन से अगली उच्चतर स्केल के स्तर पर नियत किया जाएगा:

परंतु शर्त यह है कि यदि वेतन के ऐसे स्तर वरिष्ठ स्केल के विभिन्न घटकों में उभयनिष्ठ रहती है, तो वेतन वरिष्ठ स्केल के निम्नतर अथवा निम्नतम घटक में नियत किया जाएगा जैसा मामला हो।

(2) किसी प्रोन्नत अधिकारी के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षा पर चयन द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी की दशा में उसके वास्तविक वेतन में या कल्पित वेतन में वेतन संशोधन के परिणामस्वरूप हुई वृद्धि या वेतन वृद्धि के लिए हकदार होने या परिवीक्षा होने या परिवीक्षा की अवधि के दौरान जब तक कि परिवीक्षा की अवधि भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) नियम के नियम 3 के उप-नियम (3) के अर्थात् बढ़ायी न जाए, राज्य वन सेवा के उच्चतर वेतनमान में स्थायीकरण हो, की स्थिति में वह राज्य वन सेवा, में बढ़े हुए अपने वेतन के आधार पर इस अनुसूची में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार अपने वेतन की पुनर्संगणना उस तरीके से करवाने का हकदार होगा जैसा कि वह ऐसी वृद्धि की तारीख से भारतीय वन सेवा में प्रोन्नत हुआ था।

(3) यदि कोई यथास्थिति प्रोन्नत अधिकारी जो भारतीय वन सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया हो, राज्य वन सेवा यथास्थिति हो, में परिवीक्षा अवधि के दौरान, जब तक कि उसकी परिवीक्षा को भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) 1954 नियम के नियम 3 के उप-नियम (3) के अंतर्गत बढ़ायी न जाए, भारतीय वन सेवा में पदोन्नति की तारीख से पहले की किसी तारीख से स्थायी किया जाता है और इस प्रकार से वहां पर उसके वास्तविक वेतन या कल्पित वेतन में की गई वृद्धि की प्रभावी तारीख से भारतीय वन सेवा में वर्धित उसके वेतन के आधार पर इस अनुसूची में विहित सिद्धांतों के अनुसार की जाएगी।

(4) ऐसे मामलों में जिनमें यथास्थिति कोई प्रोन्नत अधिकारी जो भारतीय वन सेवा में नियुक्ति की तारीख को किसी ऐसे पद पर लगातार पदधारण कर रहा था/रहा है जो राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या विदेश सेवा के अंतर्गत आने वाले पदों से भिन्न पद है:-

- (क) किसी काडर पद के समय वेतनमान के समान वेतनमान में है; या
- (ख) किसी काडर पद के स्तर और दायित्वों के समतुल्य

और संबंधित राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को उसके काडर पद से भिन्न किसी अन्य पद पर नियुक्ति के तीन मास के भीतर या चयन सूची में काडर पद पर नियुक्त होने वाले चयन सूची के अगले कनिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की तारीख के तीन मास के भीतर इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो, इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करती है कि वह भारतीय वन सेवा (काडर) नियम, 1954 के अंतर्गत उस काडर पद पर कार्य कर होगा किन्तु काडर से भिन्न खंड 'क' के अधीन किसी अन्य पद पर उसकी नियुक्ति के संबंध में एक वर्ष से अनधिक केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए या खंड ज्येष्ठकाल (ख) पद के संबंध में तीन वर्ष अनधिक के लिए उसका खंड (1) के अनुसार ज्येष्ठ काल वेतनमान में नियत किया गया उसका प्रारंभिक वेतन उक्त गैर-काडर पद में उसके द्वारा आहरित किए गए या आहरित किए जा रहे वेतन से कम नहीं होगा।

परंतु यह कि ऐसे अधिकारियों की संख्या जिनके संबंध में प्रमाण-पत्र एक समय में चालू होगा वह भारतीय वन सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 5 के उप विनियम (1) के अंतर्गत अनुज्ञेय चयन सूची की अधिकतम आकार के आधे से अधिक नहीं होगा और इसमें उसी क्रम पालन का किया जाएगा जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में दिए गए हैं।

परंतु यह और कि ऐसे प्रमाण-पत्र केवल तभी दिया जाएगा जब चयन सूची में किसी गैर-काडर पद पर नियुक्त किए गए प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी, जिसके संबंध में प्रमाण-पत्र दिया जाता है, चयन सूची में ऐसे प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी, भारतीय वन सेवा (काडर) नियम, 1954 के अधीन किसी वरिष्ठ पद पर एक कनिष्ठ चयन सूची का अधिकारी कार्य कर रहा हो।

परंतु यह भी कि ऐसे अधिकारियों के जिनके संबंध में प्रमाण-पत्र दिया जाता है पदों की संख्या उन पदों से अधिक नहीं होगी जिनके द्वारा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन गैर-काडर पदों पर कार्यरत काडर अधिकारियों की संख्या भारतीय वन सेवा (काडर संख्या का नियतन) विनिमय, 1955 की अनुसूची के अधीन स्वीकृत प्रतिनियुक्ति रिजर्व से कम रह जाती है।

(5) यथास्थिति, किसी प्रोन्नत अधिकारी या चयन द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी, का वेतन किसी भी दशा में ज्येष्ठ काल वेतनमान के न्यूनतम से कम पर नियत नहीं किया जाएगा।

(6) यदि यथास्थिति किसी प्रोन्नत अधिकारी या चयन द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी के काडर स्थानापन्न के बाद सेवा में नियुक्ति होती है तो ऐसी नियुक्ति के समय वेतन को नियतन करते समय उसको स्थानापन्न के दौरान नियत किए गए वेतन को ध्यान में रखा जाएगा।

(7) इस नियमों में किसी बात के होते हुए भी यथास्थिति प्रोन्नत अधिकारी का वेतन कभी भी उसके, उस मूल वेतन से अधिक नहीं होना चाहिए जो उसे उस तारीख को सीधी भर्ती के रूप में मिल रहा था जिसको वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर यथास्थिति राज्य वन सेवा में नियुक्त किया गया था।

(8) भारतीय वन्य सेवा के संवर्ग पदों पर राज्य वन सेवा अधिकारियों की नियुक्ति होने अथवा स्थानापन्न नियुक्ति की जाने पर उनके वेतन का निर्धारण प्रार्फामा 'क' में किया जाएगा।

### अनुसूची II

#### (भाग क)

राज्य सरकारों के अंतर्गत भारतीय वन सेवा में वरिष्ठ वेतनमान से अधिक वेतन वाले पद (01.01.2016 तक की स्थिति के अनुसार)

आंध्र प्रदेश		
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17
2	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 16
3	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
4	मुख्य वन संरक्षक	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
5	वन संरक्षक (कुल संख्या	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क

#### अरुणाचल प्रदेश गोवा-मिजोरम-संघ शासित प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश		
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17
2	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीवन एंव जैवविविधता) एंव सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 16
3	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन और सतर्कता)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
4	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (आयोजना एंव विकास)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15

5	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण एवं कार्य योजना)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
6	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं मूल्यांकन)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
7	मुख्य वन संरक्षक (वन विभाग एजेंसी एवं सचूना प्रौद्योगिकी	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
8	मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
9	मुख्य वन संरक्षक (राज्य वन अनुसंधान संस्थान)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
10	मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी सर्कल	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
11	मुख्य वन संरक्षक, केन्द्रीय सर्कल	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
12	मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी सर्कल	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
13	मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी सर्कल	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
14	वन संरक्षक (मुख्यालय)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
15	वन संरक्षक (आयोजना एवं सांख्यिकी)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
16	वन संरक्षक (निगरानी एवं मूल्यांकन)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
17	वन संरक्षक एवं फील्ड निदेशक (प्रोजेक्ट टाइगर)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
18	वन संरक्षक, उत्तरी कार्य योजना	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
19	वन संरक्षक, पूर्वी कार्य योजना	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
गोवा		
1	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
2	मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन एवं विकास)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
3	वन संरक्षक (वन्य जीवन एवं पारिस्थिकी)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
4	वन संरक्षक (संरक्षण)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क

मिजोरम		
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 16
2	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन और सतर्कता)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
3	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (आयोजना एवं विकास)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
4	मुख्य वन संरक्षक, उत्तरी सर्कल	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
5	मुख्य वन संरक्षक, केन्द्रीय सर्कल	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
6	मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी सर्कल	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
7	मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीवन)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
8	मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान, प्रशिक्षण और निगरानी)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
9	वन संरक्षक (आयोजना)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
10	वन संरक्षक (टाइगर रिजर्व, डम्पा)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
11	वन संरक्षक (मुख्यालय)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
अंडमान एवं निकोबार प्रशासन		
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 16
2	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 16
3	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन और सतर्कता और पर्यावरण एवं संरक्षण)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
4	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (आयोजना एवं विकास)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
5	मुख्य वन संरक्षक (संघ शासित सर्कल)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
6	मुख्य वन संरक्षक (कोस्टल जोन एवं वन सरक्षक)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
7	मुख्य वन संरक्षक (जैवविविधता संरक्षण एवं बायोसफर रिजर्व)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
8	मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं कार्य योजना)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14

9	मुख्य वन संरक्षक (विकास एवं उपयोग और पारिस्थितिकी पर्यटन)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
10	वन संरक्षक (मुख्यालय)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
11	वन संरक्षक (वन्य जीवन)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
12	वन संरक्षक (पारिस्थितिकी पर्यटन, बायोसफर रिजर्व एवं तटीय क्षेत्र)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं द्वीप		
1	मुख्य वन संरक्षक	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
2	वन संरक्षक (वन्य जीवन) एवं सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
दिल्ली		
1	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
2	मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीवन) एवं सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
3	वन संरक्षक (प्रशासन और विकास)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
पुदुचेरी		
1	वन संरक्षक (पर्यावरण एवं वन) एवं सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
लक्ष्मीप		
1	वन संरक्षक (पर्यावरण एवं वन) एवं सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
चण्डीगढ़ प्रशासन		
1	वन संरक्षक (पर्यावरण एवं वन) एवं सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
असम-मेघालय		
असम		
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17
2	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीवन) एवं मुख्य वन्य जीवन वार्डन	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 16
3	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन और सतर्कता)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15

4	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (आयोजना एवं विकास)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
5	मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीवन एवं जैवविविधता)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
6	मुख्य वन संरक्षक (सामाजिक वानिकी और नोडल अधिकारी, एफडीए)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
7	मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान, शिक्षा, कार्य योजना)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
8	मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
9	मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, एफसी अधिनियम	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
10	मुख्य वन संरक्षक (बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
11	मुख्य वन संरक्षक (कार्बी एनालॉग स्वायत्तशासी निकाय)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
12	मुख्य वन संरक्षक (एनसी पहाड़ी स्वायत्तशासी निकाय)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
13	वन संरक्षक (प्रादेशिक)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
14	वन संरक्षक (कार्य योजना)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
15	वन संरक्षक (अनुसंधान एवं शिक्षा)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
16	वन संरक्षक (मुख्यालय) (पीसीसीएफ कार्यालय में, असम)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
17	वन संरक्षक (सामाजिक वानिकी)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
18	वन संरक्षक (वन्य जीवन) मुख्यालय	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
19	वन संरक्षक (सीसीएफ प्रादेशिक कार्यालय में सीमा एवं सुरक्षा)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
20	क्षेत्रीय निदेशक, प्रोजेक्ट टाइगर, मानस	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
21	निदेशक, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
22	वन संरक्षक (बोडो एवं प्रादेशिक परिषद)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
	मेघालय	
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17
2	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (निगरानी, अनुसंधान और प्रशिक्षण और जिला परिषद कार्य)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
3	मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14

4	मुख्य वन संरक्षक (सामाजिक वानिकी)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
5	मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीवन)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
6	वन संरक्षक (मुख्यालय)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
7	वन संरक्षक (प्रादेशिक और वन्य जीवन, खासी पहाड़ी क्षेत्र)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
8	वन संरक्षक (प्रादेशिक और वन्य जीवन, गारो पहाड़ी क्षेत्र)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
9	वन संरक्षक (प्रादेशिक और वन्य जीवन, खासी पहाड़ी क्षेत्र)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
10	वन संरक्षक प्रादेशिक और वन्य जीवन, गारो पहाड़ी क्षेत्र)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
11	वन संरक्षक (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
12	वन संरक्षक (निगरानी एवं मूल्यांकन)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
13	वन संरक्षक (जीआईएस एवं प्रोजेक्ट फार्मूला)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
14	वन संरक्षक (विकास एवं पारिस्थितिकी पर्यटन)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
विहार		
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17
2	मुख्य वन संरक्षक (विकास)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 16
3	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक –सह मुख्य वन्य जीवन वार्डन	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
4	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सीएएमपीए) सह नोडल अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
5	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना, अनुसंधान एवं विस्तार)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
6	मुख्य वन संरक्षक पटना, मुजफ्फरनगर, भांगलपुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
7	निदेशक पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
8	मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
9	मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
10	मुख्य वन संरक्षक (संयुक्त वन प्रबंधन)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
11	वन संरक्षक भांगलपुर, गया, पटना, मुजफ्फरनगर, सीवन, पुण्या	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क

12	वन संरक्षक सह फील्ड निदेशक, वाल्मीकी टाइगर रिजर्व, वेटीह	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
13	वन संरक्षक, कार्य योजना, अनुसंधान एवं विस्तार	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
14	वन संरक्षक (वन्य जीवन) पटना	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
15	वन संरक्षक (मुख्यालय)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
16	वन संरक्षक (निगरानी एवं मूल्यांकन)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
<b>छत्तीसगढ़</b>		
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17
2	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीवन प्रबंधन एवं जैवविविधता संरक्षण-सह-मुख्य वन्य जीवन वार्डन)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 16
3	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास एवं आयोजना)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
4	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
5	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संयुक्त वन प्रबंधन एवं नीति विश्लेषण)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
6	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन/राजपत्रित एवं समन्वय)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
7	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सुरक्षा)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
8	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
9	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (बजट लेखा, लेखा परीक्षा)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
10	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भूमि प्रबंधन एवं वन संरक्षण अधिनियम)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
11	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्प)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
12	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
13	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन/अराजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
14	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एचआरडी एवं आईटी)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
15	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (निगरानी एवं मूल्यांकन)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
16	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीवन प्रबंधन एवं आयोजना)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15

17	मुख्य वन संरक्षक (पारिस्थितिकी-पर्यटन एवं जैवविविधता संरक्षण)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
18	मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
19	मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
20	मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक) रायपुरस विलासपुस, दुर्ग, जगदलपुर, कानकेर एवं सरगुजा	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
21	मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीवन, फील्ड निदेशक, इन्द्रावती टाइगर रिजर्व	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
22	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीवन, फील्ड निदेशक, अचनाकमर टाइगर रिजर्व	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
23	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीवन, फील्ड निदेशक, उदन्ती-सीतानडी टाइगर रिजर्व	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
24	मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना, विलासपुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
25	मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना, रायपुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
26	वन संरक्षक, विकास आयोजना एवं परियोजना संरचना (मुख्यालय)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
27	वन संरक्षक, प्रशासन/राजपत्रित एवं समन्वय (मुख्यालय)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
28	वन संरक्षक, सुरक्षा (मुख्यालय)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
29	वन संरक्षक, उत्पादन (मुख्यालय)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
30	वन संरक्षक, जेएफएम एवं नीति विश्लेषण (मुख्यालय)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
31	वन संरक्षक, निगरानी एवं मूल्यांकन (मुख्यालय)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
32	वन संरक्षक, भूमि प्रबंधन एवं वन संरक्षण (मुख्यालय)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
33	वन संरक्षक, वन्यजीवन (मुख्यालय)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
34	वन संरक्षक, कार्य योजना (मुख्यालय)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
35	वन संरक्षक, कैम्पा (मुख्यालय)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
36	वन संरक्षक (कार्य योजना) रायपुर, विलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, कनकेर, सरगुजा	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क

37	वन संरक्षक, हाथी परियोजना, सरगुजा	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
38	वन संरक्षक, एफएमआईएस मंडल, रायपुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
39	वन संरक्षक, प्रशासन/अराजपत्रित (मुख्यालय)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
40	वन संरक्षक, सतर्कता (मुख्यालय)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
41	वन संरक्षक, बजट, लेखा एवं लेखा परीक्षा (मुख्यालय)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
42	अपर निदेशक, एसएफआरटीआई, रायपुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
<b>गुजरात</b>		
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं एचओएफएफ	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17
2	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन), गांधीनगर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 16
3	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (डी एवं एम), गांधीनगर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
4	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सामाजिक वानिकी), गांधीनगर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
5	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (निगरानी), गांधीनगर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
6	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफएम), गांधीनगर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
7	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भूमि), गांधीनगर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
8	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण), गांधीनगर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
9	मुख्य वन संरक्षक (डब्ल्यू. पी.), वडोदरा	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
10	मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन), गांधीनगर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
11	मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता एवं सुरक्षा)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
12	मुख्य वन संरक्षक, वडोदरा	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
13	मुख्य वन संरक्षक, सूरत	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
14	मुख्य वन संरक्षक, गांधीनगर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
15	मुख्य वन संरक्षक, जूनागढ़	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
16	मुख्य वन संरक्षक, कच्छ	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14

17	मुख्य वन संरक्षक, वलसाद	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
18	मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीवन, जूनागढ़	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
19	मुख्य वन संरक्षक, मैरिन राष्ट्रीय पार्क, जामनगर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
20	मुख्य वन संरक्षक, एसएफ, अहमदाबाद	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
21	मुख्य वन संरक्षक, डी एवं एम पीसीसीएफ कार्यालय, गांधीनगर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
22	मुख्य वन संरक्षक, डब्ल्यूएल, पीसीसीएफ कार्यालय गांधीनगर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
23	मुख्य वन संरक्षक, एसएफ, पीसीसीएफ कार्यालय गांधीनगर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
24	मुख्य वन संरक्षक, निगरानी, पीसीसीएफ कार्यालय गांधीनगर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
25	मुख्य वन संरक्षक, लेखा, पीसीसीएफ कार्यालय गांधीनगर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
26	वन संरक्षक, एस एवं एफयू, राजपीपला	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
27	मुख्य वन संरक्षक, (एसएफ), भारूच	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
28	मुख्य वन संरक्षक(एसएफ), मेहसाना	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
29	मुख्य वन संरक्षक(एसएफ), राजकोट	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
30	मुख्य वन संरक्षक (डब्ल्यूपी), सूरत	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
31	मुख्य वन संरक्षक(डब्ल्यूपी), वडोदरा	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
32	मुख्य वन संरक्षक(डब्ल्यूपी), जूनागढ़	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
33	मुख्य वन संरक्षक(डब्ल्यूएल), वडोदरा	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
34	मुख्य वन संरक्षक, निगरानी, गांधीनगर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
35	मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, गांधीनगर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
36	मुख्य वन संरक्षक, सर्वकर्ता, गांधीनगर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
	<b>हरियाणा</b>	
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं एचओएफएफ	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17

2	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वानिकी)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
3	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)-सह- मुख्य वन्यजीव वार्डन	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
4	मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
5	मुख्य वन संरक्षक (सामाजिक वानिकी)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
6	मुख्य वन संरक्षक (विकास)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
7	मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
8	मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
9	मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
10	वन संरक्षक (उत्तर सर्किल)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
11	वन संरक्षक (दक्षिण सर्किल)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
12	वन संरक्षक (पश्चिम सर्किल)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
13	वन संरक्षक (मध्य), रोहतक	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
14	वन संरक्षक (योजना एवं एमआईएस)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
15	वन संरक्षक (अनुसंधान)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
16	वन संरक्षक (प्रशिक्षण)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
17	वन संरक्षक (कार्य योजना एम एंड ई एफसी)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
18	वन संरक्षक (उत्पादन)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
19	वन संरक्षक (वन्यजीव)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
20	वन संरक्षक (सामाजिक वानिकी)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
	<b>हिमाचल प्रदेश</b>	
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एचओएफएफ)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17
2	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 16
3	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (परियोजना)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
4	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन योजना एवं विकास)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15

5	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीएफएम और एफडीए)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
6	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैट की योजना)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
7	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना और निपटान)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
8	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं एनटीपीएफ)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
9	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क और जैव विविधता)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
10	मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास, टी एंड ई))	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
11	मुख्य वन संरक्षक (एफसीए)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
12	मुख्य वन संरक्षक (पर्यावरण पर्यटन)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
13	मुख्य वन संरक्षक (एफपी और एफसी)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
14	मुख्य वन संरक्षक (एम एंड ई)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
15	मुख्य वन संरक्षक (पीएफ एवं लेखा परीक्षा)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
16	मुख्य वन संरक्षक (मृदा एवं आईआरएम)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
17	मुख्य वन संरक्षक (परियोजना निर्माण)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
18	मुख्य वन संरक्षक (जीएचएनपी और पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
19	मुख्य वन संरक्षक उत्तर (वन्यजीव)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
20	मुख्य वन संरक्षक दक्षिण (वन्यजीव)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
21	मुख्य वन संरक्षक, (टी) कुल्लू	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
22	मुख्य वन संरक्षक, (टी) चंबा	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
23	मुख्य वन संरक्षक, (टी) रामपुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
24	वन संरक्षक (प्रादेशिक), बिलासपुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
25	वन संरक्षक (प्रादेशिक), हमीरपुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
26	वन संरक्षक (प्रादेशिक), धर्मशाला	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
27	वन संरक्षक (प्रादेशिक), मंडी	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
28	वन संरक्षक (प्रादेशिक), नाहन	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क

29	वन संरक्षक (प्रादेशिक), शिमला	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
30	वन संरक्षक, (पोल और कानून)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
31	वन संरक्षक, (कैट योजना)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
32	वन संरक्षक (अनुसंधान)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
33	वन संरक्षक, (एमआईएस और लोक शिकायत)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
34	वन संरक्षक, (वित्त एवं योजना)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
35	वन संरक्षक, (मिट्टी)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
36	वन संरक्षक (कार्य योजना उत्तर)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
37	वन संरक्षक (कार्य योजना दक्षिण)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
38	वन संरक्षक (कार्य योजना केन्द्रीय)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
39	वन संरक्षक, (एफटीआई एसएनआर)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
40	वन संरक्षक, (एफटीआई चैल)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
41	वन संरक्षक, (एम एंड ई)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
	<b>जम्मू एवं कश्मीर</b>	
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एचओएफएफ)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17
2	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (डब्ल्यूएल) और मुख्य वन्यजीव वार्डन	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 16
3	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सेंट्रल)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
4	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सामाजिक वानिकी)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
5	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/निदेशक वन सुरक्षा बल	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
6	मुख्य वन संरक्षक जम्मू	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
7	मुख्य वन संरक्षक कश्मीर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
8	मुख्य वन संरक्षक कार्य योजना, अनुसंधान और प्रशिक्षण	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
9	मुख्य वन संरक्षक आयोजना एवं परियोजनाओं	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
10	मुख्य वन संरक्षक मृदा संरक्षण	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14

11	मुख्य वन संरक्षक पर्यावरण और रिमोट सेंसिंग	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
12	मुख्य वन संरक्षक इको-पर्यटन	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
13	मुख्य वन संरक्षक एफसी अधिनियम और नोडल अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
14	मुख्य वन संरक्षक, वन निपटान और सीमांकन	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
15	वन संरक्षक पूर्व सर्किल	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
16	वन संरक्षक पश्चिम वृत्त	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
17	वन संरक्षक चिनाव सर्किल	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
18	वन संरक्षक उत्तरी सर्किल	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
19	वन संरक्षक दक्षिण सर्कल	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
20	वन संरक्षक श्रीनगर सर्किल	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
21	वन संरक्षक सेंट्रल सर्किल	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
22	वन संरक्षक घास विज्ञान	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
23	वन संरक्षक/आरडी सामाजिक वानिकी कश्मीर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
24	वन संरक्षक/आरडी सामाजिक वानिकी जम्मू	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
25	वन संरक्षक वन्यजीव जम्मू	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
26	वन संरक्षक वन्यजीव कश्मीर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
27	वन संरक्षक वन्यजीव लद्दाख	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
28	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के वन संरक्षक	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
29	वन संरक्षक (सतर्कता)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
30	वन संरक्षक (कार्य योजना)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
	झारखंड	
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं एचओएफएफ	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
2	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीवन और मुख्य वन्यजीव वार्डन	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 16
3	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15

4	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
5	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एचआरडी)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
6	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान और प्रशिक्षण)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
7	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सीएएमपीए)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
8	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफडीए)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
9	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विशेष परियोजना)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
10	वन एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक निदेशक, विस्तार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर और पलामू / दक्षिण छोटानागपुर / संथाल परगना	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
11	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
12	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
13	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, रांची	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
14	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, संथाल परगना	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
15	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
16	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
17	मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
18	मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
19	मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
20	मुख्य वन संरक्षक (प्रशिक्षण)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
21	मुख्य वन संरक्षक (राजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
22	मुख्य वन संरक्षक (अराजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
23	मुख्य वन संरक्षक और फील्ड निदेशक, पलामू टाइगर रिजर्व	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
24	मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, भगवान विरसा जैविक उद्यान, रांची	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
25	मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
26	वन संरक्षक, क्षेत्रीय मंडल-बोकारो	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क

27	वन संरक्षक, क्षेत्रीय मंडल-देवघर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
28	वन संरक्षक, क्षेत्रीय मंडल-दुमका	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
29	वन संरक्षक, क्षेत्रीय मंडल-हजारीबाग	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
30	वन संरक्षक, क्षेत्रीय मंडल-रांची	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
31	वन संरक्षक, क्षेत्रीय मंडल-चाईबासा	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
32	वन संरक्षक, क्षेत्रीय मंडल-मेदनीनगर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
33	वन संरक्षक, क्षेत्रीय मंडल-गिरीडीह	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
34	वन संरक्षक, क्षेत्रीय मंडल-चतरा	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
35	वन संरक्षक, क्षेत्रीय मंडल-गुमला	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
36	वन संरक्षक, क्षेत्रीय मंडल-जमशेदपुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
37	वन संरक्षक, क्षेत्रीय मंडल-गढ़वाह	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
38	वन संरक्षक, कार्य योजना-रांची	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
39	वन संरक्षक, कार्य योजना - चाईबासा	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
40	वन संरक्षक, कार्य योजना - दुमका	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
41	वन संरक्षक, कार्य योजना - बोकारो	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
42	वन संरक्षक, कार्य योजना - पलामू	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
43	वन संरक्षक, कार्य योजना - हजारीबाग	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
44	वन संरक्षक योजना, रांची	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
45	वन संरक्षक एवं राज्य वनवर्धनिक, रांची	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
46	वन संरक्षक, बागवानी अनुसंधान और मूल्यांकन, रांची	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
	<b>कर्नाटक</b>	
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं एचओएफएफ	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
2	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 16

3	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मूल्यांकन, कार्य योजना और प्रशिक्षण)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
4	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संसाधन प्रबंधन)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
5	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
6	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय एवं समन्वयन)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
7	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
8	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्मिक एवं भर्ती)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
9	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं उपयोग)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
10	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
11	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (परियोजना)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
12	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
13	मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
14	मुख्य वन संरक्षक (टाइगर परियोजना) दक्षिण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
15	मुख्य वन संरक्षक एवं सचिव (वन)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
16	मुख्य वन संरक्षक (विधीक प्रकोष्ठ)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
17	मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
18	वन संरक्षक (कार्य योजना)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
19	वन संरक्षक (अनुसंधान)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
20	वन संरक्षक (बजट एवं लेखा परीक्षा)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
21	वन संरक्षक (मुख्यालय)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
22	वन संरक्षक (वन संरक्षण)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
23	वन संरक्षक (परियोजना)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
24	वन संरक्षक (वन संसाधन प्रबंधन)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
25	वन संरक्षक (सतर्कता)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
26	वन संरक्षक (विकास)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क

27	निदेशक, राजीव गांधी नेशनल पार्क	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
28	निदेशक, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
29	निदेशक, भद्रा वन्यजीव, चिकामगलुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
30	निदेशक, अंशी-डानडेली राष्ट्रीय उद्यान	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
	केरल	
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं एचओएफएफ	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
2	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीवन और मुख्य वन्यजीव वार्डन	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 16
3	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन प्रबंधन)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 16
4	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
5	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त, बजट एवं लेखा परीक्षा)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
6	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन भूमि एवं संसाधन)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
7	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता एवं वन इंटेलीजेंस)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
8	मुख्य वन संरक्षक, प्रवर्तन निदेशालय और टीडब्ल्यू	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
9	मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना एवं अनुसंधान)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
10	मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक (दक्षिणी वृत्त, कोल्लम, हाईरेंज सर्किल, कोट्यम, सेंट्रल सर्किल, त्रिशूर, पूर्वी सर्किल, पलक्कड़ और उत्तरी सर्किल, कोझिकोड)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
11	मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एंड फील्ड निदेशक पलक्कड़	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
12	मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एंड फील्ड निदेशक कोट्यायम	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
13	मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, कैम्पा	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
14	मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
15	वन संरक्षक (एचआरडी)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
16	वन संरक्षक (विशेष वनीकरण)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
17	वन संरक्षक-निरीक्षण एवं मूल्यांकन (उत्तरी क्षेत्र), कोझिकोड और दक्षिणी क्षेत्र, कोट्यायम	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क

18	वन संरक्षक (सामाजिक वानिकी), एर्नाकुलम, कोझीकोड, कोल्लम	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
19	वन संरक्षक (कार्य योजना) उत्तरी क्षेत्र कोझीकोड और दक्षिणी क्षेत्र, कोल्लम	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
20	वन संरक्षक एवं पीसीसीएफ (एफएम) के टीए	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
21	वन संरक्षक एवं पीसीसीएफ और सी.डब्ल्यू.डब्ल्यू के टीए	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
22	वन संरक्षक एवं पीसीसीएफ एवं एचएफएफ के टीए	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
23	वन संरक्षक (वन्यजीव)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
	<b>मध्य प्रदेश</b>	
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल के प्रमुख	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
2	प्रधान मुख्य वन संरक्षक जैव विविधता संरक्षण एवं मुख्य वन्यजीव वार्डन	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 16
3	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना एवं वन भूमि रिकार्ड	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 16
4	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं विस्तार और लोक वानिकी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 16
5	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्पादन	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 16
6	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास एवं नियोजन	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
7	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रशा. I	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
8	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं विस्तार	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
9	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, संरक्षण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
10	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रशा. II	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
11	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव प्रबंधन, योजना एवं पारिस्थितिकी पर्यटन	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
12	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता और शिकायतें	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
13	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भूमि प्रबंधन	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
14	सीसीएफ के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्पादन	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
15	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वित्त एवं बजट	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15

16	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जे.एफ.एम. और एफ.डी.ए.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
17	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आईटी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, परियोजना	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
19	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, समन्वय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
20	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, निगरानी और मूल्यांकन	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
21	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
22	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन भूमि रिकार्ड	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
23	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना-मुख्यालय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
24	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना-क्षेत्रीय, भोपाल, जबलपुर और इंदौर	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
25	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, समन्वय, नई दिल्ली	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
26	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव संरक्षण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
27	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
28	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरित भारत मिशन	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
29	मुख्य वन संरक्षक, वन रेंजर कॉलेज, बालाघाट	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
30	मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक): रीवा, शहडोल, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, इंदौर, खंडवा, जबलपुर, होशंगाबाद, भोपाल, सागर, उज्जैन, ग्वालियर, शिवपुरी, छतरपुर और बैतूल	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
31	मुख्य वन संरक्षक एंड फील्ड निदेशक: कान्हा टाइगर रिजर्व, मंडला; वांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, उमरिया; पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी; संजय टाइगर रिजर्व, रीवा; पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना; सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पंचमढ़ी और माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
32	मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, शेर परियोजना ग्वालियर और वन विहार एनपी, भोपाल	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
33	मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार) रीवा, सिवनी, इंदौर, खंडवा, जबलपुर, भोपाल, सागर, ग्वालियर, बैतूल और रत्लाम	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14

34	मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना) जबलपुर, भोपाल और इंदौर	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
35	मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मुख्यालय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
36	मुख्य वन संरक्षक, वन मैनुअल	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
37	मुख्य वन संरक्षक, कठाई	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
38	मुख्य वन संरक्षक, मनरेगा व आजीविका परियोजना	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
39	मुख्य वन संरक्षक, नीति अनुसंधान और विश्लेषण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
40	मुख्य वन संरक्षक, बाह्य सहायता प्राप्ति परियोजना	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
41	मुख्य वन संरक्षक, कौशल विकास	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
42	मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना-क्षेत्रीय, रीवा	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
43	मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना-क्षेत्रीय, ग्वालियर	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
44	मुख्य वन संरक्षक, शहरी वानिकी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
45	मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव अपराध संरक्षण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
46	मुख्य वन संरक्षक, आरईडीटी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
47	वन संरक्षक (कार्य योजना) रीवा, शानदोल, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, होशंगाबाद, सागर, उज्जैन, ग्वालियर, शिवपुरी, छतरपुर और बैतूल	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
48	वन संरक्षक (प्रादेशिक) भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सीहोर, छतरपुर, दमोह, देवास, गुना, खंडवा, नरसिंहपुर, सतना, शिवपुरी, विदिशा, होशंगाबाद, डिण्डोरी, उमरिया, कटनी	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
49	वन संरक्षक, मुख्यालय	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
50	संयुक्त निदेशक, बाघ परियोजना: कान्हा टी.आर., पेंच टी.आर., बांधवगढ़ टी.आर., सतपुड़ा टी.आर., पन्ना टी.आर. और संजय टी.आर.	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
51	वन संरक्षक (आर एंड ई), झावुआ	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
	महाराष्ट्र	
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एचओएफएफ)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17

2	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 16
3	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (बजट, योजना एवं विकास)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
4	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन और प्रबंधन)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
5	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन, अधीनस्थ कैडर)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
6	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), पश्चिम	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
7	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), पूर्व	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
8	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
9	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक और नोडल अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
10	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं महानिदेशक (सामाजिक वानिकी)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
11	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
12	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पर्यावरण पर्यटन और वन्यजीव प्रशासन)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
13	मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) अर्थात्, अमरावती, औरंगाबाद, नासिक, पुणे, ठाणे, नागपुर, यवतमाल, धुले, कोल्हापुर, उत्तर और दक्षिण चंद्रपुर चंद्रपौर	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
14	मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड निदेशक, मेलघाट टाइगर रिजर्व और तोडावा-अंधारी टाइगर रिजर्व	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
15	मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना), पूर्व	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
16	मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना), पश्चिम	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
17	मुख्य वन संरक्षक (कार्मिक)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
18	मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
19	मुख्य वन संरक्षक उप महानिदेशक (एम एंड ई) सामाजिक वानिकी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
20	मुख्य वन संरक्षक (गैर इमारती लकड़ी वन के उत्पादन की निगरानी और मूल्यांकन)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
21	मुख्य वन संरक्षक (सीएएमपीए) नागपुर	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
22	मुख्य वन संरक्षक (शिक्षा और प्रशिक्षण)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14

23	मुख्य वन संरक्षक (जेएफएम, योजना एवं विकास)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
24	मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) नासिक	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
25	मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी और नीति)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
26	मुख्य वन संरक्षक, (मानव अनुसंधान प्रबंधन)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
27	मुख्य वन संरक्षक (सर्वकाता एवं कर्मचारी कल्याण)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
28	मुख्य वन संरक्षक, उप महानिदेशक, सामाजिक वानिकी, नागपुर, अमरावती, औरंगाबाद, नासिक, पुणे, ठाणे।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
29	वन संरक्षक (कार्य योजना) धुले, चंद्रपुर-1, चंद्रपुर-2, अमरावती, औरंगाबाद, नागपुर, नासिक, पुणे, दहानु, यवतमाल और कोल्हापुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
30	वन संरक्षक (वन्यजीव) कोल्हापुर, पुणे	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
31	वन संरक्षक एवं निदेशक, संजय गांधी पार्क	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
32	वन संरक्षक एवं फील्ड निदेशक, पेंच टाइगर रिजर्व	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
33	वन संरक्षक (गैरइमारती लकड़ी वन उत्पाद)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
34	वन संरक्षक (वन विनियमन)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
35	वन संरक्षक (भू-अभिलेख)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
36	संयुक्त सचिव, वन	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
37	वन संरक्षक (परिवहन और विपणन) बल्लारशाह	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
38	वन और वनवर्धनिक संरक्षक (चंद्रपुर और पुणे)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
39	वन संरक्षक (संसाधन उपयोगिता)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
40	वन संरक्षक (बजट एवं लेखा परीक्षा)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
41	वन संरक्षक (मूल्यांकन)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
	मणिपुर	
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हॉफ	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
2	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (डब्ल्यू एल)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15

3	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(नि. और एफडीए)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
4	मुख्य वन संरक्षक (मध्य व जैव विविधता)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
5	मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक-आई)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
6	मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक II)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
7	मुख्य वन संरक्षक (विकास)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
8	मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन एवं योजना)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
9	मुख्य वन संरक्षक (पर्यावरण, पारिस्थितिकी पर्यटन और एफसी अधिनियम)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
10	वन संरक्षक (प्रशासन एवं योजना)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
11	वन संरक्षक (विस्तार सर्किल)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
12	वन संरक्षक (कार्य योजना, अनुसंधान और प्रशिक्षण)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
13	वन संरक्षक (उत्तरी सर्किल)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
14	वन संरक्षक (पूर्वी सर्किल)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
15	वन संरक्षक (पश्चिमी सर्किल)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
16	वन संरक्षक (दक्षिणी सर्किल)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
17	वन संरक्षक (सेंट्रल सर्किल)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
18	वन संरक्षक (वन्यजीव)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
	<b>नागालैंड</b>	
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हॉफ	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
2	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव वार्डन	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
3	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास एवं नियोजन	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
4	मुख्य वन संरक्षक, निगरानी और मूल्यांकन	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
5	मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण, अनुसंधान की जैव विविधता	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
6	मुख्य वन संरक्षक, मुख्यालय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
7	मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14

8	वन संरक्षक, उत्तरी प्रादेशिक सर्किल	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
9	वन संरक्षक, दक्षिणी प्रादेशिक सर्किल	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
10	वन संरक्षक, अनुसंधान, योजना और उपयोगिता	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
11	वन संरक्षक, वन्य जीवन और जैव-विविधता	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
12	वन संरक्षक, मुख्यालय	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
13	वन संरक्षक, प्रचार और प्रशिक्षण	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
	<b>ओडिसा</b>	
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हॉफ	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
2	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) और पदेन मुख्य वन्यजीव वार्डन	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 16
3	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्र पत्ता)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
4	विशेष सचिव (वन एवं पर्यावरण)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
5	निदेशक (पर्यावरण)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
6	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(परियोजना, सामुदायिक व कृषि वानिकी)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
7	मुख्य वन संरक्षक (कार्मिक प्रशासन)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
8	मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
9	मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण एवं सतत प्रबंधन)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
10	मुख्य वन संरक्षक (योजना कार्यक्रम और वनीकरण)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
11	मुख्य वन संरक्षक (निगरानी, मूल्यांकन एवं आंतरिक सतर्कता)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
12	मुख्य वन संरक्षक (वन मंडल) एवं नोडल अधिकारी, एफसी अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
13	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक (कोरापुट, भवानीपत्तन, बेहरामपुर, भुवनेश्वर, अंगूल, संभलपुर पश्चिम, संभलपुर पूर्व, बारापड़ा)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
14	मुख्य वन संरक्षक, प्रशिक्षण एवं विकास	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14

15	मुख्य वन संरक्षक (केंद्र लीफ मुख्यालय)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
16	वन संरक्षक (केंद्र लीफ पत्ता)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
17	वन संरक्षक (कार्य योजना)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
18	वन संरक्षक (योजना)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
19	वन संरक्षक (नोडल सेल)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
20	क्षेत्रीय निदेशक, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
21	निदेशक, नंदनकानन चिडियाघर और बॉटनिकल गार्डन	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
22	वन संरक्षक (एचआरडी)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
23	वन संरक्षक (वन उपयोग)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
24	वन संरक्षक (वित्त, बजट एवं लेखा परीक्षा)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
25	वन संरक्षक (वनीकरण)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
26	वन संरक्षक (वन्यजीव)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
27	निदेशक, वन प्रशिक्षण	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
28	सहायक प्रधान मुख्य वन संरक्षक	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
29	राज्य वनवृक्षविज्ञानी	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
	<b>पंजाब</b>	
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल के प्रमुख	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17
2	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
3	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी एफसीए)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
4	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन एवं समन्वय)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
5	मुख्य वन संरक्षक (पहाड़ी)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
6	मुख्य वन संरक्षक (मैदान)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
7	मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना, निगरानी और मूल्यांकन)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
8	मुख्य वन संरक्षक (एफसी अधिनियम सह-नोडल अधिकारी)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14

9	मुख्य वन संरक्षक (आईटी और ई-गवर्नेंस)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
10	मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
11	वन संरक्षक (अनुसंधान और प्रशिक्षण)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13
12	वन संरक्षक, शिवालिक (प्रादेशिक) सर्किल	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
13	वन संरक्षक, बिष्ट (प्रादेशिक) सर्किल	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
14	वन संरक्षक, दक्षिण (प्रादेशिक) सर्किल	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
15	वन संरक्षक, फिरोजपुर (प्रादेशिक)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
16	वन संरक्षक (वन्यजीव) शिवालिक सर्किल	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
17	वन संरक्षक, उत्तर प्रादेशिक सर्किल	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
18	वन संरक्षक (कार्य योजना)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
19	वन, संरक्षक वन्यजीव पार्क और संरक्षित क्षेत्र	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
	<b>राजस्थान</b>	
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं एच ओ एफ एफ	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17
2	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव वार्डन, जयपुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 16
3	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), जयपुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
4	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन), जयपुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
5	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), जयपुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
6	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), जयपुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
7	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) और नोडल अधिकारी, (एफसीए), जयपुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
8	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मृदा संरक्षण), जयपुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
9	मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
10	मुख्य वन संरक्षक (स्थापना), जयपुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
11	मुख्य वन संरक्षक, कोटा	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
12	मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14

13	मुख्य वन संरक्षक (एनटीएफपी), जयपुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
14	मुख्य वन संरक्षक, (पीएफ और ई), जयपुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
15	मुख्य वन संरक्षक, विभागीय ऑपरेशन स्कीम, जयपुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
16	मुख्य वन संरक्षक, अजमेर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
17	मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
18	मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), कोटा	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
19	मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), उदयपुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
20	मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
21	मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
22	मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), जयपुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
23	मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), जोधपुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
24	मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना और वन निपटान), जयपुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
25	मुख्य वन संरक्षक, खाद्योन्मुख नदी परियोजना, जयपुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
26	मुख्य वन संरक्षक, नदी धाटी परियोजना, कोटा	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
27	मुख्य वन संरक्षक (योजना), जयपुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
28	मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण), जयपुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
29	मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण), जयपुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
30	क्षेत्रीय वन संरक्षक (निगरानी और मूल्यांकन) सह अध्यक्ष, एफडीए, जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर और भरतपुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
31	वन संरक्षक (प्रशिक्षण), जयपुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
32	वन संरक्षक (अनुसंधान), जयपुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
33	वन संरक्षक (औषधीय पौधे), जयपुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
34	वन संरक्षक (इको-पर्यटन), जयपुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
35	वन संरक्षक (प्रोजेक्ट टाइगर) अलवर और कोटा	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क

36	वन संरक्षक (संयुक्त वन प्रबंधन), जयपुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
37	वन संरक्षक (समवर्ती मूल्यांकन), जयपुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
38	वन संरक्षक और टीए पीसीसीएफ, राजस्थान जयपुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
	<b>सिक्किम</b>	
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल के प्रमुख)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17
2	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
3	मुख्य वन संरक्षक	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
4	वन संरक्षक (प्रादेशिक)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
5	वन संरक्षक (मृदा संरक्षण)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
6	वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विकास)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
7	वन संरक्षक (वन्यजीव)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
8	वन संरक्षक (सामाजिक वानिकी)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
	<b>तमिलनाडु</b>	
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल के प्रमुख), चेन्नई	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17
2	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन्यजीव वार्डन	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 16
3	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
4	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वनीकरण)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
5	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक निदेशक, टीएनएफए, कोयंबटूर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
6	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण अधिनियम)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
7	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्मिक एवं सतर्कता)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
8	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (योजना एवं बजट)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
9	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
10	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सामाजिक वानिकी एवं विस्तार)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15

11	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
12	मुख्य वन संरक्षक (जैव विविधता संरक्षण)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
14	मुख्य वन संरक्षक (सीडीएम)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
15	मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, एएजेडपी	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
16	मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
17	मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, कालकाड मुंदांतुरई टाइगर रिजर्व	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
18	मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, कालकाड मुदुमलाई टाइगर रिजर्व	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
19	मुख्य वन संरक्षक (वन समेकन)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
20	मुख्य वन संरक्षक (वन उपयोग)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
21	मुख्य वन संरक्षक (वन्य विस्तार)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
22	मुख्य वन संरक्षक (जीआईएस)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
23	मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
24	मुख्य वन संरक्षक (एचआरडी)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
25	मुख्य वन संरक्षक (योजना एवं विकास)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
26	मुख्य वन संरक्षक एवं प्रधान, टीएनएफटीसी वैगई बांध	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
27	मुख्य वन संरक्षक (परियोजना निर्माण)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
28	मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
29	मुख्य वन संरक्षक (प्रचार)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
30	मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
31	मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
32	मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना, कोयंबटूर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
33	मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना, सलेम	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
34	मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना, त्रिची	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14

35	मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना, वेल्लोर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
36	वन संरक्षक और अपर निदेशक, एएजेडपी	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
37	वन संरक्षक, जेनेटिक्स, कोयम्बटूर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
38	वन संरक्षक, योजना एवं विकास	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
39	वन संरक्षक, अनुसंधान	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
40	वन संरक्षक (प्रादेशिक) - चेन्नई, कोयम्बटूर, धर्मपुरी, डिंडीगुल, इरोड, मदुरै, सलेम, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, वेल्लोर, विल्लुपुरम, विरुद्धुनगर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क

तेलंगाना		
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल के प्रमुख)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17
2	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 16
3	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
4	मुख्य वन संरक्षक	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
5	वन संरक्षक	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13

त्रिपुरा		
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल के प्रमुख	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17
2	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू (वन्यजीव एवं पारिस्थितिक-पर्यटन)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
3	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (परियोजना निर्माण, निगरानी और मूल्यांकन)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
4	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन एवं जनसम्पर्क)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
5	मुख्य वन संरक्षक (योजना एवं विकास)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
6	मुख्य वन संरक्षक (डब्ल्यूपी और सर्वेक्षण)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
7	मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
8	मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14

9	मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण एवं नोडल अधिकारी-एफसीए)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
10	मुख्य वन संरक्षक (आईटी एवं सांख्यिकी)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
11	वन संरक्षक (वन्यजीव एवं पारिस्थितिक -पर्यटन)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
12	वन संरक्षक (निगरानी और मूल्यांकन)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
13	वन संरक्षक (स्थापना एवं मानव संसाधन विकास)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
14	वन संरक्षक (परियोजना निर्माण और ईएपी)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
15	वन संरक्षक (प्रादेशिक समन्वय)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
16	वन संरक्षक (सतर्कता एवं आरटीआई)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
उत्तर प्रदेश		
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभाग प्रमुख	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17
2	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) / मुख्य वन्यजीव वार्डन	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 16
3	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, परियोजना	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
4	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
5	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
6	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, लेखा परीक्षा और गैर योजना	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
7	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
8	मुख्य वन संरक्षक (डिवीजनल) लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, मिर्जापुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
9	मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक), पूर्वी क्षेत्र गोरखपुर, दक्षिणी क्षेत्र इलाहाबाद, बुदेलखण्ड क्षेत्र झांसी पश्चिमी क्षेत्र मेरठ, रुहेलखण्ड क्षेत्र बरेली, मध्य क्षेत्र लखनऊ, आगरा क्षेत्र आगरा	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
10	मुख्य वन संरक्षक / निदेशक वन प्रशिक्षण संस्थान कानपुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
11	मुख्य वन संरक्षक / निदेशक वन अनुसंधान संस्थान कानपुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
12	मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन (अराजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14

13	मुख्य वन संरक्षक, न्यायालय मामले	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
14	मुख्य वन संरक्षक, पारिस्थितिकी विकास	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
15	मुख्य वन संरक्षक वन प्रबंधन	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
16	मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
17	मुख्य वन संरक्षक, नीति विश्लेषण और समन्वय	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
18	मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन (राजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
19	मुख्य वन संरक्षक, निगरानी और मूल्यांकन	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
20	मुख्य वन संरक्षक, योजना	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
21	मुख्य वन संरक्षक, परियोजना	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
22	मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम, 1980	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
23	मुख्य वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक दुधवा नेशनल पार्क	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
24	मुख्य वन संरक्षक मानव संसाधन विकास	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
25	मुख्य वन संरक्षक, विस्तार और प्रचार	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
26	मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव (पूर्वी) इलाहाबाद	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
27	मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव (पश्चिमी) मेरठ	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
28	मुख्य वन संरक्षक, वित्त एवं लेखा परीक्षा	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
29	मुख्य वन संरक्षक, भू-अभिलेख और निपटान	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
30	मुख्य वन संरक्षक/सुरक्षा और सतर्कता	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
31	मुख्य वन संरक्षक, सीएएमपीए	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
32	वन संरक्षक (प्रादेशिक) इलाहाबाद, आजमगढ़, बस्ती, चित्रकूटधाम, बांदा, देवीपट्टन, गोंडा, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, फैजाबाद, वाराणसी, झांसी, बरेली और आगरा	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
33	वन संरक्षक (टेरिटोरियल), अलीगढ़ सर्किल	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
34	वन संरक्षक / कार्य योजना अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
35	वन संरक्षक वनवृक्षविज्ञानी-कानपुर, बरेली, वाराणसी	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क

36	वन संरक्षक/निदेशक राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, कानपुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
37	वन संरक्षक, निगरानी, विंध्य वाराणसी	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
38	वन संरक्षक, निगरानी, तराई बरेली	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
39	वन संरक्षक, निगरानी, मैदान कानपुर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
40	वन संरक्षक, विलुप्त परियोजना लखनऊ	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
	<b>उत्तराखण्ड</b>	
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17
2	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 16
3	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन पंचायत)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 16
4	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (परियोजना)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
5	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन अनुसंधान, प्रबंधन प्रशिक्षण)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
6	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण / नोडल अधिकारी)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
7	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (योजना एवं वित्तीय प्रबंधन)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
8	मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
9	मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊं)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
10	मुख्य वन संरक्षक (पर्यावरण)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
11	मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
12	मुख्य वन संरक्षक (पारिस्थितिक-पर्यटन)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
13	मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
14	मुख्य वन संरक्षक (जैव विविधता संरक्षण, विकास एवं अनुसंधान)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
15	मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
16	मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन, वन्यजीव संरक्षण और आसूचना)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14

17	मुख्य वन संरक्षक (निगरानी, मूल्यांकन एवं लेखा परीक्षा)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
18	मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, वन प्रशिक्षण अकादमी	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
19	मुख्य वन संरक्षक (आजीविका और एनटीएफपी)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
20	मुख्य वन संरक्षक (प्रचार एवं विस्तार)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
21	मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता एवं कानूनी प्रकोष्ठ)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
22	वन संरक्षक (शिवालिक सर्किल)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
23	वन संरक्षक (यमुना सर्किल)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
24	वन संरक्षक (भागीरथी सर्किल)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
25	वन संरक्षक (गढ़वाल सर्किल)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
26	वन संरक्षक (पश्चिमी सर्किल)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
27	वन संरक्षक (दक्षिण कुमाऊं)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
28	वन संरक्षक (उत्तर कुमाऊं सर्किल)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
29	वन एवं संरक्षक निदेशक, नंदा देवी बायोस्फीयर अनुसंधान	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
30	वन संरक्षक (वन अनुसंधान)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
31	वन संरक्षक और निदेशक, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
32	वन संरक्षक और निदेशक, राजाजी नेशनल पार्क	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
33	वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
<b>पश्चिम बंगाल</b>		
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल के प्रमुख	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17
2	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 16
3	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान, निगरानी और विकास)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 16
4	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
5	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
6	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय और बंजर भूमि विकास)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15

7	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
8	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्तरी बंगाल)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
9	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सीएएमपीए व नोडल अधिकारी एफसीए)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
10	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वायोस्फीयर रिजर्व)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15
11	मुख्य वन संरक्षक (पश्चिम)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
12	मुख्य वन संरक्षक (निगरानी, मूल्यांकन एवं मृदा संरक्षण)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
13	मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
14	मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव (उत्तर)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
15	मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विकास)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
16	मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण और विस्तार)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
17	मुख्य वन संरक्षक (वित्त)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
18	मुख्य वन संरक्षक (कार्मिक प्रबंधन प्रकोष्ठ)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
19	मुख्य वन संरक्षक (लोक शिकायत, विधि और सूचना)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
20	मुख्य वन संरक्षक (राजपत्रित स्थापना)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
21	मुख्य वन संरक्षक (विशेष विकास परियोजना)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
22	मुख्य वन संरक्षक (एमआईएस और ई-गवर्नेंस)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
23	मुख्य वन संरक्षक, उत्तरी सर्किल	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
24	मुख्य वन संरक्षक, पहाड़ी सर्किल	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
25	मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी सर्किल	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
26	मुख्य वन संरक्षक, केन्द्रीय सर्किल	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
27	क्षेत्रीय निदेशक (बुक्सा टाइगर रिजर्व)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
28	क्षेत्रीय निदेशक (सुंदरबन टाइगर रिजर्व)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
29	मुख्य वन संरक्षक, दक्षिण पूर्व सर्किल	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14
30	मुख्य वन संरक्षक, दक्षिण पश्चिम सर्किल	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14

31	वन संरक्षक, वन्य जीव (उत्तर) सर्किल	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
32	वन संरक्षक, वन्य जीव (मुख्यालय) सर्किल	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
33	क्षेत्रीय निदेशक, एसबीआर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
34	वन संरक्षक (उत्तर-पश्चिम) सर्किल	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
35	वन संरक्षक (अनुसंधान) सर्किल	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
36	वन संरक्षक (विकास सर्किल)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
37	वन संरक्षक (कार्य योजना एवं जीआईएस मंडल)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
38	वन संरक्षक (मॉनिटरिंग सेल)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
39	वन संरक्षक, मृदा संरक्षण (उत्तरी मंडल)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
40	वन संरक्षक, पार्क एवं बगीचा	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
41	वन संरक्षक (दक्षिणी मंडल)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
42	संरक्षक, वन, प्रशासन, प्रचार और विपणन प्रकोष्ठ	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क
43	वन संरक्षक, भूमि कार्य मामले एवं एफसीए	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 क

### भाग (ख)

॥ ख. वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ते के पदों सहित राज्य सरकार के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान के पद (1.1.2016 की तिथि के अनुसार

- (1) राज्य काडर की चयन श्रेणी में पदों की संख्या, भारतीय वन सेवा की संवर्ग संख्या के नियतन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी मानकों के आधार पर होगी।
- (2) संबंधित राज्य सरकार अनुसूची के इस भाग में विनिर्दिष्ट किसी भी पद के लिए वैयक्तिक रूप में अथवा ऐसे पदों के समूह अथवा श्रेणी के काडर में विशेष भत्ता मंजूर करने के लिए सक्षम होगी।
- (3) किसी विशेष भत्ते की रकम जो खंड (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जाए, कनिष्ठ समय वेतनमान के पदों के लिए 400/- रु. ज्येष्ठ समय वेतनमान के पदों के लिए 600/-रु., कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के पदों के लिए 800/- रु. और चयन श्रेणी के पदों के लिए 1000/- रु. होगी।
- (4) सेवा के कनिष्ठ काल वेतनमान के पद अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं किन्तु ऐसे पदों से संबंधित किसी भी विशेष भत्ते की स्वीकृति के लिए यह संबंधित राज्य सरकार के प्राधिकार के भीतर होगा।

## आंध्र प्रदेश

उप वन संरक्षक	
अरुणाचल प्रदेश	
1	उप वन संरक्षक (क्षेत्रीय नामतः नामसाई, रोईंग, जैर्मपुर, द्विमाली, बंदेरदेवा, तेजू, पसीघाट, बोमडीला, अलोंग, हपोली, तावांग)
2	उप वन संरक्षक (समाजिक वानिकी)
3	उप वन संरक्षक (उद्योग)
4	उप वन संरक्षक (लघु वन उत्पत्ति/एनटीएफपी)
5	उप वन संरक्षक (जंगल विज्ञान)
6	उप वन संरक्षक (वन्य-जीव – नहारलागुण/सिजुसा/जेंगजिंग)
7	उप वन संरक्षक (जीव मंडल रिजर्व पर्यावरणीय पर्यटन)
	<b>गोवा</b>
1	उप वन संरक्षक (मुख्यालय)
2	उप वन संरक्षक (उत्तर)
3	उप वन संरक्षक (दक्षिण)
4	उप वन संरक्षक (कार्य योजना)
5	उप वन संरक्षक (पार्क, गार्डेन एवं सामाजिक वानिकी)
6	उप वन संरक्षक (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण)
7	उप वन संरक्षक (वन्य-जीव - दक्षिण)
8	उप वन संरक्षक (वन्य-जीव - उत्तर)
	<b>मिजोरम</b>
1	उप वन संरक्षक (ऐवल, चम्फाई, कोलासिब, लुंगलेई, क्वारठाह, दरलांग)
2	उप वन संरक्षक (कार्य योजना)
3	उप वन संरक्षक (वन्य-जीव)

	अंडमान एवं निकोबार प्रशासनिक
1	उप वन संरक्षक (योजना एवं मॉनिटरिंग)
2	उप वन संरक्षक (मिल)
3	उप वन संरक्षक (जंगल विज्ञान)
4	उप वन संरक्षक (कार्य योजना)
5	उप वन संरक्षक (वन्य-जीव)
6	उप वन संरक्षक (दक्षिण अंडमान, बाराटांग, मध्य अंडमान, उत्तर अंडमान, मायाबुन्दर, निकोबार, लिटिल अंडमान)
	दादर और नागर हवेली, दमन और दीव
1	उप वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
2	उप वन संरक्षक (वन्य-जीव)
3	वन संरक्षक, दमन और दीव
	दिल्ली
1	उप वन संरक्षक (उत्तर, दक्षिण, पश्चिम)
2	उप वन संरक्षक (प्रोटेक्शन एंड मॉनिटरिंग)
	पुदुचेरी
1	उप वन संरक्षक
	लक्ष्यद्विप
1	उप वन संरक्षक
	चंडीगढ़ प्रशासनिक
1	उप वन संरक्षक
2	उप वन संरक्षक (बोटनिकल गार्डेन एवं राष्ट्रीय रिजर्व)
	असम
1	उप वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

2	उप वन संरक्षक (वन्य-जीव)
3	उप वन संरक्षक (असम राज्य चिड़िया घर)
4	योजना कार्य अधिकारी
5	वन उपयोग अधिकारी
6	योजना अधिकारी
7	जंगल वैज्ञानिक
	<b>मेघालय</b>
1	उप वन संरक्षक (खासी हिल, जयन्तिया हिल, गारो हिल)
2	उप वन संरक्षक (प्रशिक्षण)
3	कार्य योजना अधिकारी
4	योजना अधिकारी
5	जंगल वैज्ञानिक
6	निदेशक, बलफाकरम राष्ट्रीय पार्क
7	उप वन संरक्षक (वन्य-जीव) (पूर्व एवं पश्चिम खासी हिल, वन्य-जीव प्रभाग)
8	उप वन संरक्षक (उपयोग)
9	उप वन संरक्षक (सामाजिक वानिकी)
	<b>बिहार</b>
1	उप वन संरक्षक, बांका वन मंडल, गया वन मंडल, मुंगेर वन मंडल, रोहतास वन मंडल, कैमूर वन मंडल, जमुई वन मंडल, औरंगाबाद वन मंडल, नवादा वन मंडल, मिथिला वन मंडल, पूर्णिया वन मंडल, सारण वन मंडल, तिरहुत वन मंडल, बेगूसराय वन मंडल, पटना वन मंडल
2	उप निदेशक, टाईगर रिजर्व, पश्चिम चम्पारण प्रभाग,
3	उप निदेशक, टाईगर रिजर्व, पश्चिम चम्पारण प्रभाग II
4	उप वन संरक्षक (कार्य योजना), पटना
5	वन, संजय गांधी बायोलोजिकल पार्क

6	वन संरक्षक, नालन्दा वन मंडल, भोजपुर वन मंडल, गोपालगंज वन मंडल, अररिया वन मंडल, अनुसंधान प्रशिक्षण एवं लोक संबंध प्रभाग
	<b>छत्तीसगढ़</b>
1	उप वन संरक्षक (टेरिटोरियल प्रभाग – विलासपुर, मारवाही, कोरवा, राजगढ़, कटघोड़ा, धर्मजयगढ़, जंजगीर-चम्पा, दुर्ग, कवार्धा, राजनन्दगांव, खैरागढ़ा, बस्तर, बीजापुर, सुकमा, दंतेबाड़ा, कंकेर, पूर्व भानुप्रतापपुर, पश्चिम भानुप्रतापपुर, नारायणपुर, उत्तर कोंडागांव, दक्षिण कोंडागांव, रायपुर, धामतरी, महासमुद्र, कोरिया, जशपुर, मनेन्द्रगढ़, बलोद बाजार, गरीयाबैंड बलरामपुर, सरगुजा, सूरजपुर, बलोड मुंगेली
2	निदेशक कंगारघाटी राष्ट्रीय पार्क जगदलपुर
3	निदेशक, गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क बैकुंठपुर
4	जिला वन अधिकारी, अनुसंधान एवं प्रसारण प्रभाग, विलासपुर
5	जिला वन अधिकारी, अनुसंधान एवं प्रसारण प्रभाग, जगदलपुर
6	उप निदेशक, इन्द्रावती राष्ट्रीय पार्क, बीजापुर
7	उप निदेशक, अचानकमा टाईगर रिजर्व, विलासपुर
8	उप निदेशक, उदंती सीतानंदी टाईगर रिजर्व, रायपुर
9	उप निदेशक, एलीफेंट रिजर्व, सरगुजा
	<b>गुजरात</b>
1	अभ्यारण्य अधीक्षक, ससान
2	उप वन संरक्षक, डांगस (दक्षिण)
3	उप वन संरक्षक, डांगस (उत्तर)
4	उप वन संरक्षक, बलसाड (उत्तर)
5	उप वन संरक्षक, वियारा
6	उप वन संरक्षक, राजपिपला (पूर्व )
7	उप वन संरक्षक, राजपिपला (पश्चिम)
8	उप वन संरक्षक, गोधरा
9	उप वन संरक्षक, बरिया

10	उप वन संरक्षक, सावरकंठा (उत्तर)
11	उप वन संरक्षक, बनसकंठा
12	उप वन संरक्षक, भावनगर
13	उप वन संरक्षक, जूनागढ़
14	उप वन संरक्षक, सुरेन्द्रनगर
15	उप वन संरक्षक, कछ (पूर्व)
16	उप वन संरक्षक, गिर (पश्चिम)
17	उप वन संरक्षक, गिर (पूर्व)
18	उप वन संरक्षक, एसएफ, नवसारी
19	उप वन संरक्षक, एसएफ, सूरत
20	उप वन संरक्षक, एसएफ, भरुच
21	उप वन संरक्षक, एसएफ, गोधरा
22	उप वन संरक्षक, एसएफ, नांदयाड
23	उप वन संरक्षक, एसएफ, अहमदाबाद
24	उप वन संरक्षक, एसएफ, बनसकंठा
25	उप वन संरक्षक, एसएफ, मेहसाना
26	उप वन संरक्षक, एसएफ, सावरकंठा
27	उप वन संरक्षक, एसएफ, सुरेन्द्रगढ़
28	उप वन संरक्षक, एसएफ, राजकोट
29	उप वन संरक्षक, एसएफ, जामनगर
30	उप वन संरक्षक, एसएफ, भावनगर
31	उप वन संरक्षक, बलसाढ़ (दक्षिण)
32	उप वन संरक्षक, एसएफ, कछ

33	उप वन संरक्षक, साबरकंठा (दक्षिण)
34	उप वन संरक्षक, प्रशासनिक, गांधीनगर
35	उप वन संरक्षक, आनन्द
36	प्रधानाचार्य, गुजरात राज्य रेंजर्स कॉलेज, राजपिपला
37	उप वन संरक्षक, अनुसंधान, गांधीनगर
	हरियाणा
1	उप वन संरक्षक (मोरनी)
2	उप वन संरक्षक (अंबाला)
3	उप वन संरक्षक (यमुना नगर)
4	उप वन संरक्षक(कुरुक्षेत्र)
5	उप वन संरक्षक (कैथल)
6	उप वन संरक्षक (करनाल)
7	उप वन संरक्षक (सोनीपत)
8	उप वन संरक्षक (गुडगांव)
9	उप वन संरक्षक (फरीदाबाद)
10	उप वन संरक्षक (रोहतक)
11	उप वन संरक्षक (महेन्द्रगढ़)
12	उप वन संरक्षक (भिवानी)
13	उप वन संरक्षक (हिसार)
14	उप वन संरक्षक (सिरसा)
15	उप वन संरक्षक (जींद)
16	उप वन संरक्षक (पानीपत)
17	उप वन संरक्षक (झज्जर)

18	उप वन संरक्षक (फतेहाबाद)
19	उप वन संरक्षक (रेवाड़ी)
20	उप वन संरक्षक (उत्पादन), यमुना नगर
21	उप वन संरक्षक (उत्पादन), कुरुक्षेत्र
22	उप वन संरक्षक (उत्पादन), करनाल
23	उप वन संरक्षक (उत्पादन), फतेहाबाद
	<b>हिमाचल प्रदेश</b>
1	उप वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) लाहौल
2	उप वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) बिलासपुर
3	उप वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) चम्बा
4	उप वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) धर्मशाला
5	उप वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) हमीरपुर
6	उप वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) कुल्लू
7	उप वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) मंडी
8	उप वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) नहान
9	उप वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) शिमला
10	उप वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) सोलान
11	उप वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) ऊना
12	उप वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) किन्नौर
13	उप वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) पाओन्या
14	उप वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) नालागढ़
15	उप वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) नूरपुर
16	उप वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) डलहौजी

17	उप वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) पालमपुर
18	उप वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) रामपुर
19	उप वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) सुन्दरनगर
20	उप वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) चोपाल
21	उप वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) रोहरू
22	उप वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) राजगढ़
23	उप वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) भारमौर
24	उप वन संरक्षक, योजना कार्य
25	उप वन संरक्षक, (वन्य-जीव) शिमला
26	उप वन संरक्षक, (वन्य-जीव) सहारण
27	उप वन संरक्षक, (वन्य-जीव) धर्मशाला
28	उप वन संरक्षक, (मुख्यालय)
<b>जम्मू एवं कश्मीर</b>	
1	उप वन संरक्षक (क्षेत्रीय), जम्मू, कठुआ, बिलावर, उद्यमपुर, रामनगर, राजौरी, नौसेरा, पुंछ, रियासी, मोहोर, बटोट, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, मरवाह, भद्रेवाह, जेवी वारामुल्ला, कामराज, पीर पंजाल, कहमाल, लंगेट, बंदीपोरा, गंडेरबाल, सोपियान, अनंतनाग, लिडर, लेह, कारगिल, जम्मू (एसएफ), कठुआ (एसएफ), डोडा (एसएफ), श्रीनगर (एसएफ), अनंतनाग (एसएफ), कार्य योजना- I और कार्य योजना- II
<b>झारखण्ड</b>	
1	उप वन संरक्षक (क्षेत्रीय वन मंडल – बोकारो, चाईबासा उत्तर, चाईबासा दक्षिण, छत्त्रा उत्तर, छत्त्रा दक्षिण, डालटेनगंज उत्तर मंडल देवघर, ढालभुम, धनबाद, दुमका, गढ़वा उत्तर, गढ़वा दक्षिण, गिरीडीह मंडल, गिरीडीह वनरोपण मंडल, गुमला हजारीबाग पूर्व, हजारीबाग पश्चिम, कोडरमा, कोलहान, लातेहार, पोरहट, रांची पूर्व, रांची पश्चिम, साहेबगंज, सरंडा, रामगढ़, जामतारा, गोड्डा, पाकुर, सिमडेगा एवं खुंटी)
2	उप वन संरक्षक, वन-जीव प्रभाग - रांची
3	उप वन संरक्षक, वन-जीव प्रभाग - हजारीबाग
4	उप वन संरक्षक और फील्ड निदेशक, हाथी परियोजन, जमशेदपुर

5	उप वन संरक्षक, बफर एरिया, पलामू टाईगर रिजर्व
6	उप वन संरक्षक, कोर एरिया, पलामू टाईगर रिजर्व
7	उप वन संरक्षक, योजना छात्र वनरोपण मंडल
8	उप वन संरक्षक, योजना छात्र वनरोपण मंडल
9	उप वन संरक्षक, प्रशिक्षण रांची
<b>कर्नाटक</b>	
1	उप वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
2	उप वन संरक्षक (वन्य-जीव)
3	उप वन संरक्षक (मुख्यालय)
4	उप वन संरक्षक (प्रशिक्षण)
<b>केरल</b>	
1	उप वन संरक्षक, क्षेत्रीय (तिरुवनंतपुर, थेनमाला, रन्नी, कोन्नी, कोट्यम, कोठामंगलम, मुन्नार, मलायातुर, चलाकुड़ी, श्रीसुर, पलकंड, नीलंबुर (उत्तर), वायानंद (उत्तर), पुनालुर एंड कुम्भुर
2	वन संरक्षक एवं वन्य-जीव वार्डेन (मुल्तान वैट्री एंड साइलेंट वैली)
3	उप वन संरक्षक (अनुसंधान) उत्तर एवं दक्षिण
4	उप वन संरक्षक (वन्य-जीव)
5	उप वन संरक्षक (प्रशासनिक)
6	उप वन संरक्षक (पारिस्थितिकीय विकास एवं जनजातीय कल्याण)
7	उप वन संरक्षक (संरक्षण)
8	उप निदेशक, परमविकुल्लम, पेरियार टाईगर रिजर्व (पूर्व एवं पश्चिम)
9	उप वन संरक्षक (विकास)
10	उप वन संरक्षक (एचआरडी)
11	उप वन संरक्षक (वन संसाधन)

12	उप वन संरक्षक, अनुसंधान उत्तर श्रिसुर एवं दक्षिण तिरुवनंतपुर
13	निदेशक एसएफटीआई, अरिप्पा एवं वालायर
14	उप वन संरक्षक (कार्य योजना) उत्तर, मध्य एवं दक्षिण

	<b>मध्य प्रदेश</b>
1	उप वन संरक्षक (क्षेत्रीय)- बडवाहा, बडवाणी, मुरैना, बुरहानपुर, धार, पूर्व छिन्दवाड़ा, पूर्व मंडला, सीधी, हरदा, खारगोन, मंडसौर, मोरेना, नीमच, उत्तर बालाघाट, उत्तर बैतूल, उत्तर पन्ना, उत्तर सागर, उत्तर शिवनी, उत्तर सहडोल, दक्षिण शहडोल, ओबेडुलागंज, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सेंधवा, सियोपुर, दक्षिण बालाघाट, दक्षिण बेतुल, दक्षिण पन्ना, दक्षिण सागर, दक्षिण सियोनी, दक्षिण छिन्दवाड़ा, शिवपुर, दतिया, अन्यपुर, अशोकनगर, उज्जैन, पश्चिम छिन्दवाड़ा, पश्चिम मंडला, पश्चिम बैतूल, सिंगराली, भिंड, होशंगाबाद, झाबुआ एवं अलीरापुर
2.	उप वन संरक्षक (उत्पादन), छिन्दवाड़ा, डिंडोरी, मंडला, दक्षिण बालाघाट, शिवनी बठोल, देवास और रायसेन
3.	उप वन संरक्षक (वन्य-जीव/टाईगर रिजर्व), पलपुर, कुनो और नौरादेही
4.	उप वन संरक्षक (दिल्ली डिपो), दिल्ली,
5.	उप वन संरक्षक, रेंजर्स कॉलेज, बालाघाट
6.	उप वन संरक्षक, मुख्यालय

	<b>महाराष्ट्र</b>
1	उप निदेशक (वन), सतर्कता और एंटी करप्शन ब्यूरो
2	उप वन संरक्षक (योजना एवं प्रबंधक वन्य-जीव)
3	उप वन संरक्षक (वन्य-जीव) नाशिक
4	उप वन संरक्षक (क्षेत्रीय), नागपुर, पुणे, औरंगाबाद, थाणे, अमरावती, पश्चिम नाशिक, नांदेड़, कोल्हापुर, वर्धा, गोंडिया, बान्द्रा, गडचिरोली, चन्द्रपुर, ब्रह्मपुरी, बरसा, अलापाली, भामरागढ़, सिरोंचा, मध्य चंठा, पूर्व मेलघट, पश्चिम मेलाघाट, अलीबाग, यवतमाल, पुसाड़, पंधारकबाड़ा, बुलदाना, अकोला, दुले, नंदुबार, जलगांव, यावल, मेवासी, परभानी, पूर्व नासिक, अहमदनगर, शाहपुर, दहानु, रोहा, जुन्नार, शोलापुर, सतारा, सावंतबाड़ी एवं जवहा
5	उप वन संरक्षक (भूमि रिकॉर्ड), पूर्वी क्षेत्र एवं पश्चिमी क्षेत्र
6	उप वन संरक्षक (मूल्यांकन)

7	उप वन संरक्षक (वन्य-जीव) अकोट, अलापल्ली, गोंडिया, थाणे, सिपना, गुगामल (मालघाट टाईगर रिजर्व), औरंगाबाद एवं अकोला
---	---

### मणिपुर

1	उप वन संरक्षक (मंडल) केंद्रीय, दक्षिणी, उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी, तेंगनौपाल, जिरीबाम, थौबाल, बिष्णुपुर, सेनापति
2	उप वन संरक्षक (अनुसंधान, वनवृक्ष विज्ञान और प्रशिक्षण)
3	उप वन संरक्षक (पार्क एवं अभ्यारण्य)
4	उप वन संरक्षक (प्रशासन एवं योजना)
5	उप वन संरक्षक (मृदा संरक्षण)
6	उप वन संरक्षक (कार्य योजना)
7	निदेशक, मणिपुर प्राणिविज्ञान

### नागालैंड

1	उप वन संरक्षक (क्षेत्रीय) दीमापुर, कोहिमा,
2	उप वन संरक्षक, कार्य योजना अधिकारी
3	उप वन संरक्षक, वन वर्धन अधिकारी
4	उप वन संरक्षक, मुख्यालय
5	उप वन संरक्षक/निदेशक (चिड़ियाघर)

### ओडिशा

1	उप वन संरक्षक, कोरापुर
2	उप वन संरक्षक, रयागढ
3	उप वन संरक्षक, जेयपुर
4	उप वन संरक्षक, मल्कानगिरी
5	उप वन संरक्षक, नौवरंगपुर
6	उप वन संरक्षक, पलखेमुंडी

7	उप वन संरक्षक, खरीयर
8	उप वन संरक्षक, बोलंगिर पूर्व
9	उप वन संरक्षक, बोलंगिरी पश्चिम
10	उप वन संरक्षक, सुंदरगढ़
11	उप वन संरक्षक, राऊरकेला
12	उप वन संरक्षक, संबलपुर (उत्तर)
13	उप वन संरक्षक, बारगढ़
14	उप वन संरक्षक, देवगढ़
15	उप वन संरक्षक, बोनाई
16	उप वन संरक्षक, बारीपड़ा
17	उप वन संरक्षक, संबलपुर (दक्षिण)
18	उप वन संरक्षक, कंरजिया
19	उप वन संरक्षक, कालाहांडी (उत्तर)
20	उप वन संरक्षक, कालाहांडी (दक्षिण)
21	उप वन संरक्षक, रैराखोल
22	उप वन संरक्षक, अथमलिक
23	उप वन संरक्षक, अंगुल
24	उप वन संरक्षक, देनकानल
25	उप वन संरक्षक, अथागंज
26	उप वन संरक्षक, कटक
27	उप वन संरक्षक, फुल्बानी
28	उप वन संरक्षक, नयागढ़
29	उप वन संरक्षक, खुर्दा
30	उप वन संरक्षक, क्योझर

31	उप वन संरक्षक, बालीगुड
32	उप वन संरक्षक, घुमसार (दक्षिण)
33	उप वन संरक्षक, घुमसार (उत्तर)
34	उप वन संरक्षक, बौद्ध
35	उप वन संरक्षक, केंद्र लीफ
36	उप वन संरक्षक, वन्य जीव
37	उप वन संरक्षक, मुख्यालय

### पंजाब

1	उप वन संरक्षक, रोपड (क्षेत्रीय)
2	उप वन संरक्षक, होशियारपुर (क्षेत्रीय)
3	उप वन संरक्षक, दसुया (क्षेत्रीय)
4	उप वन संरक्षक, लुधियाना (क्षेत्रीय)
5	उप वन संरक्षक, जालंधर (क्षेत्रीय)
6	उप वन संरक्षक, अमृतसर (क्षेत्रीय)
7	उप वन संरक्षक, गुरदासपुर (क्षेत्रीय)
8	उप वन संरक्षक, फिरोजपुर (क्षेत्रीय)
9	उप वन संरक्षक, पटियाला (क्षेत्रीय)
10	उप वन संरक्षक, भटिंडा (क्षेत्रीय)
11	उप वन संरक्षक, संगरूर (क्षेत्रीय)
12	उप वन संरक्षक, (वन्यजीव) पाठनकोट
13	उप वन संरक्षक, (वन्यजीव) होशियारपुर
14	उप वन संरक्षक, (वन्यजीव) रोपड
15	उप वन संरक्षक, (क्षेत्रीय)
16	उप वन संरक्षक, एस.ए.एस. नगर (क्षेत्रीय)

17	उप वन संरक्षक, मुक्तासर (क्षेत्रीय)
18	उप वन संरक्षक, पाठनकोट (क्षेत्रीय)
19	उप वन संरक्षक, जुलाजिकल पार्क

### राजस्थान

1	उप वन संरक्षक (क्षेत्रीय) अजमेर जिला मुख्यालय, अलवर, बारन, बरमेर, डूंगरपुर, भरतपुर, भीलवाडा, बीकानेर, बुंदी, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, धोलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, झालावर, झुंझनू, करौली, कोटा, पाली, नागौर, प्रतापगढ़, राजसामंद, सीकर, सिरोही, श्री गंगासागर, स्वेमधपुर, टोंक और उदयपुर
2	उप वन संरक्षक (वन्यजीव), भरतपुर, जयपुर, रणथम्भौर और सिरीस्का
3	उप वन संरक्षक (हार्वस्टिंग आपरेशन) बिकानेर, सुरतगढ़ और उदयपुर
4	कार्यकारी योजना अधिकारी, उदयपुर, कोटा, जयपुर और बिकानेर

### सिक्किम

1	उप वन संरक्षक, (क्षेत्रीय), पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण
2	उप वन संरक्षक, (वन्यजीव), उत्तर पूर्व
3	उप वन संरक्षक, (कार्य योजना)
4	उप वन संरक्षक, (मृदा सरंक्षण)
5	सीसीएफ और उप वन संरक्षक के तकनीकी सहायक

### तमिलनाडु

1	उप वन संरक्षक एव उप निदेशक, एएजेडपी
2	उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, मदुराई
3	उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, तिरुनेल्वेली
4	उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, त्रिची
5	उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, वेल्लोर
6	उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, विरुद्धुनगर
7	उप वन संरक्षक – (क्षेत्रीय) अत्तुर, कोयम्बतूर, धर्मपुरी, डिंडीगुल, इरोडे, गुदलपुर, हरूर, होसुर, कहलाकुरू, रीचि, कांचीपुरम, कन्याकुमारी, कोडाईकनाल, मदुराई, नमककाल, नीलगिरी (उत्तर) नीलगिरी (दक्षिण),

	पुदुकोटाई, सलेम, सत्यामंगलम, शिवगंगे, तंजाउर, तेनी, धुधुकुटी, तिरुनेलवेली, तिरुप्पाटुर, तिरुवलुर, तिरुवन्मलाई, त्रिची, वेलुरु, विल्लतुपुरम।
8	वन्यजीव वार्डन, चैन्नई
9	वन्यजीव वार्डन, नगाई
10	उप वन्यजीव वार्डन, रामानाथपुरम

## तेलंगाना

1	उप वन संरक्षक
---	---------------

## त्रिपुरा

1	उप वन संरक्षक (मुख्यालय)
2	उप वन संरक्षक (ईएपी)
3	उप वन संरक्षक (राष्ट्रीय पार्क निदेशक)
4	उप वन संरक्षक (वनोपयोग)
5	उप वन संरक्षक (कार्य योजना प्रभाग)
6	उप वन संरक्षक (अनुसंधान प्रभाग)
7	उप वन संरक्षक (प्रशिक्षण प्रभाग)
8	उप वन संरक्षक (योजना एवं विकास)
9	उप वन संरक्षक (सुरक्षा एवं एफसीए)
10	उप वन संरक्षक (आईटी एवं सांख्यिकी)
11	उप वन संरक्षक (जिला वन अधिकारी, उत्तरी जिला)
12	उप वन संरक्षक (जिला वन अधिकारी, धलाई जिला)
13	उप वन संरक्षक (जिला वन अधिकारी, पश्चिमी जिला)
14	उप वन संरक्षक (जिला वन अधिकारी, दक्षिणी जिला)
15	उप वन संरक्षक (अपर जिला वन अधिकारी, धलाई जिला)
16	उप वन संरक्षक (अपर जिला वन अधिकारी, उत्तरी जिला)
17	उप वन संरक्षक (अपर जिला वन अधिकारी, पश्चिमी जिला)

18	उप वन संरक्षक (अपर जिला वन अधिकारी, दक्षिण जिला)
19	उप वन संरक्षक (एनटीएफपी/आई/सी औषधीय पौधे)

## उत्तर प्रदेश

1	उप वन संरक्षक (क्षेत्रीय) – अगरा, अलीगढ़, इलाहबाद, लखनऊ, अजामगढ़, अम्बेडकर नगर, बदायू, बहराइच, बलिया, बांदा, बाराबांकी, बरैली, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, झांसी, चित्रकुट, देवना, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जौनपुर, कानपुर, ललितपुर, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुज्जफरनगर, महोबा, उत्तरी खिरी, दक्षिण खीर, ओबरा, सामाजिक वानकी प्रभाग, पीलभीत, पड़रौना (कुशीनगर), प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, रेणुकूट, सहारनपुर, शाहाजहांपुर, ओरला (जालौन), सीतापुर, सोनभद्रा, सुल्तानपुर, शिवालिक, उन्नाव, वाराणसी, काशी वन्यजीव, कटरनीय घाट, वनजीवन बहरिच, सोहेल्वा वनजीवन, सोहागीबरवा वन्यजीवन, सरस्वती, सिद्धार्थनगर, गौतमबुद्धनगर (नोएडा)
2	मुख्य वन संरक्षक के उप वन संरक्षक, लखनऊ

## उत्तराखण्ड

1	उप वन संरक्षक (क्षेत्रीय) बांगेश्वर, अल्मोड़ा, पिथोरागढ़, चम्पावत, तराई मध्य, तराई पश्चिम, हल्द्वानी, तराई पूर्व, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, मसूरी, नैनीताल, रामनगर, चक्राता, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गढ़वाल, लेंसडाउन, नरेंद्रनगर, हरीद्वार, टोन्स, कालागढ़ और रुद्रप्रयाग
2	कार्य योजना अधिकारी-1, नैनीताल
3	कार्य योजना अधिकारी-2, नैनीताल
4	उप वन संरक्षक (अनुसंधान)
5	उप वन संरक्षक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क
6	उप वन संरक्षक, कार्बेट टाइगर रिजर्व
7	उप वन संरक्षक एवं उप निदेशक, प्रशिक्षण अकादमी
8	उप वन संरक्षक, नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व
9	उप वन संरक्षक (जांच एवं मूल्यांकन)
10	उप वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी एवं आधुनिकीकरण)

## पश्चिम बंगाल

1	उप वन संरक्षक, बैकुंठपुर मंडल
---	-------------------------------

2	उप वन संरक्षक, बांकुड़ा (उत्तरी) मंडल
3	उप वन संरक्षक, बांकुड़ा (उत्तरी) मंडल
4	उप वन संरक्षक, वीरभूम मंडल
5	उप वन संरक्षक, बर्दमान मंडल
6	उप वन संरक्षक, दार्जिलिंग मंडल
7	उप वन संरक्षक, जलपाईगुड़ी मंडल
8	उप वन संरक्षक, कुर्सियांग मंडल
9	उप वन संरक्षक, मालदा मंडल
10	उप वन संरक्षक, मिदनापुर मंडल
11	उप वन संरक्षक, झारग्राम मंडल
12	उप वन संरक्षक, नदिया मुर्शिदाबाद
13	उप वन संरक्षक, 24-परगना (दक्षिण) मंडल
14	उप वन संरक्षक, पुरुलिया (उत्तरी) मंडल
15	उप वन संरक्षक, कंसाबती (उत्तरी) मंडल
16	उप वन संरक्षक, कुर्सियांग भू संरक्षण मंडल
17	उप वन संरक्षक, कलिमपोंग भू संरक्षण मंडल
18	उप वन संरक्षक, कार्यकारी योजना (उत्तरी) मंडल
19	उप वन संरक्षक, वनवर्धन (दक्षिण) मंडल
20	उप वन संरक्षक, वनवर्धन (उत्तरी) मंडल
21	उप वन संरक्षक, वनवर्धन हिल मंडल
22	उप वन संरक्षक, मनिटरिंग (उत्तर) मंडल
23	उप वन संरक्षक, मानिटरिंग (दक्षिण) मंडल
24	उप वन संरक्षक, योजना मंडल
25	उप वन संरक्षक, सांख्यिकी मंडल

26	मुख्य सहायक वन संरक्षक
27	उप वन संरक्षक, वन्यजीव मुख्यालय
28	उप वन संरक्षक, वन्यजीव -I मंडल
29	उप वन संरक्षक, वन्यजीव - II मंडल
30	उप वन संरक्षक, वन्यजीव - III मंडल
31	उप क्षेत्र निदेशक, बक्सा टाइगर रिजर्व (पूर्व)
32	उप क्षेत्र निदेशक, बक्सा टाइगर रिजर्व (पश्चिम)
33	उप क्षेत्र निदेशक, सुंदरवन टाइगर रिजर्व
34	निदेशक (पश्चिम बंगाल वन विद्यालय)
35	प्रभागीय वन अधिकारी, शहरी एवं मनोरंन वानिकी मंडल

**भाग (ग)**

सेवा के किसी सदस्य द्वारा धारण किए जाने पर केन्द्र सरकार के तहत टाइम स्केल में वेतन के अलावा केन्द्रीय (पदावधि पर प्रतिनियुक्ति) भत्तों से अधिक वेतन धारण करने वाले पद (01.01.2016 के स्थिति के अनुसार)।

पद का विवरण	वेतन/वेतनमान	केन्द्रीय (पदावधि पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता
(1)	(2)	(3)
सचिव, भारत सरकार/विशेष सचिव, भारत सरकार*	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17	---
अपर सचिव, भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15	---
संयुक्त सचिव, भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14	---
निदेशक, भारत सरकार	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13	अधिकतम एक हजार रूपए प्रति माह के अध्यधीन मूल वेतन का 15 प्रतिशत*
उप सचिव, भारत सरकार	वेतन ग्रेड: वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 अथवा कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड: वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12	अधिकतम एक हजार रूपए प्रति माह के अध्यधीन मूल वेतन का 15 प्रतिशत* और आगे शर्त है कि वेतन तथा केन्द्रीय (कार्यकाल पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता अधिकतम वेतनमान अधिक नहीं होगा

अवर सचिव, भारत सरकार	कनिष्ठ प्रशासनिक वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 अथवा वरिष्ठ टाइम स्केल वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11	अधिकतम आठ सौ रूपए प्रति माह के अध्यधीन मूल वेतन का 15 प्रतिशत* और आगे शर्त है कि वेतन तथा केंद्रीय (कार्यकाल पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता अधिकतम वेतनमान अधिक नहीं होगा
----------------------	---	--

\* उक्त उद्देश्यों के लिए गठित समिति द्वारा जब तक सीडीटीए पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक सीडीटीए को मौजूदा वेतनमान में मौजूदा दरों पर भुगतान किया जाएगा जैसे कि दिनांक 1 जनवरी, 2016 से वेतन का संशोधन नहीं हुआ हो।

टिप्पणी:- सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित अवधि के लिए सेवा के सदस्यों को नियम में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय (पदावधि पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता का भुगतान किया जाएगा।

### अनुसूची - III

#### वेतन मैट्रिक्स (दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी)

वेतन बैंड	15600-39100			37400-67000	37400-67000		67000-79000	75500-80000	80000
ग्रेड	5400	6600 (एसटीएस)	7600 (जेएजी)	8700 (चयन ग्रेड)	8900	10000	-	-	-
स्तर	10	11	12	13	13क	14	15	16	17
1	56100	67700	78800	118500	131100	144200	182200	205400	225000
2	57800	69700	81200	122100	135000	148500	187700	211600	
3	59500	71800	83600	125800	139100	153000	193300	217900	
4	61300	74000	86100	129600	143300	157600	199100	224400	
5	63100	76200	88700	133500	147600	162300	205100		
6	65000	78500	91400	137500	152000	167200	211300		
7	67000	80900	94100	141600	156600	172200	217600		
8	69000	83300	96900	145800	161300	177400	224100		
9	71100	85800	99800	150200	166100	182700			
10	73200	88400	102800	154700	171100	188200			
11	75400	91100	105900	159300	176200	193800			
12	77700	93800	109100	164100	181500	199600			
13	80000	96600	112400	169000	186900	205600			
14	82400	99500	115800	174100	192500	211800			
15	84900	102500	119300	179300	198300	218200			

16	87400	105600	122900	184700	204200				
17	90000	108800	126600	190200	210300				
18	92700	112100	130400	195900	216600				
19	95500	115500	134300	201800					
20	98400	119000	138300	207900					
21	101400	122600	142400	214100					
22	104400	126300	146700						
23	107500	130100	151100						
24	110700	134000	155600						
25	114000	138000	160300						
26	117400	142100	165100						
27	120900	146400	170100						
28	124500	150800	175200						
29	128200	155300	180500						
30	132000	160000	185900						
31	136000	164800	191500						
32	140100	169700	197200						
33	144300	174800	203100						
34	148600	180000	209200						
35	153100	185400							
36	157700	191000							
37	162400	196700							
38	167300	202600							
39	172300	208700							
40	177500								

## विकल्प फार्म

[नियम 6 देखें]

\*1. मैं, \_\_\_\_\_ एतद्वारा 1 जनवरी, 2016 की  
तारीख से संशोधित वेतन का चयन करता हूँ।

\*2. मैं \_\_\_\_\_ एतद्वारा निम्नलिखित यूनिट में उल्लिखित अपने मूल/कार्यवाहक पद पर वेतन बैंड और ग्रेड वेतन को जारी रखना चाहता हूं।

\* मेरी अगली वेतनवृद्धि/तदनंतर वेतनवृद्धि की तारीख जिससे मेरा वेतन बढ़कर \_\_\_\_\_ रु. हो जाएगा/ मैं मौजूदा वेतन संरचना में वेतन लेना रोक रहा हूँ/मेरी पदोन्नति/पदोन्नयन की तारीख \_\_\_\_\_ मौजूदा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

नाम \_\_\_\_\_

पदनाम \_\_\_\_\_

कार्यालय जहां कार्यरत है \_\_\_\_\_

\* यदि लागू न हो, तो काट दें।

### वचन

मैं एतद्वारा यह वचन देता हूं कि इन नियमों में दिए गए प्रावधानों से असंगत रीति से नियत किए जाने पर, बाद में ध्यान में आने पर इस प्रकार मुझे किया गया भुगतान मुझे देय भावी भुगतान के लिए समायोजन कर या अन्यथा मेरे द्वारा सरकार को वापस कर दिया जाएगा।

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

“|नाम \_\_\_\_\_

पदनाम \_\_\_\_\_

दिनांक:

स्थान:

### प्रोफर्मा- क

#### [अनुसूची 1-(8)]

राज्य वन बल के अधिकारियों के वेतन निर्धारण के संबंध में प्रपत्र जिनको भारतीय वन सेवा के संवर्ग पदों पर स्थानापन्न के लिए नियुक्त किया गया है अथवा भारतीय वन सेवा में नियुक्त किया गया है।

1. अधिकारी का नाम :
2. भारतीय वन सेवा/संवर्ग पद में स्थानापन्न की नियुक्ति की तिथि :
3. भारतीय वन सेवा में ऐसी नियुक्ति से तत्काल पहले वाले पद का पदनाम:
4. भारतीय वन सेवा अथवा संवर्ग पद पर स्थानापन्न की तिथि पर राज्य वन सेवा में आहरित वेतन तथा वेतनमान :
5. क्रम संख्या 3 पर उल्लिखित पद पर क्या अधिकारी वास्तविक था अथवा स्थानान्तरण पर था :

6. यदि तीन वर्ष से कम के लिए स्थानापन्न पर था तो वास्तविक पद क्या था :
7. वास्तविक पद का वेतन एवं वेतनमान अथवा जिस पद पर तीन अथवा अधिक वर्ष से निरंतर निर्धारित पद्धति के पालन के पश्चात् स्थानापन्न थे :
8. सेवा में नियुक्ति से पहले अधिकारी के सभी पदों का विवरण इन पदों पर आहरित वेतन तथा वेतनमान :
9. क्या क्रम संख्या 4 एवं 7 में संदर्भित वेतनमान 1.1.2016 को लागू थे :
10. यदि हाँ तो निम्न के संदर्भ में महंगाई भत्ता क्या था
  - (क) वास्तविक पद :
  - (ख) स्थानापन्न पद :

(1.1.2016 को लागू महंगाई भत्ते की दर पर तथा भारतीय वन सेवा/भारतीय वन सेवा में स्थानापन्न के लिए नियुक्ति की तिथि पर लागू महंगाई भत्ता दरों के संदर्भ में नहीं)
11. यदि क्रम संख्या 9 का उत्तर नहीं है तो वेतनमान 1.1.2006 के बाद पहली बार कब संशोधित किया गया था तथा क्रम संख्या 7 पर संदर्भित पदों के लिए पूर्व संशोधित वेतनमान क्या था ।
12. 1.1.2016 के बाद संस्वीकृत महंगाई भत्ता/महंगाई वेतन/अंतरिक राहत कितनी थी तथा क्रम संख्या 7 में संदर्भित पद के वेतनमान के साथ आमेलन के पश्चात् यह राशि कितनी थी ।
13. राज्य वन सेवा के समूह 'क' अथवा वर्ग 1 में पूरे किए गए वर्षों की संख्या
14. वेतन के निर्धारण के लिए राज्य सरकार का प्रस्ताव एवं उसका आधार

\*\*\*\*\*

#### स्पष्टीकारक ज्ञापन

केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय सेवाओं के वेतनमानों में संशोधन के संबंध में भारत सरकार के दिनांक 25 जुलाई, 2016 के संकल्प संख्या 1-2/2016-आईसी में यथा समाहित संशोधित अनुमोदन सहित दिनांक 01 जनवरी, 2016 से सातवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुमोदित संशोधन सहित छठे केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन का निर्णय लिया है। इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 2007 को तदनुसार 01 जनवरी, 2016 से संशोधित किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने पर भारतीय वन सेवा के किसी भी सदस्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

[फा. सं. 14021/5/2016-अ.भा.से.-II]

कविता. वी. पद्मनाभन, उप-सचिव

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**  
**(Department of Personnel and Training)**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th September, 2016

**G.S.R. 924(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) and in supersession of the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2007, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules, namely:—

**1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2016.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1<sup>st</sup> day of January, 2016.

**2. Definitions.**— In these rules, unless the context otherwise requires:—

- (i) “basic pay” in the revised pay structure means the pay drawn in the specified Level in the Pay Matrix;
- (ii) “benchmark score” shall mean the minimum numerical weighted mean score arrived at for overall grading above which an officer shall be regarded as fit for promotion or empanelment, as the case may be, to the next higher grade;
- (iii) “cadre” and “cadre posts” shall have the meanings respectively assigned to them in the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966;
- (iv) “departmental examination” means such examination as may be prescribed by the State Government from time to time for members of the Service allotted to the cadre of the State or posted to that State for training;
- (v) “direct recruit” means a person appointed to the Indian Forest Service in accordance with rule 7 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966;
- (vi) “existing basic pay” means the pay drawn in the existing Pay Band and Grade Pay or pay in the existing scale;
- (vii) “existing emoluments” means the sum of (i) existing basic pay and (ii) existing dearness allowance at index average as on the 1<sup>st</sup> day of January, 2016;
- (viii) “existing Pay Band and Grade Pay” in relation to a member of service means the pay in the Pay Band and the Grade Pay applicable to the post held by the member of service as on the date immediately before the notification of these rules whether in a substantive capacity or in officiating capacity;
- (ix) “existing pay structure” in relation to a member of service means the present system of Pay Band and Grade Pay or the Pay Scale applicable to the post held by the member of service as on the date immediately before the coming into force of these rules whether in a substantive or officiating capacity;
- (x) “existing scale” in relation to a member of service means the pay scale applicable to the post held by the member of service as on the date immediately before the publication of these rules in the Higher Administrative Grade, Higher Administrative Grade Plus and Apex Scale whether in a substantive or officiating capacity;
- (xi) “Level in the Pay Matrix” shall mean the Level corresponding to the existing Pay Band and Grade Pay or scale specified in the Pay Matrix in Schedule III;
- (xii) “lien” means the title of a member of the Service to hold on regular basis, either immediately or on the termination of a period or periods of absence, a post, including a tenure post, to which he has been appointed on regular basis and on which he is not on probation;
- (xiii) “Member of the Service” means a member of the Indian Forest Service;
- (xiv) ‘Officiation’ means an officer performing the duties of a post on which another member of the Service holds a lien and it includes an officer appointed by the Government in officiating capacity in a vacant post in which no other member of the Service holds the lien;
- (xv) “Pay in the Level” means pay drawn in the appropriate Cell of the Level as specified in the Pay Matrix;

(xvi) “Pay Matrix” means the Matrix specified in the Schedule III with Levels of pay arranged in vertical cells as assigned to corresponding existing Pay Band and Grade Pay or scale;

(xvii) “Personal pay” means additional pay granted to a member of the Service –

- (a) to save him from a loss in his substantive pay in respect of a permanent post other than a tenure post due to a revision of pay or due to any reduction of such substantive pay otherwise than as a disciplinary measure; or
- (b) in exceptional circumstances, on other personal considerations;

(xviii) “promoted officer” means an officer appointed to the Indian Forest Service by promotion from a State Forest Service in accordance with sub-rule (1) of rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966;

(xix) “promotion” means appointment of a member of the Service to the next higher grade over the one in which he is serving at the relevant time;

(xx) “revised pay structure” in relation to any post specified in Schedule II means the Pay Matrix and the Levels specified therein corresponding to the existing Pay Band and Grade Pay or scale of the post unless a different revised Level is notified separately for that post;

(xxi) “revised emoluments” means the pay in the Level of a pay of a member of the Service in the revised pay structure or the basic pay in the Apex scale;

(xxii) “Schedule” means the Schedule appended to these rules;

(xxiii) “Service” means the Indian Forest Service;

(xxiv) “State” means a State specified in the First Schedule to the Constitution and includes an Union territory;

(xxv) “State Cadre” and “Joint Cadre” shall have the meanings respectively assigned to them in the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966;

(xxvi) “State Forest Service” shall have the meaning assigned to it in the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966; and

(xxvii) “State Government concerned” in relation to a Joint Cadre means the Joint Cadre Authority.

**Note 1.**—The benchmark score shall be notified by the State Government for promotion within the cadre and by the Central Government for the purpose of empanelment and any revision of benchmarks by the Government shall have prospective effect.

**Note 2.**—The junior-most person(s) in the grade will, however, be liable to be reverted to the lower grade if the number of members of the Service entitled to hold the regular posts is more than the number of posts available in that grade.

**3. Levels in the Pay Matrix and appointment in these Levels.**— (1) Pay Matrix- The Level of pay in the Pay Matrix admissible to a member of Service which shall be deemed to have come into force from the 1<sup>st</sup> day of January, 2016 shall be as follows:-

<b>(A) Junior Scale:</b>	<b>Level 10 in the Pay Matrix</b>
<b>(B) Senior Scales-</b>	
(i) <b>Senior Time Scale:</b>	<b>Level 11 in the Pay Matrix</b>
(ii) <b>Junior Administrative Grade:</b>	<b>Level 12 in the Pay Matrix</b>
(iii) <b>Selection Grade:</b>	<b>Level 13 in the Pay Matrix</b>
<b>(C) Super Time Scale:</b>	
(i) <b>Conservator of Forests:</b>	<b>Level 13A in the Pay Matrix</b>
(ii) <b>Chief Conservator of Forests:</b>	<b>Level 14 in the Pay Matrix</b>

**(D) Above Super Time Scale:**

(i)	<b>Additional Principal Chief Conservator of Forests: HAG</b>	<b>Level 15 in the Pay Matrix</b>
(ii)	<b>HAG+ Scale:</b>	<b>Level 16 in the Pay Matrix</b>
(iii)	<b>Apex Scale:</b>	<b>Level 17 in the Pay Matrix</b>

**Note 1.**—Appointment of a member of the Service to the Senior Time Scale and above shall be regulated as per the provisions in the Guidelines regarding promotion to various grades in the Indian Forest Service and any member of the Service shall be eligible for appointment to the Senior Time Scale on his completion of four years of service, subject to the provisions of sub-rule (2) of rule 6A of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966 and to the Junior Administrative Grade on completion of nine years of service, to the Selection Grade on completion of thirteen years of service, to the Conservator of Forests (Super Time Scale) on completion of fourteen years of service and to the Chief Conservator of Forests (Super Time Scale) on completion of eighteen years of service.

**Note 2.**—The four years, nine years, thirteen years, fourteen years and eighteen years of service in this rule shall be calculated from the year of allotment assigned to him under rule 3 of the Indian Forest Service (Regulation of Seniority) Rules, 1966.

**Note 3.**—The period of extraordinary leave taken otherwise than on medical certificate or considered by the State Government concerned to have been taken for any cause beyond the control of the member of the Service or for pursuing studies, which are in public interest and for which Study Leave could otherwise be admissible under the All India Service (Study Leave) Regulations, 1960, shall be excluded for the purpose of calculating the eligibility period of service required for appointment in these grades.

*Explanation 1.* - The option to retain the existing pay structure shall be admissible only in respect of one existing Pay Band and Grade Pay or scale.

*Explanation 2.* - The aforesaid option shall not be admissible to any person appointed to the Service on or after the 1st day of January, 2016 and he shall be allowed pay only in the revised pay structure.

*Explanation 3.* - Where a member of the Service exercises an option to retain the existing pay structure in respect of a post held by him in an officiating capacity on a regular basis for the purpose of regulation of pay in that structure, his substantive pay shall be the substantive pay which he would have drawn had he retained the existing pay structure in the permanent post on which he holds lien or would have held a lien, had his lien not been suspended or the pay of the officiating post which has acquired the character of substantive pay in accordance with any order for the time being in force whichever is higher.

(2)(i) Appointment to the Selection Grade and to posts carrying pay above Selection Grade in the Indian Forest Service shall be made by selection on merit, as per criteria that may be prescribed by the Central Government, with due regard to seniority.

(ii) Appointment of a member of the Service in the Level of Selection Grade and above shall be subject to availability of vacancies in these grades and for this purpose, it shall be mandatory upon the State Cadres or the Joint Cadre Authorities, as the case may be, to seek prior concurrence of the Central Government on the number of available vacancies in each grade and any appointments made without obtaining the prior concurrence of Government of India shall be liable for cancellation.

(iii) The Central Government shall accord such concurrence within a period of thirty days from the date of receipt of such references and if the Central Government does not accord concurrence within a period of said thirty days, the concurrence on availability of vacancies shall be deemed to have been accorded and the position emanating as referred to this clause shall be placed before the Screening Committee at the time it meets to consider promotion in these grades.

(iv) A member of the Service shall be entitled to draw pay in the scales of Selection Grade and above only on appointment to these grades.

Provided that a member of the service shall be appointed to the Junior Administrative Grade only after he has completed phase III mandatory Mid Career Training Programme with effect from the date on which he would have been eligible for appointment in the Junior Administrative Grade if not for completion of the mandatory Mid Career Training Programme:

Provided further that a member of the Service shall be appointed to the Super Time Scale (ii) only after he has completed phase IV mandatory Mid Career Training Programme as prescribed with effect from the date on which he

would have been eligible for appointment in the Super Time Scale(ii) if not for completion of the mandatory Mid Career Training Programme:

Provided also that a member of Service, who has less than three years of service after the year in which he has been slotted to undergo Phase III, Phase IV or Phase V of Mid-Career Training, would not be sent for mandatory mid-career training programme.

**Note 1:** Whenever any Indian Administrative Service officer of a particular batch is posted at the Centre to a Level 10, 11, 12 or Level 13, 14 of the Pay Matrix the members of the Service, who are senior to such Indian Administrative Service officer by two years or more and have not so far been promoted to that particular level, shall be granted the same Level on non-functional basis in their respective State cadres from the date of posting of the Indian Administrative Service officer at the Centre in that particular Level and in the case of those members of the Service who are posted at the Centre, at the time of grant of Non-Functional upgradation, their basic pay will be fixed by granting one increment in the existing pay in the applicable existing Level subject to the minimum of the Level of non-functional upgradation, and they will not be granted pay at the higher Level as the case may be. Such officers will continue getting the pay of the post against which they have been appointed at the Centre under the Central Staffing Scheme along with Central Deputation Tenure Allowance (CDTA), wherever applicable.

**Note 2:** The post of Principal Chief Conservator of Forest in the apex scale (Level 17) shall be filled by selection from amongst the officers holding the post of Principal Chief Conservator of Forest in the State cadre in the Level 16 of the Pay Matrix.

**4. Fixation of pay in the revised pay structure.** - The initial pay of a member of the Service who opts or deemed to have opted in accordance with these rules, to be governed by the revised pay structure on and from the 1st day of January, 2016 or from a later date, which shall be re-fixed as from that date separately in respect of his substantive pay in the permanent post on which he holds a lien or would have held a lien if it had not been suspended, and in respect of his pay in the officiating post held by him, in the following manner:-

(A) In the cases of all members of the Service,-

- (i) the pay in the applicable Level in the **Pay Matrix** shall be the pay obtained by multiplying the existing basic pay by a **factor of 2.57**, rounded off to the nearest rupee and the figure so arrived at will be located in that Level in the Pay Matrix and if such an identical figure corresponds to any Cell in the applicable Level of the Pay Matrix, the same shall be the pay, and if no such Cell is available in the applicable Level, the pay shall be fixed at the immediate next higher Cell in that applicable Level of the Pay Matrix;
- (ii) if the minimum pay or the first Cell in the applicable Level is more than the amount arrived at as per (i) above, the pay shall be fixed at the minimum pay or the first Cell of that applicable Level.

Provided that-

- (a) where, in the fixation of pay, the pay of members of the Service drawing pay at two or more stages in pre-revised Pay Band and Grade Pay or scale, as the case may be, get fixed at same Cell in the applicable Level the Pay Matrix, one additional increment shall be given for every two stages bunched and the pay of member of Service drawing higher pay in pre-revised structure shall be fixed at the next vertical Cell in the applicable Level;
- (b) For this purpose, pay drawn by two members of the Service in a given pay Band and Grade Pay or scale where the higher pay is at least 3 % more than the lower pay shall constitute two stages. Officers drawing pay where the difference is less than 3% shall not be entitled for this benefit. (Illustration before Schedule-I)
- (c) if by stepping up of the pay as above, the pay of a member of Service gets fixed at a stage in the revised pay structure which is higher than the stage in the revised pay structure at which the pay of a member of the Service who was drawing pay at the next higher stage or stages in the same existing pay structure is fixed, the pay of the latter shall also be stepped up to the extent by which it falls short of that of the former.

- (B) In the case of a member of the Service, who was on the 1st day of January, 2016 on deputation out of India or on leave or on foreign service, or who would have on that date officiated in one or more lower posts but for his officiating in a higher post, the "existing pay structure" includes the pay in the pay band and grade pay applicable to the post to which he would have held but for his being on deputation out of India or on leave or on foreign service or, as the case may be, but for his officiating in a higher post.

(C) In the case of members of the Service who are in receipt of special pay or allowance in addition to pay in the existing pay structure which has been recommended for replacement by a pay in the applicable Level of the Pay Matrix without any special pay or allowance, pay shall be fixed in the revised pay structure in accordance with the provisions of clause (A) above.

(D) In the case of members of the Service who are in receipt of special pay component with any other nomenclature in addition to pay in the existing pay structure, such as personal pay for promoting small family norms, Central (Deputation on Tenure) Allowance, etc., and in whose case the same has been replaced in the revised pay structure with corresponding allowance or pay at the same rate or at a different rate, the pay in the revised pay structure shall be fixed in accordance with the provisions of clause (A) above and in such cases, the allowance at the new rate as recommended shall be drawn in addition to pay in the revised pay structure from the date specified in the individual notifications related to these allowances.

**Note 1.**-A member of the Service under suspension, shall continue to draw subsistence allowance based on existing pay structure and his pay in the revised pay structure shall be subject to the final order on the pending disciplinary proceedings.

**Note 2.** - Where the 'existing emoluments' exceed the revised emoluments in the case of any member of Service, the difference shall be allowed as personal pay to be absorbed in future increases in pay.

**Note 3.** - Where in the fixation of pay under sub-rule (1) of rule 3, the pay of a member of the Service, who, in the existing pay structure was drawing immediately before the 1st day of January, 2016 more pay than another member of the Service junior to him in the same cadre, gets fixed in the revised pay structure at a stage lower than that of such junior, his pay shall be stepped up to the same stage in the revised pay structure as that of the junior.

**Note 4.** - Where a member of the Service is in receipt of personal pay immediately before the date of notification of these rules, which together with his existing emoluments exceeds the revised emoluments, then, the difference representing such excess shall be allowed to such member of the Service as personal pay to be absorbed in future increases in pay.

**Note 5.** - In the case of members of the Service who are in receipt of personal pay for passing Hindi Pragya and such other examinations under the "Hindi Teaching Scheme" prior to the 1<sup>st</sup> day of January, 2016, while the personal pay shall not be taken into account for the purposes of fixation of initial pay in the revised pay structure, they would continue to draw personal pay after fixation of their pay in the revised pay structure on and from the 1st day of January, 2016 or subsequently for the period for which they would have drawn it but for the fixation of their pay in the revised pay structure. The quantum of such personal pay would be paid at the appropriate rate of increment in the revised pay structure from the date of fixation of pay for the period for which the officer would have continued to draw it.

**Note 6.** - In case where a senior member of Service promoted to a higher post before the 1st day of January, 2016 draws less pay in the revised pay structure than his junior who is promoted to the higher post on or after the 1st day of January, 2016, the pay in the Level in the Pay Matrix of the senior member of Service shall be stepped up to an amount equal to the pay in the Level in the Pay Matrix as fixed for his junior in that higher post; and the said stepping up should be done with effect from the date of promotion of the junior member of Service subject to the fulfillment of the following conditions, namely:—

- (a) both the junior and the senior members of Service should belong to the same cadre and the posts in which they have been promoted should be identical in the same cadre;
- (b) the existing pay structure and the revised pay structure of the lower and higher posts in which they are entitled to draw pay should be identical;
- (c) the senior member of Service at the time of promotion should have been drawing equal or more pay than the junior;
- (d) the anomaly should be directly as a result of the application of the provisions of this Note;
- (e) if even in the lower post, the junior officer was drawing more pay in the existing pay structure than the senior by virtue of any advance increments granted to him, the provisions of this Note need not be invoked to step up the pay of the senior member of the Service.

**Note 7.** - The order relating to re-fixation of the pay of the senior member of the Service in accordance with the above provisions shall be issued under the relevant rules and the senior member of the Service shall be entitled to the next increment on completion of his required qualifying service with effect from the date of re-fixation of pay.

(E) Fixation of pay in the revised pay structure subsequent to the 1st day of January, 2016 where a member of Service continues to draw his pay in the existing pay structure and opts for revised pay structure from a date later than the 1st day of January, 2016, his pay from the later date in the revised pay structure shall be fixed under these rules and for this purpose his pay in the existing pay structure shall be the same as of existing emoluments as calculated in accordance with clauses - (A), (C) or (D), as the case may be, subject to the condition that the basic pay on the later date and where the member of the Service is in receipt of special allowance, his pay shall be fixed after deducting from those emoluments an amount equal to the special allowance at the revised rates appropriate to the emoluments so calculated'.

**5. Fixation of initial pay.—**(1) The initial pay of a direct recruit shall be fixed at the minimum pay or the first Cell in the Level 10 of Pay Matrix:

Provided that, if a direct recruit holds a lien, or would hold the lien, had his lien not been suspended on permanent post, under the rules applicable to him prior to his appointment to the Indian Forest Service, his initial pay shall be regulated in following manner, namely:-

- (a) he shall, during the period of probation, draw the pay of the permanent post, if it is more than the minimum of the Junior Scale and on confirmation in the Indian Forest Service;
- (b) if he was holding a Group A post before appointment to the Indian Forest Service, his pay shall be fixed at the same stage as the pay in the Group A post in the Level 10 of the Pay Matrix; and
- (c) if he was holding a post lower than a Group A post, his pay in the Level 10 of the Pay Matrix shall be fixed as the pay arrived at by increasing his pay in respect of the lower post by one increment as specified in the vertical Cells of the applicable Level in the Pay Matrix admissible for such lower post, and if his pay in the pay Matrix after adding one increment is less than the minimum of the first Cell in the Level 10 of the Pay Matrix, then, his pay shall be fixed at the minimum of the Level 10 of the Pay Matrix;
- (d) he shall however, cease to earn any increments in the Junior Scale, until, having regard to his length of service, he becomes entitled to a higher pay:

Provided further that he shall draw the pay admissible under rule 10 if that is more than the pay referred to in the preceding proviso."

(2) The pay in case of promotion of a member of Service, in the Junior Scale to a post in the Senior Time Scale, in the revised pay structure shall be made in the following manner:—

One increment shall be given in the Level 10 of the Pay Matrix from which the Member of service is promoted and he shall be placed at a Cell equal to the figure so arrived at in the Level 11 of the Pay Matrix corresponding to the Senior Time Scale of the post to which promoted and if no such Cell is available in the Level to which promoted, he shall be placed at the next higher Cell in that Level.

(3) The initial pay of a State Forest Service officer, on his appointment to the Service or on appointment in a cadre post in an officiating capacity in accordance with rule 9 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966, as the case may be, shall be fixed as per the principles laid down in Schedule I annexed to this rule and the pay and incremental benefits shall accrue to him under the relevant provisions.

(4) The initial pay of a member of the Service in the Senior Time Scale shall, on appointment to the Junior Administrative Grade, be fixed in Level 12 of the Pay Matrix in the same manner as in the case of promotion from Junior Time Scale to Senior Time Scale by adding one increment in the Level 11 of the Pay Matrix from which the Member of service is promoted, he shall be placed at a Cell equal to the figure so arrived at in the Level of the post to which promoted and if no such Cell is available in the Level to which he is promoted then he shall be placed at the next higher Cell in that Level

(5) The pay of a member of the Service in the Junior Administrative Grade shall, on promotion in the Selection Grade, be fixed at Level 13 of the Pay Matrix by adding one increment in the Level 12 of the Pay Matrix from which the Member of service is promoted, he shall be placed at a Cell equal to the figure so arrived at in the Level of the post to which he is promoted and if no such Cell is available in the Level to which he is promoted, then he shall be placed at the next higher Cell in that Level.

(6) The pay of a member of the Service in the Selection Grade shall, on promotion to the Conservator of Forest Grade, shall be fixed at Level 13A of the Pay Matrix by adding one increment in the Level 13 of the Pay Matrix from which the Member of service is promoted, he shall be placed at a Cell equal to the figure so arrived at in the Level of the post to which he is promoted and if no such Cell is available in the Level to which he is promoted, then he shall be placed at the next higher Cell in that Level.

(7) The pay of a member of the Service in the Conservator of Forest Grade, on promotion to the Chief Conservator of Forest Grade, shall be fixed at Level 14 of the Pay Matrix by granting one increment in the Level 13A of the Pay Matrix from which the member of service is promoted and the figure so arrived at will be located in the Level of the post to which promoted and if such an identical figure corresponds to any Cell in the applicable Level of the Pay Matrix, the same shall be the pay, and if no such Cell is available in the applicable Level, the pay shall be fixed at the immediate next higher Cell in that applicable Level of the Pay Matrix.

(8) The pay of a member of the Service in the Chief Conservator of Forest Grade, on promotion to the HAG Grade shall be fixed at Level 15 of the Pay Matrix by granting one increment in the Level from which the member of service is promoted and the figure so arrived at will be located in the Level of the post to which promoted and if such an identical figure corresponds to any Cell in the applicable Level of the Pay Matrix, the same shall be the pay, and if no such Cell is available in the applicable Level, the pay shall be fixed at the immediate next higher Cell subject to a minimum of Level 15 and the pay in the HAG Grade shall not be the maximum of Level 15.

(9) The pay of a member of the Service in the HAG Grade, on promotion to the HAG+ Grade, shall be fixed at Level 16 of the Pay Matrix by granting one increment in the Level 15 of the Pay Matrix from which the member of service is promoted and the figure so arrived at will be located in the Level of the post to which promoted and if such an identical figure corresponds to any Cell in the applicable Level of the Pay Matrix, the same shall be the pay, and if no such Cell is available in the applicable Level, the pay shall be fixed at the immediate next higher Cell in that applicable Level of the Pay Matrix subject to a minimum of Level 16 and the pay in the HAG+ Grade shall not exceed the maximum of the Level 16.

(10) On promotion from one grade to another in the Service, a member of the Service shall have an option to get his pay fixed in the Level of the higher post either from the date of his promotion or from the date on which he subsequently earns an increment in the lower scale in the manner provided in the relevant sub-rule above; in the latter case, on the date of promotion, pay in the Level of Pay Matrix shall be fixed as the same in the lower post, with further re-fixation to be done in the manner provided in relevant sub-rules with effect from the 1<sup>st</sup> day of January or the 1<sup>st</sup> day of July, the date of accrual of the next increment in the lower scale.

## 6. Exercise of option.—

(1) The option shall be exercised in writing in the form (Form of Option) appended to these rules so as to reach the authority mentioned in sub-rule (2) within three months of the date of notification of these rules or where any revision in the existing pay structure is made by any order subsequent to the date of notification of these rules, within three months of the date of such order:

Provided that.-

- (i) in the case of a Member of Service who is, on the date of such notification or, as the case may be, date of such order, out of India on leave or deputation or foreign service or active service, the said option shall be exercised in writing so as to reach the said authority within three months of the date of his taking charge of his post in India; and
- (ii) where a Member of Service is under suspension on the 1<sup>st</sup> day of January, 2016, the option may be exercised within three months of the date of his return to his duty if that date is later than the date prescribed in this sub-rule.

Provided further that any member of Service may opt to continue to draw pay in the existing pay structure until the date on which he earns his next or any subsequent increment in the existing pay structure or until he vacates his post or ceases to draw pay in that pay structure:

Provided also that in cases where a member of the Service has been placed in a higher pay scale between the 1<sup>st</sup> January, 2016 and the date of notification of these rules on account of promotion or upgradation, the member of Service may opt to switch over to the revised pay structure from the date of such promotion or upgradation, as the case may be.

(2) The option shall be intimated by the Member of Service to the Controlling authority along with an undertaking in the form appended to these rules.

(3) If the intimation regarding option is not received by the authority within the time specified in sub-rule(1), the member of service shall be deemed to have elected to be governed by the revised pay structure with effect from the 1<sup>st</sup> day of January, 2016.

(4) The option once exercised shall be final.

**Note 1.** — The members of service whose services were terminated on or after the 1st January, 2016 and who could not exercise the option within the prescribed time limit, on account of discharge on the expiry of the sanctioned posts, resignation, dismissal or discharge on disciplinary grounds, shall be entitled to exercise option under sub-rule (1).

**Note 2.** — The members of service who have died on or after the 1st day of January, 2016 and could not exercise the option within prescribed time limit are deemed to have opted for the revised pay structure on and from the 1st day of January, 2016 or such later date as is most beneficial to their dependents if the revised pay structure is more favorable and in such cases, necessary action for payment of arrears shall be taken by the Head of Office.

**Note 3.** — The members of service who were on earned leave or any other leave on the 1st day of January, 2016 which entitled them to leave salary shall be entitled to exercise option under sub-rule (1).

#### 7. Pay protection to officers on Central deputation under Central Staffing Scheme.—

If the pay of the officers posted on deputation to the Central Government under Central Staffing Scheme after fixation of their pay in the revised pay structure either under these rules or as per the instructions regulating such fixation of pay on the post to which they are appointed on deputation, happens to be lower than the pay they would have been entitled to had they been in their parent cadre and would have drawn that pay but for the Central deputation, such difference in the pay shall be protected in the form of Personal Pay with effect from the date of notification of Government Resolution in this regard, i.e. 25<sup>th</sup> July, 2016.

Further, if the member of Service is promoted in the cadre while on central deputation under Central Staffing Scheme, the difference in the pay that the officer would have drawn had he been in the parent cadre and the amount of pay on his deputation to Centre shall be protected in the form of personal pay with effect from the date of issue of this Government Resolution.

**8. Regulation of increments.**—(1) (a) The increment in Pay Matrix shall be as specified in the vertical Cells of applicable Level in the Pay Matrix.

(b) There shall be two dates for grant of increment namely, 1<sup>st</sup> January and 1<sup>st</sup> July of every year, instead of existing date of 1<sup>st</sup> July.

Provided that a member of Service shall be entitled to only one annual increment either on 1st January, 2016 or 1<sup>st</sup> July, 2016 depending on the date of his appointment, promotion or grant of financial upgradation.

Provided further that in case of members of Service who had been drawing maximum of the applicable Pay Band and Grade Pay or scale, as the case may be, for more than two years as on 01.01.2016, one increment in the applicable Level in the Pay Matrix shall be granted on 01.01.2016 for every two completed years of stagnation at the maximum of the said Pay Band and Grade Pay or scale. Grant of additional increment (s) shall be subject to condition that the pay arrived at after grant of such increment does not exceed the maximum of the applicable Level in the Pay Matrix. (Illustration before Schedule-I)

(c) The increment in respect of a member of Service appointed or promoted or granted financial upgradation during the period between the 2nd day of January and 1<sup>st</sup> day of July (both inclusive) shall be granted on 1st day of January and the increment in respect of an employee appointed or promoted or granted financial upgradation during the period between the 2nd day of July and 1st day of January (both inclusive) shall be granted on 1st day of July.

(2) All leave, except extraordinary leave taken otherwise than on medical certificate shall count for increment in the applicable level of pay matrix of a post held by member of Service at the time he proceeded on leave:

Provided that the State Government concerned is satisfied that the extraordinary leave was taken for any cause beyond the control of the member of the Service or for pursuing higher Scientific or Technical studies in public interest for which Study Leave under the All India Service (Study Leave) Regulations, 1960 is admissible, such extra-ordinary leave be counted for increment under this sub-rule.

(3) The period of deputation out of India shall also be so counted and the counting of those said period for increments shall be subject to the condition that the member of the Service would have continued to hold that post but for his proceeding on such leave or deputation out of India:

Provided that where the leave is not counted for increment under this rule, it shall have the effect of postponing the next increment to the extent of the period involved.

(4) The increments admissible to a member of the Service in a Level in the Pay Matrix of pay as specified in sub-rule (1) of rule 3 shall be regulated with reference to the length of his service including broken period of service rendered in that Level in the previous service, if any, shall also count for increment, if it is –

(i) service in a cadre post; or

(ii) service in a permanent or temporary post (including a post in a body incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government) in the said Level or in a higher Level:

Provided that the service in a post outside the cadre, including service in a post under the Central Government, shall count for increment on reversion to the cadre, subject to the following conditions, namely:-

- (a) the member of the Service should have been approved by the Government of the State on the cadre of which he is borne, for appointment to posts in the said Level;
- (b) all his seniors in the cadre, except those regarded as unfit for such appointment, were serving in posts carrying pay in the said Level in which the benefit is to be allowed or in higher posts, and at least one junior was holding a cadre post, or an ex-cadre post within the permissible State Deputation Reserve or the over-utilised State Deputation Reserve permitted by the Central Government, under the Government of the State on the cadre of which he is borne, carrying pay in the said Level; and
- (c) the service shall count from the date on which his junior is so promoted and the benefit shall be limited to the period during which he would have held a post under the Government of the State on the cadre on which he is borne.

(5) A member of the Service, while holding post outside the cadre, including a post under the Central Government, may be granted proforma promotion to a post in the Level above the Level specified in rule 3 by the Government of the State on the cadre to which he is borne.

(6) In case of a member of the Service being cleared for proforma promotion in the Super Time Scale and the Above Super Time Scale, the period of service covered by the proforma promotion shall, on his subsequent reversion to the cadre and appointment to a post in the said Level, count towards the initial fixation of pay and increments subject to the following conditions, namely:-

- (i) the member of the Service concerned should have been approved by the State Government for appointment to the said Level during the relevant period;
- (ii) all his seniors (excluding those considered unfit) should have started drawing pay in that Level on or before the date from which the proforma promotion is granted to him;
- (iii) the junior next below the officer (or, if that officer has been passed over for the reason of inefficiency or unsuitability or because he is on leave or serving outside the ordinary line or forgoes promotion on his own volition to that grade, the officer next junior to him not so passed over) should also have started drawing pay in that Level from that date and his appointment thereto not being fortuitous; and
- (iv) the benefit should be allowed on 'one for one' basis.

(7) When a member of the Service holds an ex-cadre post in a time scale of pay identical with the time scale of pay of an ex-cadre post held by him on an earlier occasion, his initial pay in the latter ex-cadre post shall not be less than the pay which he drew on the previous occasion and he shall count the period during which he drew that pay on such last and on any previous occasion for increment in the stage of the scale equivalent to that pay and the service so rendered shall, on his reversion to the cadre, count towards initial fixation of pay to the extent and subject to the conditions stipulated in sub-rule (4).

(8) Where a member of the Service is on leave other than the study leave granted under the All India Service (Study Leave) Regulations, 1960, on the date on which an increment becomes due, he shall

get the benefit of the same, if otherwise admissible under the rules, from the date he resumes duty but it does not postpone his normal date of increment in future.

(9) A member of the service who has completed 28 years of service shall be eligible for drawing increment, with retrospective effect, after he has completed the Phase V of the mandatory Mid Career Training programme.

**9. Withholding of increments.**—The State Government may withhold, for such time as it may direct, an increment due to any direct recruit or to any State Forest Service officer appointed to the Indian Forest Service, who fails to pass the departmental examination or examinations within such time as the State Government may by general or special order, prescribe, but the withholding of such increments shall have no cumulative effect.

**10. Grant of advance Increments.**— Notwithstanding anything contained in rule 13 of the Indian Forest Service (Probation) Rules, 1968, the State Government shall sanction the second and third increments due to a direct recruit with effect from the prescribed date of increment after he passes the prescribed departmental examination or examinations irrespective of the length of service, after which he shall be entitled to draw pay at the rate corresponding to his position in the Level in the Pay Matrix:

Provided that the third increment under this rule shall be granted retrospectively from the prescribed date of increment after passing the prescribed departmental examination, or the last of the prescribed departmental examinations, as the case may be, on the successful completion of the probation and confirmation:

Provided further that a direct recruit who has been exempted from appearing for the whole or any part of the departmental examination or examinations, as the case may be, for the reason that he had already passed such examination or examinations or part thereof before he became a member of the Service, shall, for the purpose of this rule, be deemed to have passed the departmental examination or examinations or part thereof, as the case may be, after the date of the earliest such examination or examinations or part thereof, in which he would have appeared, but for the exemption, after he became a member of the Service.

**11. Pay of officers holding posts included in Schedule II.**— Any member of the Service appointed to hold a post specified in Schedule II shall, for so long as he holds that post, be entitled to draw the pay indicated for that post in the said Schedule plus Special Allowance or Central (Deputation on Tenure) Allowance, wherever admissible:

Provided that such pay shall not at any time be less than the pay admissible under rule 5 and rule 8 of these rules.

**12. Pay of members of the Service appointed to posts not included in Schedule II.**

(1) No member of the Service shall be appointed to a post other than a post specified in Schedule II, unless the State Government concerned in respect of posts under its control, or the Central Government in respect of posts under its control, as the case may be, make a declaration that the said post is equivalent in status and responsibility to a post specified in the said Schedule.

(2) The pay of a member of the Service on appointment to a post other than a post specified in Schedule II shall be the same as he would have been entitled to, had he been appointed to the post to which the said post is declared equivalent.

(3) For the purpose of this rule, post other than a post specified in Schedule II includes a post under a body (incorporated or not), which is wholly or substantially owned or controlled by the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in this rule, the State Government concerned in respect of any posts under its control, or the Central Government in respect of any posts under its control, may, for sufficient reasons to be recorded in writing, where equation is not possible, appoint any member of the Service to any such post without making a declaration that the said post is equivalent in status and responsibility of a post specified in Schedule II.

(5) A member of the Service on appointment to a post referred to in sub-rule (4), in respect of which no pay or Level in the Pay Matrix has been prescribed, shall draw such rate of pay as the State Government, in consultation with the Central Government in the case of a post under the control of the State Government, or as the Central Government in the case of a post under the control of the Central Government may, after taking into account the nature of duties and responsibilities involved in the post, determine.

(6) A member of the Service on appointment to a post referred to in sub-rule (4), in respect of which any pay or Level in the Pay Matrix has been prescribed, shall draw where the pay has been prescribed, the prescribed pay and where scale of pay has been prescribed, such rate of pay not exceeding the maximum of the

Pay Level as may be fixed in this behalf by the State Government, or by the Central Government as the case may be:

Provided that the pay allowed to an officer under this sub- rule and sub-rule (5) shall not at any time be less than what he would have drawn had he not been appointed to a post referred to in sub-rule (4).

(7) At no time the number of members of the Service appointed to hold posts, other than cadre posts referred to in sub-rule (1) and sub-rule (4), which carry pay at Level 16 per mensem and which are reckoned against the State Deputation Reserve, shall except with the prior approval of the Central Government, exceed the number of cadre posts at that level of pay in a State cadre or, as the case may be, in a Joint cadre.

**13. Pay of members of the Service appointed to hold more than one post.** - The grant of additional pay to a member of the Service appointed to hold more than one post simultaneously shall be regulated in the following manner,—

- (a) in the case of a member of the Service serving in connection with the affairs of the Union, by the rules, regulations and orders applicable to officers of the Central Services, Group 'A';
- (b) in the case of a member of the Service serving in connection with the affairs of a State, by the rules, regulations and orders applicable to officers of State Forest Services, Class I.

**14. Authority to exercise powers under rules 9, 10 and 12 in relation to a Joint Cadre.**—(1) The powers under rules 9,10 in the case of a member of the Service borne on a Joint Cadre, shall be exercised by the Joint Cadre Authority.

(2) The powers under rule 12 in relation to the members of Service and in relation to posts, borne on a Joint Cadre shall be exercised by the Government of the Constituent State concerned.

#### **ILLUSTRATIONS:**

**(1) Bunching of stages in the revised pay structure:**

If two members of Service drawing pay of Rs. 53,000 and Rs. 54,590 in the GP 10000 are to be fitted in the new pay matrix, the member of Service drawing pay of Rs. 53,000 on multiplication by a factor of 2.57 will expect a pay corresponding to Rs. 1,36,210 and the member of Service drawing pay of Rs. 54,590 on multiplication by a factor of 2.57 will expect a pay corresponding to Rs. 1,40,296. Revised pay of both should ideally be fixed in the first cell of level 14 in the pay of Rs. 1,44,200 but to avoid bunching the member of Services drawing pay of Rs. 54,590 will get fixed in second cell of level 14 in the pay of Rs. 1,48,500. [Proviso under Rule 4(A)(ii)]

**(2) Additional increment for stagnation at the maximum of the Pay Band and Grade Pay or Scale:**

Pay Band and Grade Pay or Scale	PB-4 (37400-67000), GP 10000	HAG (67000-79000)
Maximum of the applicable Pay and Grade Pay or Scale	Rs.77000	Rs.79000
Date on which pay fixed at maximum of the applicable Pay and Grade Pay or Scale	01.07.2014	01.07.2013
Revised Pay in the applicable Level in the new Pay Matrix	199600	205100
No. of years completed at maximum as on 01.01.2016	1 year and 6 months	2 years and 6 months
No. of Increment (s) to be granted on 01.01.2016	Nil	0
Revised Pay after grant of increment on 01.01.2016	199600	211300

After fixation of pay on 01.01.2016 as indicated above, the date of increment shall be regulated as per the provisions of Rule 8 of IFS(Pay) Rules, 2016. [Proviso under Rule 8(1)(b)]

#### **SCHEDE I**

##### **Principles of pay fixation in cases falling under sub-rules (3) of rule 5**

In this Schedule, the term –

- (i) "actual pay" means the pay to which a member of the State Forest Service is entitled by virtue of his substantive position in the cadre of that Service or by virtue of his having continuously worked in a temporary or officiating capacity in a higher post for a period of three years or more after following the

prescribed procedure, provided the State Government have not revised the scales of pay applicable to the State Forest Service after the 1<sup>st</sup> day of January, 2016. If the pay scales have been revised subsequent to the 1<sup>st</sup> day of January, 2016, the dearness allowance, dearness pay, interim or additional relief sanctioned by the State Government after the 1<sup>st</sup> day of January, 2016 and merged in the revised pay scales, shall be excluded. Any existing relief allotted by the State Government shall be excluded for fixation of pay in Indian Forest Service..

(ii) “assumed pay” means the pay which a member of the State Forest Service would have drawn in a scale of his Service in which he was confirmed or in which had continuously worked in a temporary or officiating capacity for a period of three years or more after following the prescribed procedure, provided the State Government have not revised scales of pay applicable to the State Forest Service after the first day of January, 2016. If the pay scales have been revised subsequent to the 1<sup>st</sup> day of January, 2016, the dearness allowance, dearness pay, interim or additional relief sanctioned by the State Government after the 1<sup>st</sup> day of January, 2016 and merged in the revised pay scales, shall be excluded.

(1) Notwithstanding anything contained in the Note-I to sub-rule (1), of rule 3, the initial pay of a promoted officer shall be fixed at the stage of the senior scale next above his actual pay:

Provided that if such stage of pay happens to be common to different components of the Senior Scale, pay shall be fixed in the lower or the lowest component, as the case may be, of the Senior Scale.

(2) In the case of a promoted officer appointed to the Indian Forest Service on probation, on any enhancement of his actual pay or assumed pay either as a result of a pay revision or on becoming eligible for an increment or in the event of confirmation in the higher scale of the State Forest Service, during the period of probation, unless the probation is extended within the meaning of sub-rule (3) of rule 3 of the Indian Forest Service (Probation) Rules 1968, he shall be entitled to have his pay recalculated in accordance with the principles laid down in this Schedule on the basis of his enhanced pay in the State Forest Service as if he was promoted to the Indian Forest Service with effect from the date of such enhancement.

(3) If a promoted officer appointed to the Indian Forest Service on probation is confirmed with effect from a date prior to the date of his promotion to the Indian Forest Service in the higher scale of the State Forest Service during the period of probation, unless the probation is extended within the meaning of sub-rule (3) of rule 3 of the Indian Forest Service (Probation) Rules, 1968 and there is, thus an enhancement of his actual pay or assumed pay, his pay shall be recalculated in accordance with the principles laid down in this Schedule on the basis of his enhanced pay in the Indian Forest Service with effect from the date of such enhancement.

(4) Where a promoted officer who on the date of his appointment to the Indian Forest Service had held or is holding continuously a post other than a cadre post under the State Government or the Central Government or on foreign Service and the post is –

(a) in a time scale identical to the time scale of a cadre post; or

(b) equal in status and responsibilities to a cadre post,

and the State Government concerned furnishes a certificate to the Central Government within three months of his appointment to a post other than a cadre post or within three months of the date on which the next junior Select List Officer is appointed to a cadre post, whichever is later, that he would have so officiated in a cadre post under rule 9 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966, but for his appointment to a post other than a cadre post as relating to a post under clause (a) for a period not exceeding one year and, with the approval of the Central Government, for a further period not exceeding two years; or as relating to a post in clause (b), for a period not exceeding three years, his initial pay in the Senior Time Scale fixed in accordance with clause (1) shall not be at a stage lower than the pay he drew or draws in the said non-cadre post:

Provided that the number of officers in respect of whom the certificate shall be current at one time shall not exceed one-half of the maximum size of the Select List permissible under sub-regulation (1) of regulation 5 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966 and follow the order in which the names of such officers appear in the Select List:

Provided further that such certificate shall be given only if, for every senior officer in the Select List appointed to a non-cadre post in respect of which the certificate is given, there is one junior Select List Officer officiating in a senior post under rule 9 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966:

Provided also that the number of officers in respect of whom the certificate is given, shall not exceed the number of posts by which the number of cadre officers holding non-cadre posts under the control of the State Government falls short of the deputation reserve sanctioned under the Schedule to the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966.

(5) The pay of a promoted officer shall not, in any case, be fixed below the minimum of the Senior Time Scale.

(6) If cadre officiation of a promoted officer is followed by appointment in the Service, pay fixed during his officiation shall be taken into account while fixing pay at the time of such appointment.

(7) Notwithstanding anything contained in these rules, the pay of a promoted officer shall not at any time exceed the basic pay which he would have drawn as a direct-recruit on that date if he had been appointed to the Indian Forest Service on the date on which he was appointed to the State Forest Service, after attaining the age of twenty five years, as the case may be.

(8) The fixation of pay of the State Forest Service officers on their appointment or appointed to officiate in cadre posts of the Indian Forest Service shall be in Proforma A.

## SCHEDULE II

### (PART A)

**Posts carrying pay above the Senior Scale in the Indian Forest Service under State Governments. (in existence as on 01.01.2016)**

#### **Andhra Pradesh**

1	Principal Chief Conservator of Forests (Head of the Forest Force)	Level 17 in the Pay Matrix
2	Principal Chief Conservator of Forests	Level 16 in the Pay Matrix
3	Additional Principal Chief Conservator of Forests	Level 15 in the Pay Matrix
4	Chief Conservator of Forests	Level 14 in the Pay Matrix
5	Conservator of Forests (Count = 13)*	Level 13A in the Pay Matrix

#### **ARUNACHAL PRADESH GOA-MIZORAM-UNION TERRITORIES**

#### **Arunachal Pradesh**

1	Principal Chief Conservator of Forests (Head of the Forest Force)	Level 17 in the Pay Matrix
2	Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife & Biodiversity) & CWLW	Level 16 in the Pay Matrix
3	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Administration & Vigilance)	Level 15 in the Pay Matrix
4	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Planning & Development)	Level 15 in the Pay Matrix
5	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Conservation & Working Plan)	Level 15 in the Pay Matrix
6	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Research & Evaluation)	Level 15 in the Pay Matrix
7	Chief Conservator of Forests (Forest Development Agency & Information Technology)	Level 14 in the Pay Matrix
8	Chief Conservator of Forests (Conservation)	Level 14 in the Pay Matrix
9	Chief Conservator of Forests (State Forest Research Institute)	Level 14 in the Pay Matrix
10	Chief Conservator of Forests, Western Circle	Level 14 in the Pay Matrix
11	Chief Conservator of Forests, Central Circle	Level 14 in the Pay Matrix
12	Chief Conservator of Forests, Eastern Circle	Level 14 in the Pay Matrix
13	Chief Conservator of Forests, Southern Circle	Level 14 in the Pay Matrix
14	Conservator of Forests (Head Quarter)	Level 13A in the Pay Matrix
15	Conservator of Forests (Planning & Statistics)	Level 13A in the Pay Matrix

16	Conservator of Forests (Monitoring & Evaluation)	Level 13A in the Pay Matrix
17	Conservator of Forests & Field Director (Project Tiger)	Level 13A in the Pay Matrix
18	Conservator of Forests, Northern Working Plan	Level 13A in the Pay Matrix
19	Conservator of Forests, Eastern Working Plan	Level 13A in the Pay Matrix

**Goa**

1	Additional Principal Chief Conservator of Forests & CWLW	Level 15 in the Pay Matrix
2	Chief Conservator of Forest (Administration & Development)	Level 14 in the Pay Matrix
3	Conservator of Forests (Wildlife & Ecotourism)	Level 13A in the Pay Matrix
4	Conservator of Forests (Conservation)	Level 13A in the Pay Matrix

**Mizoram**

1	Principal Chief Conservator of Forests	Level 16 in the Pay Matrix
2	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Administration & Vigilance)	Level 15 in the Pay Matrix
3	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Planning & Development)	Level 15 in the Pay Matrix
4	Chief Conservator of Forests, Northern Circle	Level 14 in the Pay Matrix
5	Chief Conservator of Forests, Central Circle	Level 14 in the Pay Matrix
6	Chief Conservator of Forests, Southern Circle	Level 14 in the Pay Matrix
7	Chief Conservator of Forests (Wildlife)	Level 14 in the Pay Matrix
8	Chief Conservator of Forests (Research, Training & Monitoring)	Level 14 in the Pay Matrix
9	Conservator of Forests (Planning)	Level 13A in the Pay Matrix
10	Conservator of Forests (Tiger Reserve, Dampa)	Level 13A in the Pay Matrix
11	Conservator of Forests (Head Quarter)	Level 13A in the Pay Matrix

**Andaman & Nicobar Administration**

1	Principal Chief Conservator of Forests	Level 16 in the Pay Matrix
2	Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife) & CWLW	Level 16 in the Pay Matrix
3	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Administration & Vigilance and Environment & Conservation)	Level 15 in the Pay Matrix
4	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Planning & Development)	Level 15 in the Pay Matrix
5	Chief Conservator of Forests (Territorial Circle)	Level 14 in the Pay Matrix
6	Chief Conservator of Forests (Coastal Zone & Forest Conservation)	Level 14 in the Pay Matrix
7	Chief Conservator of Forests (Biodiversity Conservation & Biosphere Reserve)	Level 14 in the Pay Matrix
8	Chief Conservator of Forests (Research & Working Plan)	Level 14 in the Pay Matrix
9	Chief Conservator of Forests (Development & Utilization and Ecotourism)	Level 14 in the Pay Matrix
10	Conservator of Forests (Head Quarter)	Level 13A in the Pay Matrix
11	Conservator of Forests (Wildlife)	Level 13A in the Pay Matrix
12	Conservator of Forests (Ecotourism, Biosphere Reserve & Coastal Zone)	Level 13A in the Pay Matrix

**Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu**

1	Chief Conservator of Forests	Level 14 in the Pay Matrix
2	Conservator of Forests (Wildlife) & CWLW	Level 13A in the Pay Matrix

**Delhi**

1	Additional Principal Chief Conservator of Forests	Level 15 in the Pay Matrix
2	Chief Conservator of Forests (Wildlife) & CWLW	Level 14 in the Pay Matrix
3	Conservator of Forests (Administration & Development)	Level 13A in the Pay Matrix

**Puducherry**

1	Conservator of Forests (Environment & Forests) & CWLW	Level 13A in the Pay Matrix
---	---	-----------------------------

**Lakshadweep**

1	Conservator of Forests (Environment & Forests) & CWLW	Level 13A in the Pay Matrix
---	---	-----------------------------

**Chandigarh Administration**

1	Conservator of Forests (Environment & Forests) & CWLW	Level 13A in the Pay Matrix
---	---	-----------------------------

**ASSAM-MEGHALAYA****Assam**

1	Principal Chief Conservator of Forests (Head of the Forest Force)	Level 17 in the Pay Matrix
2	Principal Chief Conservator of Forests(Wildlife) & Chief Wildlife warden	Level 16 in the Pay Matrix
3	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Admin and Vigilance)	Level 15 in the Pay Matrix
4	Additional Principal Chief Conservator of Forests( Planning & Development)	Level 15 in the Pay Matrix
5	Chief Conservator of Forests (Wildlife and Biodiversity)	Level 14 in the Pay Matrix
6	Chief Conservator of Forests (Social Forestry and Nodal Officer, FDA)	Level 14 in the Pay Matrix
7	Chief Conservator of Forests (Research, Education, Working Plans)	Level 14 in the Pay Matrix
8	Chief Conservator of Forests (Territorial)	Level 14 in the Pay Matrix
9	Chief Conservator of Forests & Nodal Officer, FC Act	Level 14 in the Pay Matrix
10	Chief Conservator of Forests (Bodoland Territorial Council)	Level 14 in the Pay Matrix
11	Chief Conservator of Forests (Karbi Anglong Autonomous Council)	Level 14 in the Pay Matrix
12	Chief Conservator of Forests (NC Hills Autonomous Council)	Level 14 in the Pay Matrix
13	Conservator of Forests (Territorial)	Level 13A in the Pay Matrix
14	Conservator of Forests (Working Plan)	Level 13A in the Pay Matrix
15	Conservator of Forests (Research & Education)	Level 13A in the Pay Matrix
16	Conservator of Forests (Headquarter) (In the office of the PCCF, Assam)	Level 13A in the Pay Matrix
17	Conservator of Forests (Social Forestry)	Level 13A in the Pay Matrix
18	Conservator of Forests (Wildlife) Headquarter	Level 13A in the Pay Matrix
19	Conservator of Forests (Border and Protection in the office of the CCF Territorial)	Level 13A in the Pay Matrix
20	Field Director, Project Tiger, Manas	Level 13A in the Pay Matrix
21	Director, Kaziranga National Park	Level 13A in the Pay Matrix
22	Conservator of Forests (Bodoland Territorial Council)	Level 13A in the Pay Matrix

**Meghalaya**

1	Principal Chief Conservator of Forests	Level 17 in the Pay Matrix
2	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Monitoring Research and Training and District Council Affairs)	Level 15 in the Pay Matrix
3	Chief Conservator of Forests (Territorial)	Level 14 in the Pay Matrix
4	Chief Conservator of Forests ( Social Forestry)	Level 14 in the Pay Matrix
5	Chief Conservator of Forests (Wildlife)	Level 14 in the Pay Matrix
6	Conservator of Forests (Headquarter)	Level 13A in the Pay Matrix
7	Conservator of Forests (Territorial and Wildlife, Khasi Hills Region)	Level 13A in the Pay Matrix
8	Conservator of Forests (Territorial and Wildlife, Garo Hills Region)	Level 13A in the Pay Matrix

9	Conservator of Forests (Social Forestry, Khasi Hills Region)	Level 13A in the Pay Matrix
10	Conservator of Forests (Social Forestry, Garo Hills Region)	Level 13A in the Pay Matrix
11	Conservator of Forests (Research and Training)	Level 13A in the Pay Matrix
12	Conservator of Forests (Monitoring and Evaluation)	Level 13A in the Pay Matrix
13	Conservator of Forests (GIS and Project Formulation)	Level 13A in the Pay Matrix
14	Conservator of Forests (Development and Biodiversity)	Level 13A in the Pay Matrix

**Bihar**

1	Principal Chief Conservator of Forests & Head of the Forest Force	Level 17 in the Pay Matrix
2	Principal Chief Conservator of Forests, (Development)	Level 16 in the Pay Matrix
3	Additional Principal Chief Conservator of Forests-cum-Chief Wildlife Warden	Level 15 in the Pay Matrix
4	Additional Principal Chief Conservator of Forests (CAMPA) cum Nodal Officer	Level 15 in the Pay Matrix
5	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Working Plan, Research & Extension)	Level 15 in the Pay Matrix
6	Chief Conservator of Forests Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur	Level 14 in the Pay Matrix
7	Director Ecology & Environment	Level 14 in the Pay Matrix
8	Chief Conservator of Forests (Information Technology)	Level 14 in the Pay Matrix
9	Chief Conservator of Forests, (Human Resource Development)	Level 14 in the Pay Matrix
10	Chief Conservator of Forests (Joint Forest Management)	Level 14 in the Pay Matrix
11	Conservator of Forests, Bhagalpur, Gaya, Patna, Muzaffarpur, Siwan, Purnea	Level 13A in the Pay Matrix
12	Conservator of Forests –cum-Field Director, Valmiki Tiger Reserve, Bettiah	Level 13A in the Pay Matrix
13	Conservator of Forests Working Plan, Research & Extension	Level 13A in the Pay Matrix
14	Conservator of Forests (Wildlife) Patna	Level 13A in the Pay Matrix
15	Conservator of Forests (Headquarters)	Level 13A in the Pay Matrix
16	Conservator of Forests (Monitoring & Evaluation)	Level 13A in the Pay Matrix

**Chhattisgarh**

1	Principal chief Conservator of Forests & Head of the Forest Force	Level 17 in the Pay Matrix
2	Principal Chief Conservator of Forests, (Wildlife Management & Biodiversity Conservation-cum-Chief Wildlife Warden)	Level 16 in the Pay Matrix
3	Addl. Principal Chief Conservator of Forests (Development & Planning)	Level 15 in the Pay Matrix
4	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Working Plan)	Level 15 in the Pay Matrix
5	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Joint Forest Management & Policy Analysis)	Level 15 in the Pay Matrix
6	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Admn/ Gazeeted and Coordination)	Level 15 in the Pay Matrix
7	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Protection)	Level 15 in the Pay Matrix
8	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Production)	Level 15 in the Pay Matrix
9	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Budget, Account & Audit)	Level 15 in the Pay Matrix
10	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Land Management & Forest Conservation Act)	Level 15 in the Pay Matrix
11	Additional Principal Chief Conservator of Forests (CAMPA)	Level 15 in the Pay Matrix

12	Additional Principal Chief Conservator of Forests & Director, State Forest Research & Training Institute	Level 15 in the Pay Matrix
13	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Admn/ Non-Gazaetted)	Level 15 in the Pay Matrix
14	Additional Principal Chief Conservator of Forests (HRD & IT)	Level 15 in the Pay Matrix
15	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Monitoring & Evaluation)	Level 15 in the Pay Matrix
16	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife Management & Planning)	Level 15 in the Pay Matrix
17	Chief Conservator of Forests (Eco-Tourism & Biodiversity Conservation)	Level 14 in the Pay Matrix
18	Chief Conservator of Forests (Vigilence)	Level 14 in the Pay Matrix
19	Chief Conservator of Forests (Research & Extension)	Level 14 in the Pay Matrix
20	Chief Conservator of Forests (Territorial), Raipur, Bilaspur, Durg, Jagdalpur, Kanker & Sarguja	Level 14 in the Pay Matrix
21	Chief Conservator of Forests, Wildlife & Field Director, Indravati Tiger Reserve	Level 14 in the Pay Matrix
22	Chief Conservator of Forests, Wildlife & Field Director, Achanakmar Tiger Reserve	Level 14 in the Pay Matrix
23	Chief Conservator of Forests, Wildlife & Field Director, Udanti-Sitanadi Tiger Reserve	Level 14 in the Pay Matrix
24	Chief Conservator of Forests, Working Plan, Bilaspur	Level 14 in the Pay Matrix
25	Chief Conservator of Forests, Working Plan, Raipur	Level 14 in the Pay Matrix
26	Conservator of Forests, Development, Project Formulation & Planning (HQ)	Level 13A in the Pay Matrix
27	Conservator of Forests, Admn./Gazatted & Coordination (HQ)	Level 13A in the Pay Matrix
28	Conservator of Forests, Protection (HQ)	Level 13A in the Pay Matrix
29	Conservator of Forests, Production (HQ)	Level 13A in the Pay Matrix
30	Conservator of Forests, JFM & Policy Analysis (HQ)	Level 13A in the Pay Matrix
31	Conservator of Forests, Monitoring & Evaluation (HQ)	Level 13A in the Pay Matrix
32	Conservator of Forests, Land Management & Forest Conservation (HQ)	Level 13A in the Pay Matrix
33	Conservator of Forests, Wildlife (HQ)	Level 13A in the Pay Matrix
34	Conservator of Forests, Working Plan (HQ)	Level 13A in the Pay Matrix
35	Conservator of Forests, CAMPA (HQ)	Level 13A in the Pay Matrix
36	Conservator of Forests, (Working Plan) Raipur, Bilaspur, Durg, Jagdalpur, Kanker & Sarguja	Level 13A in the Pay Matrix
37	Conservator of Forests, Project Elephant, Sarguja	Level 13A in the Pay Matrix
38	Conservator of Forests, FMIS Division, Raipur	Level 13A in the Pay Matrix
39	Conservator of Forests, Admn./Non Gazetted (HQ)	Level 13A in the Pay Matrix
40	Conservator of Forests, Vigilance (HQ)	Level 13A in the Pay Matrix
41	Conservator of Forests, Budget, Account & Audit (HQ)	Level 13A in the Pay Matrix
42	Addl. Director, SFRTI, Raipur	Level 13A in the Pay Matrix

### Gujarat

1	Principal Chief Conservator of Forests (General), Gandhinagar	Level 17 in the Pay Matrix
2	Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife), Gandhinagar	Level 16 in the Pay Matrix
3	Additional Principal Chief Conservator of Forests (D & M), Gandhinagar	Level 15 in the Pay Matrix
4	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Social Forestry), Gandhinagar	Level 15 in the Pay Matrix
5	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Monitoring), Gandhinagar	Level 15 in the Pay Matrix
6	Additional Principal Chief Conservator of Forests (FM), Gandhinagar	Level 15 in the Pay Matrix

7	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Land), Gandhinagar	Level 15 in the Pay Matrix
8	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Research & Training), Gandhinagar	Level 15 in the Pay Matrix
9	Chief Conservator of Forests (W.P.), Vadodara	Level 14 in the Pay Matrix
10	Chief Conservator of Forests (Administration), Gandhinagar	Level 14 in the Pay Matrix
11	Chief Conservator of Forests (Vigilance & Protection), Gandhinagar	Level 14 in the Pay Matrix
12	Chief Conservator of Forests, Vadodara	Level 14 in the Pay Matrix
13	Chief Conservator of Forests, Surat	Level 14 in the Pay Matrix
14	Chief Conservator of Forests, Gandhinagar	Level 14 in the Pay Matrix
15	Chief Conservator of Forests, Junagadh	Level 14 in the Pay Matrix
16	Chief Conservator of Forests, Kutch	Level 14 in the Pay Matrix
17	Chief Conservator of Forests, Valsad	Level 14 in the Pay Matrix
18	Chief Conservator of Forests, Wildlife, Junagadh	Level 14 in the Pay Matrix
19	Chief Conservator of Forests, Marine National Park, Jamnagar	Level 14 in the Pay Matrix
20	Chief Conservator of Forests, SF, Ahmedabad	Level 14 in the Pay Matrix
21	Conservator of Forests, D&M, O/o PCCF, Gandhinagar	Level 13A in the Pay Matrix
22	Conservator of Forests, WL, O/o PCCF, Gandhinagar	Level 13A in the Pay Matrix
23	Conservator of Forests, SF, O/o PCCF, Gandhinagar	Level 13A in the Pay Matrix
24	Conservator of Forests, Monitoring, O/o PCCF, Gandhinagar	Level 13A in the Pay Matrix
25	Conservator of Forests, Accounts, O/o PCCF, Gandhinagar	Level 13A in the Pay Matrix
26	Conservator of Forests S&FU, Rajpipla	Level 13A in the Pay Matrix
27	Conservator of Forests, (SF), Bharuch	Level 13A in the Pay Matrix
28	Conservator of Forests (SF), Mehsana	Level 13A in the Pay Matrix
29	Conservator of Forests (SF), Rajkot	Level 13A in the Pay Matrix
30	Conservator of Forests (WP), Surat	Level 13A in the Pay Matrix
31	Conservator of Forests (WP), Vadodara	Level 13A in the Pay Matrix
32	Conservator of Forests (WP), Junagadh	Level 13A in the Pay Matrix
33	Conservator of Forests (WL), Vadodara	Level 13A in the Pay Matrix
34	Conservator of Forests, Monitoring, Gandhinagar	Level 13A in the Pay Matrix
35	Conservator of Forests, Research, Gandhinagar	Level 13A in the Pay Matrix
36	Conservator of Forests, Vigilance, Gandhinagar	Level 13A in the Pay Matrix

**Haryana**

1	Principal Chief Conservator of Forests & HoFF	Level 17 in the Pay Matrix
2	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Forestry)	Level 15 in the Pay Matrix
3	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife) cum-Chief Wildlife Warden	Level 15 in the Pay Matrix
4	Chief Conservator of Forests (Protection)	Level 14 in the Pay Matrix
5	Chief Conservator of Forests (Social Forestry)	Level 14 in the Pay Matrix
6	Chief Conservator of Forests (Development)	Level 14 in the Pay Matrix
7	Chief Conservator of Forests (Production)	Level 14 in the Pay Matrix
8	Chief Conservator of Forests (Headquarters)	Level 14 in the Pay Matrix
9	Chief Conservator of Forests (Administration)	Level 14 in the Pay Matrix
10	Conservator of Forests (North Circle)	Level 13A in the Pay Matrix
11	Conservator of Forests (South Circle)	Level 13A in the Pay Matrix
12	Conservator of Forests (West Circle)	Level 13A in the Pay Matrix
13	Conservator of Forests (Central), Rohtak	Level 13A in the Pay Matrix
14	Conservator of Forests (Planning & MIS)	Level 13A in the Pay Matrix
15	Conservator of Forests (Research)	Level 13A in the Pay Matrix
16	Conservator of Forests (Training)	Level 13A in the Pay Matrix
17	Conservator of Forests (Working Plan, M&E. FC)	Level 13A in the Pay Matrix
18	Conservator of Forests (Production)	Level 13A in the Pay Matrix
19	Conservator of Forests (Wildlife)	Level 13A in the Pay Matrix
20	Conservator of Forests (Social Forestry)	Level 13A in the Pay Matrix

**Himachal Pradesh**

1	Principal Chief Conservator of Forests (HOFF)	Level 17 in the Pay Matrix
2	Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife)	Level 16 in the Pay Matrix
3	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Project)	Level 15 in the Pay Matrix
4	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Administration Planning & Development)	Level 15 in the Pay Matrix
5	Additional Principal Chief Conservator of Forests (PFM & FDA)	Level 15 in the Pay Matrix
6	Additional Principal Chief Conservator of Forests (CAT PLANS)	Level 15 in the Pay Matrix
7	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Working Plan & Settlement)	Level 15 in the Pay Matrix
8	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Research & NTFP)	Level 15 in the Pay Matrix
9	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Protected Area Network & Bio-Diversity)	Level 15 in the Pay Matrix
10	Chief Conservator of Forests (Human Resource Development, T&E))	Level 14 in the Pay Matrix
11	Chief Conservator of Forests (FCA)	Level 14 in the Pay Matrix
12	Chief Conservator of Forests (Ecotourism)	Level 14 in the Pay Matrix
13	Chief Conservator of Forests (FP & FC)	Level 14 in the Pay Matrix
14	Chief Conservator of Forests (M&E)	Level 14 in the Pay Matrix
15	Chief Conservator of Forests (PF & Audit)	Level 14 in the Pay Matrix
16	Chief Conservator of Forests (Soil & LRM)	Level 14 in the Pay Matrix
17	Chief Conservator of Forests (Project Formulation)	Level 14 in the Pay Matrix
18	Chief Conservator of Forests (GHNP & PIN Valley National Parks)	Level 14 in the Pay Matrix
19	Chief Conservator of Forests North (Wildlife)	Level 14 in the Pay Matrix
20	Chief Conservator of Forests South (Wildlife)	Level 14 in the Pay Matrix
21	Chief Conservator of Forests, (T) Kullu	Level 14 in the Pay Matrix
22	Chief Conservator of Forests, (T) Chamba	Level 14 in the Pay Matrix
23	Chief Conservator of Forests, (T) Rampur	Level 14 in the Pay Matrix
24	Conservator of Forests (Territorial), Bilaspur	Level 13A in the Pay Matrix
25	Conservator of Forests (Territorial), Hamirpur	Level 13A in the Pay Matrix
26	Conservator of Forests (Territorial), Dharamshala	Level 13A in the Pay Matrix
27	Conservator of Forests (Territorial), Mandi	Level 13A in the Pay Matrix
28	Conservator of Forests (Territorial), Nahan	Level 13A in the Pay Matrix
29	Conservator of Forests (Territorial), Shimla	Level 13A in the Pay Matrix
30	Conservator of Forests, (Pol. & Law)	Level 13A in the Pay Matrix
31	Conservator of Forests, (CAT Plans)	Level 13A in the Pay Matrix
32	Conservator of Forests, (Research)	Level 13A in the Pay Matrix
33	Conservator of Forests, (MIS & Public Grievance)	Level 13A in the Pay Matrix
34	Conservator of Forests, (Finance & Planning)	Level 13A in the Pay Matrix
35	Conservator of Forests, (Soil)	Level 13A in the Pay Matrix
36	Conservator of Forests, (Working Plan North)	Level 13A in the Pay Matrix
37	Conservator of Forests, (Working Plan South)	Level 13A in the Pay Matrix
38	Conservator of Forests, (Working Plan Central)	Level 13A in the Pay Matrix
39	Conservator of Forests, (FTI SNR)	Level 13A in the Pay Matrix
40	Conservator of Forests, (FTI Chail)	Level 13A in the Pay Matrix
41	Conservator of Forests, (M&E)	Level 13A in the Pay Matrix

**Jammu & Kashmir**

1	Principal Chief Conservator of Forests (HOFF)	Level 17 in the Pay Matrix
2	Principal Chief Conservator of Forests (WL) and Chief Wildlife Warden	Level 16 in the Pay Matrix
3	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Central)	Level 15 in the Pay Matrix
4	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Social Forestry)	Level 15 in the Pay Matrix

5	Additional Principal Chief Conservator of Forests/Director Forest Protection Force	Level 15 in the Pay Matrix
6	Chief Conservator of Forests Jammu	Level 14 in the Pay Matrix
7	Chief Conservator of Forests Kashmir	Level 14 in the Pay Matrix
8	Chief Conservator of Forests Working Plan, Research & Training	Level 14 in the Pay Matrix
9	Chief Conservator of Forests Planning & Projects	Level 14 in the Pay Matrix
10	Chief Conservator of Forests Soil Conservation	Level 14 in the Pay Matrix
11	Chief Conservator of Forests Environment & Remote Sensing	Level 14 in the Pay Matrix
12	Chief Conservator of Forests Eco-Tourism	Level 14 in the Pay Matrix
13	Chief Conservator of Forests FC Act and Nodal Officer	Level 14 in the Pay Matrix
14	Chief Conservator of Forests, Forest Settlement & Demarcation	Level 14 in the Pay Matrix
15	Conservator of Forests East Circle	Level 13A in the Pay Matrix
16	Conservator of Forests West Circle	Level 13A in the Pay Matrix
17	Conservator of Forests Chenab Circle	Level 13A in the Pay Matrix
18	Conservator of Forests North Circle	Level 13A in the Pay Matrix
19	Conservator of Forests South Circle	Level 13A in the Pay Matrix
20	Conservator of Forests Srinagar Circle	Level 13A in the Pay Matrix
21	Conservator of Forests Central Circle	Level 13A in the Pay Matrix
22	Conservator of Forests Agrostology	Level 13A in the Pay Matrix
23	Conservator of Forests / RD Social Forestry Kashmir	Level 13A in the Pay Matrix
24	Conservator of Forests / RD Social Forestry Jammu	Level 13A in the Pay Matrix
25	Conservator of Forests Wildlife Jammu	Level 13A in the Pay Matrix
26	Conservator of Forests Wildlife Kashmir	Level 13A in the Pay Matrix
27	Conservator of Forests Wildlife Ladakh	Level 13A in the Pay Matrix
28	Conservator of Forests Research & Training	Level 13A in the Pay Matrix
29	Conservator of Forests (Vigilance)	Level 13A in the Pay Matrix
30	Conservator of Forests (Working Plan)	Level 13A in the Pay Matrix

### Jharkhand

1	Principal Chief Conservator of Forests & HOFF	Level 17 in the Pay Matrix
2	Principal Chief Conservator of Forests, Wildlife and Chief Wildlife Warden	Level 16 in the Pay Matrix
3	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Development)	Level 15 in the Pay Matrix
4	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Working Plan)	Level 15 in the Pay Matrix
5	Additional Principal Chief Conservator of Forests (HRD)	Level 15 in the Pay Matrix
6	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Research and Training)	Level 15 in the Pay Matrix
7	Additional Principal Chief Conservator of Forests (CAMPA)	Level 15 in the Pay Matrix
8	Additional Principal Chief Conservator of Forests (FDA)	Level 15 in the Pay Matrix
9	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Special Projects)	Level 15 in the Pay Matrix
10	Additional Principal Chief Conservator of Forests & Director, Extension Forestry, North Chhotanagpur & Palamau/South Chhotanagpur/ Santhal Pragana	Level 15 in the Pay Matrix
11	Regional Chief Conservator of Forests, Hazaribagh.	Level 14 in the Pay Matrix
12	Regional Chief Conservator of Forests, Palamau.	Level 14 in the Pay Matrix
13	Regional Chief Conservator of Forests, Ranchi	Level 14 in the Pay Matrix
14	Regional Chief Conservator of Forests, Santhal Paragana	Level 14 in the Pay Matrix
15	Regional Chief Conservator of Forests, Singhbhum	Level 14 in the Pay Matrix
16	Regional Chief Conservator of Forests, Bokaro	Level 14 in the Pay Matrix
17	Chief Conservator of Forests (Wildlife)	Level 14 in the Pay Matrix
18	Chief Conservator of Forests (Research)	Level 14 in the Pay Matrix
19	Chief Conservator of Forests (Vigilance)	Level 14 in the Pay Matrix
20	Chief Conservator of Forests (Training)	Level 14 in the Pay Matrix

21	Chief Conservator of Forests Personnel (Gazetted)	Level 14 in the Pay Matrix
22	Chief Conservator of Forests Personnel (Non-Gazetted)	Level 14 in the Pay Matrix
23	Chief Conservator of Forests & Field Director, Palamau Tiger Reserve	Level 14 in the Pay Matrix
24	Chief Conservator of Forests & Director, Bhagwan Birsa Biological Park, Ranchi	Level 14 in the Pay Matrix
25	Chief Conservator of Forests (Administration)	Level 14 in the Pay Matrix
26	Conservator of Forests, Territorial Circles - Bokaro	Level 13A in the Pay Matrix
27	Conservator of Forests, Territorial Circles - Deoghar	Level 13A in the Pay Matrix
28	Conservator of Forests, Territorial Circles - Dumka	Level 13A in the Pay Matrix
29	Conservator of Forests, Territorial Circles - Hazaribagh	Level 13A in the Pay Matrix
30	Conservator of Forests, Territorial Circles - Ranchi	Level 13A in the Pay Matrix
31	Conservator of Forests, Territorial Circles - Chaibasa	Level 13A in the Pay Matrix
32	Conservator of Forests, Territorial Circles - Medinigarh	Level 13A in the Pay Matrix
33	Conservator of Forests, Territorial Circles - Giridih	Level 13A in the Pay Matrix
34	Conservator of Forests, Territorial Circles - Chatra	Level 13A in the Pay Matrix
35	Conservator of Forests, Territorial Circles - Gumla	Level 13A in the Pay Matrix
36	Conservator of Forests, Territorial Circles - Jamshedpur	Level 13A in the Pay Matrix
37	Conservator of Forests, Territorial Circles - Garwah	Level 13A in the Pay Matrix
38	Conservator of Forests, Working Plans - Ranchi	Level 13A in the Pay Matrix
39	Conservator of Forests, Working Plans - Chaibasa	Level 13A in the Pay Matrix
40	Conservator of Forests, Working Plans - Dumka	Level 13A in the Pay Matrix
41	Conservator of Forests, Working Plans - Bokaro	Level 13A in the Pay Matrix
42	Conservator of Forests, Working Plans - Palamau	Level 13A in the Pay Matrix
43	Conservator of Forests, Working Plans - Hazaribagh	Level 13A in the Pay Matrix
44	Conservator of Forests, Planning Ranchi	Level 13A in the Pay Matrix
45	Conservator of Forests & State Silviculturist, Ranchi	Level 13A in the Pay Matrix
46	Conservator of Forests, Plantation Research & Evaluation, Ranchi	Level 13A in the Pay Matrix

**Karnataka**

1	Principal Chief Conservator of Forests & HOFF	Level 17 in the Pay Matrix
2	Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife)	Level 16 in the Pay Matrix
3	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Evaluation, Working Plan and Training)	Level 15 in the Pay Matrix
4	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Forest Resources Management)	Level 15 in the Pay Matrix
5	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Development)	Level 15 in the Pay Matrix
6	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Headquarters & Co-ordination)	Level 15 in the Pay Matrix
7	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Vigilance)	Level 15 in the Pay Matrix
8	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Personnel & Recruitment)	Level 15 in the Pay Matrix
9	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Research & Utilization)	Level 15 in the Pay Matrix
10	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Forest Conservation)	Level 15 in the Pay Matrix
11	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Project)	Level 15 in the Pay Matrix
12	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife)	Level 15 in the Pay Matrix
13	Chief Conservator of Forests (Human Resources Development)	Level 14 in the Pay Matrix
14	Chief Conservator of Forests (Project Tiger) South	Level 14 in the Pay Matrix
15	Chief Conservator of Forests & Secretary (Forests)	Level 14 in the Pay Matrix
16	Chief Conservator of Forests (Legal Cell)	Level 14 in the Pay Matrix
17	Chief Conservator of Forests (Territorial)	Level 14 in the Pay Matrix
18	Conservator of Forests (Working Plan)	Level 13A in the Pay Matrix
19	Conservator of Forests (Research)	Level 13A in the Pay Matrix

20	Conservator of Forests (Budget & Audit)	Level 13A in the Pay Matrix
21	Conservator of Forests (Head Quarters)	Level 13A in the Pay Matrix
22	Conservator of Forests (Forest Conservation)	Level 13A in the Pay Matrix
23	Conservator of Forests (Project)	Level 13A in the Pay Matrix
24	Conservator of Forests (Forest Resource Management)	Level 13A in the Pay Matrix
25	Conservator of Forests (Vigilance)	Level 13A in the Pay Matrix
26	Conservator of Forests (Development)	Level 13A in the Pay Matrix
27	Director, Rajiv Gandhi National Park	Level 13A in the Pay Matrix
28	Director, Bandipura National Park	Level 13A in the Pay Matrix
29	Director, Bhadra Wildlife, Chickamagalur	Level 13A in the Pay Matrix
30	Director, Anshi-Dandeli National Park	Level 13A in the Pay Matrix

### Kerala

1	Principal Chief Conservator of Forests & Head of Forest Force	Level 17 in the Pay Matrix
2	Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife) and Chief Wildlife Warden	Level 16 in the Pay Matrix
3	Principal Chief Conservator of Forests (Forest Management)	Level 16 in the Pay Matrix
4	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Administration)	Level 15 in the Pay Matrix
5	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Finance, Budget & Audit)	Level 15 in the Pay Matrix
6	Additional Principal Chief Conservator (Forest Land & Resources)	Level 15 in the Pay Matrix
7	Addl. Principal Chief Conservator of Forests (Vigilance & Forest Intelligence)	Level 15 in the Pay Matrix
8	Chief Conservator of Forests, ED & TW	Level 14 in the Pay Matrix
9	Chief Conservator of Forests (Working Plan & Research)	Level 14 in the Pay Matrix
10	Chief Conservator of Forests, Territorial (Southern circle, Kollam, High Range Circle, Kottayam, Central Circle, Thrissur, Eastern Circle, Palakkad and Northern Circle, Kozhikode)	Level 14 in the Pay Matrix
11	Chief Conservator of Forests (Wildlife) & Field Director Palakkad	Level 14 in the Pay Matrix
12	Chief Conservator of Forests (Wildlife) & Field Director Kottayam	Level 14 in the Pay Matrix
13	Chief Conservator of Forests & Nodal Officer, CAMPA	Level 14 in the Pay Matrix
14	Chief Conservator of Forests (Information Technology)	Level 14 in the Pay Matrix
15	Conservator of Forests (HRD)	Level 13A in the Pay Matrix
16	Conservator of Forests (Special Afforestation)	Level 13A in the Pay Matrix
17	Conservator of Forests-Inspection & Evaluation (Northern Region), Kozhikode & Southern Region, Kottayam	Level 13A in the Pay Matrix
18	Conservator of Forests (Social Forestry), Ernakulam, Kozhikode, Kollam	Level 13A in the Pay Matrix
19	Conservator of Forests (Working Plan) Northern Region Kozhikode & Southern Region, Kollam	Level 13A in the Pay Matrix
20	Conservator of Forests & TA to PCCF (FM)	Level 13A in the Pay Matrix
21	Conservator of Forests & TA to PCCF & CWW	Level 13A in the Pay Matrix
22	Conservator of Forests & TA to PCCF & HoFF	Level 13A in the Pay Matrix
23	Conservator of Forests (Wildlife)	Level 13A in the Pay Matrix

### Madhya Pradesh

1	Principal Chief Conservator of Forests & Head of the Forest Force	Level 17 in the Pay Matrix
2	Principal Chief Conservator of Forests Biodiversity Conservation & Chief Wildlife Warden	Level 16 in the Pay Matrix
3	Principal Chief Conservator of Forests, Working Plan & Forest Land Records	Level 16 in the Pay Matrix

4	Principal Chief Conservator of Forests, Research & Extension and Lok Vaniki	Level 16 in the Pay Matrix
5	Principal Chief Conservator of Forests, Production	Level 16 in the Pay Matrix
6	Additional Principal Chief Conservator of Forests, Development & Planning	Level 15 in the Pay Matrix
7	Additional Principal Chief Conservator of Forests, Adm.I	Level 15 in the Pay Matrix
8	Additional Principal Chief Conservator of Forests, Res.& Ext.	Level 15 in the Pay Matrix
9	Additional Principal Chief Conservator of Forests, Protection	Level 15 in the Pay Matrix
10	Additional Principal Chief Conservator of Forests, Adm.II	Level 15 in the Pay Matrix
11	Additional Principal Chief Conservator of Forests, Wildlife Management, Planning & Eco-tourism	Level 15 in the Pay Matrix
12	Additional Principal Chief Conservator of Forests, Vigilance & Complaints	Level 15 in the Pay Matrix
13	Additional Principal Chief Conservator of Forests, Land Management	Level 15 in the Pay Matrix
14	Additional Principal Chief Conservator of Forests, Production	Level 15 in the Pay Matrix
15	Additional Principal Chief Conservator of Forests, Finance & Budget	Level 15 in the Pay Matrix
16	Additional Principal Chief Conservator of Forests, J.F.M & F.D.A	Level 15 in the Pay Matrix
17	Additional Principal Chief Conservator of Forests, IT	Level 15 in the Pay Matrix
18	Additional Principal Chief Conservator of Forests, Project	Level 15 in the Pay Matrix
19	Additional Principal Chief Conservator of Forests, Co-ordination	Level 15 in the Pay Matrix
20	Additional Principal Chief Conservator of Forests, Monitoring & Evaluation	Level 15 in the Pay Matrix
21	Additional Principal Chief Conservator of Forests, HRD	Level 15 in the Pay Matrix
22	Additional Principal Chief Conservator of Forests, Forest Land Records	Level 15 in the Pay Matrix
23	Additional Principal Chief Conservator of Forests, Working Plan-HQ	Level 15 in the Pay Matrix
24	Additional Principal Chief Conservator of Forests, Working Plan-Regional, Bhopal, Jabalpur & Indore	Level 15 in the Pay Matrix
25	Additional Principal Chief Conservator of Forests, Liaisoning, New Delhi	Level 15 in the Pay Matrix
26	Additional Principal Chief Conservator of Forests, Wildlife Protection	Level 15 in the Pay Matrix
27	Additional Principal Chief Conservator of Forests, CAMPA	Level 15 in the Pay Matrix
28	Additional Principal Chief Conservator of Forests, Green India Mission	Level 15 in the Pay Matrix
29	Chief Conservator of Forests, Forest Ranger's College, Balaghat	Level 14 in the Pay Matrix
30	Chief Conservator of Forests (Territorial): Rewa, Shadol, Balaghat, Seoni, Chhindwara, Indore, Khandwa, Jabalpur, Hosangabad, Bhopal, Sagar, Ujjain, Gwalior, Shivpuri, Chhattarpur and Betul	Level 14 in the Pay Matrix
31	Chief Conservator of Forests & Field Director: Kanha Tiger Reserve, Mandla; Bandhavgarh Tiger Reserve, Umaria; Pench Tiger Reserve, Seoni; Sanjay Tiger Reserve, Rewa; Panna Tiger Reserve, Panna; Satpura Tiger Reserve, Pachmarchi and Madhav National Park, Shivpuri	Level 14 in the Pay Matrix
32	Chief Conservator of Forests & Director, Lion Project Gwalior and Van Vihar NP, Bhopal	Level 14 in the Pay Matrix

33	Chief Conservator of Forests (Research & Extension) Rewa, Seoni, Indore, Khandwa, Jabalpur, Bhopal, Sagar, Gwalior, Betul and Ratlam	Level 14 in the Pay Matrix
34	Chief Conservator of Forests (Working Plan) Jabalpur, Bhopal and Indore	Level 14 in the Pay Matrix
35	Chief Conservator of Forests (Wildlife) HQ	Level 14 in the Pay Matrix
36	Chief Conservator of Forests, Forest Manual	Level 14 in the Pay Matrix
37	Chief Conservator of Forests, Harvesting	Level 14 in the Pay Matrix
38	Chief Conservator of Forests, MNREGA & Livelihood Project	Level 14 in the Pay Matrix
39	Chief Conservator of Forests, Policy Research & Analysis	Level 14 in the Pay Matrix
40	Chief Conservator of Forests, Externally Aided Project	Level 14 in the Pay Matrix
41	Chief Conservator of Forests, Skill Development	Level 14 in the Pay Matrix
42	Chief Conservator of Forests, Working Plan-Regional, Rewa	Level 14 in the Pay Matrix
43	Chief Conservator of Forests, Working Plan-Regional, Gwalior	Level 14 in the Pay Matrix
44	Chief Conservator of Forests, Urban Forestry	Level 14 in the Pay Matrix
45	Chief Conservator of Forests, Wildlife Crime Protection	Level 14 in the Pay Matrix
46	Chief Conservator of Forests, REDD+	Level 14 in the Pay Matrix
47	Conservator of Forests (Working Plan) Rewa, Shandol, Balaghat, Seoni, Chhindwara, Khandwa, Hosangabad, Sagar, Ujjain, Gwalior, Shivpuri, Chhattarpur and Betul	Level 13A in the Pay Matrix
48	Conservator of Forests (Territorial) Bhopal, Indore, Jabalpur, Gwalior, Sehore, Chhattarpur, Damoh, Dewas, Guna, Khandwa, Narsinghpur, Satna, Shivpuri, Vidisha, Hosangabad, Dindori, Umaria and Katni	Level 13A in the Pay Matrix
49	Conservator of Forests, Head Quarters	Level 13A in the Pay Matrix
50	Joint Director, Project Tiger: Kanha TR, Pench TR, Bandhavgarh TR, Satpuda TR, Panna TR and Sanjay TR	Level 13A in the Pay Matrix
51	Conservator of Forests (R&E), Jhabua	Level 13A in the Pay Matrix

### Maharashtra

1	Principal Chief Conservator of Forests (HoFF)	Level 17 in the Pay Matrix
2	Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife)	Level 16 in the Pay Matrix
3	Additional Principal Chief Conservator of Forests, (Budget, Planning and Development)	Level 15 in the Pay Matrix
4	Additional Principal Chief Conservator of Forests, (Production and Management)	Level 15 in the Pay Matrix
5	Additional Principal Chief Conservator of Forests, (Administration, Subordinate Cadres)	Level 15 in the Pay Matrix
6	Additional Principal Chief Conservator of Forests, (Wildlife), West	Level 15 in the Pay Matrix
7	Additional Principal Chief Conservator of Forests, (Wildlife), East	Level 15 in the Pay Matrix
8	Additional Principal Chief Conservator of Forests, (Research, Education and Training)	Level 15 in the Pay Matrix
9	Additional Principal Chief Conservator of Forests and Nodal Officer	Level 15 in the Pay Matrix
10	Additional Principal Chief Conservator of Forests and Director General (Social Forestry)	Level 15 in the Pay Matrix
11	Additional Principal Chief Conservator of Forests, (Protection)	Level 15 in the Pay Matrix
12	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Ecotourism & Wildlife Administration)	Level 15 in the Pay Matrix
13	Chief Conservator of Forests (Territorial) Namely, Amravati, Aurangabad, Nasik, Pune, Thane, Nagpur, Yavatmal, Dhule, Kolhapur, North Chandrapur and South Chandrapur	Level 14 in the Pay Matrix
14	Chief Conservator of Forests & Field Director, Melghat Tiger Reserve and Todaba-Andhari Tiger Reserve	Level 14 in the Pay Matrix

15	Chief Conservator of Forests, (Working Plan), East	Level 14 in the Pay Matrix
16	Chief Conservator of Forests, (Working Plan), West	Level 14 in the Pay Matrix
17	Chief Conservator of Forests, (Personnel)	Level 14 in the Pay Matrix
18	Chief Conservator of Forests (Conservation)	Level 14 in the Pay Matrix
19	Chief Conservator of Forests and Dy. Director General (M&E) Social Forestry	Level 14 in the Pay Matrix
20	Chief Conservator of Forests, (Non Timber Forests produce Monitoring and Evaluation)	Level 14 in the Pay Matrix
21	Chief Conservator of Forests (CAMPAs) Nagpur.	Level 14 in the Pay Matrix
22	Chief Conservator of Forests (Education & Training)	Level 14 in the Pay Matrix
23	Chief Conservator of Forests (JFM, Planning and Development)	Level 14 in the Pay Matrix
24	Chief Conservator of Forests (Wildlife) Nashik.	Level 14 in the Pay Matrix
25	Chief Conservator of Forests (Information Technology & Policy)	Level 14 in the Pay Matrix
26	Chief Conservator of Forests, (Human Research Management)	Level 14 in the Pay Matrix
27	Chief Conservator of Forests (Vigilance & Employees Welfare).	Level 14 in the Pay Matrix
28	Chief Conservator of Forests & Dy. Director General, Social Forestry, Nagpur, Amravati, Aurangabad, Nasik, Pune, Thane.	Level 14 in the Pay Matrix
29	Conservator of Forests, (Working Plan) Dhule, Chandrapur-1, Chandrapur-2, Amravati, Aurangabad, Nagpur, Nasik, Pune, Dahanu, Yavatmal and Kolhapur.	Level 13A in the Pay Matrix
30	Conservator of Forests (Wildlife) Kolhapur, Pune	Level 13A in the Pay Matrix
31	Conservator of Forests & Director, Sanjay Gandhi Park.	Level 13A in the Pay Matrix
32	Conservation of Forests & Field Director, Pench Tiger Reserve	Level 13A in the Pay Matrix
33	Conservator of Forests (Non-Timber Forest Produce)	Level 13A in the Pay Matrix
34	Conservator of Forest (Forest Regulation)	Level 13A in the Pay Matrix
35	Conservator of Forest (Land Records)	Level 13A in the Pay Matrix
36	Joint Secretary, Forest	Level 13A in the Pay Matrix
37	Conservator of Forests (Transport & Marketing) Ballarshah	Level 13A in the Pay Matrix
38	Conservator of Forests and Silviculturist, (Chandrapur and Pune)	Level 13A in the Pay Matrix
39	Conservator of Forests (Resource Utilisation)	Level 13A in the Pay Matrix
40	Conservator of Forests (Budget & Audit)	Level 13A in the Pay Matrix
41	Conservator of Forests (Evaluation)	Level 13A in the Pay Matrix

### Manipur

1	Principal Chief Conservator of Forests	Level 17 in the Pay Matrix
2	Additional Principal Chief Conservator of Forests (WL)	Level 15 in the Pay Matrix
3	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Cons. & FDA)	Level 15 in the Pay Matrix
4	Chief Conservator of Forests (Central & Biodiversity)	Level 14 in the Pay Matrix
5	Chief Conservator of Forests (Territorial-I)	Level 14 in the Pay Matrix
6	Chief Conservator of Forests (Territorial-II)	Level 14 in the Pay Matrix
7	Chief Conservator of Forests (Development)	Level 14 in the Pay Matrix
8	Chief Conservator of Forests (Administration & Planning)	Level 14 in the Pay Matrix
9	Chief Conservator of Forests (Environment, Eco-Tourism & FC Act)	Level 14 in the Pay Matrix
10	Conservator of Forests (Administration & Planning)	Level 13A in the Pay Matrix
11	Conservator of Forests (Extension Circle)	Level 13A in the Pay Matrix
12	Conservator of Forests (Working Plan, Research & Training)	Level 13A in the Pay Matrix
13	Conservator of Forests (Northern Circle)	Level 13A in the Pay Matrix
14	Conservator of Forests (Eastern Circle)	Level 13A in the Pay Matrix
15	Conservator of Forests (Western Circle)	Level 13A in the Pay Matrix

16	Conservator of Forests (Southern Circle)	Level 13A in the Pay Matrix
17	Conservator of Forests (Central Circle)	Level 13A in the Pay Matrix
18	Conservator of Forests (Wildlife)	Level 13A in the Pay Matrix

**Nagaland**

1	Principal Chief Conservator of Forests	Level 17 in the Pay Matrix
2	Additional Principal Chief Conservator of Forests & Chief Wildlife Warden	Level 15 in the Pay Matrix
3	Additional Principal Chief Conservator of Forests, Development & Planning	Level 15 in the Pay Matrix
4	Chief Conservator of Forests, Monitoring and Evaluation	Level 14 in the Pay Matrix
5	Chief Conservator of Forests, Environment, Bio-diversity and Research	Level 14 in the Pay Matrix
6	Chief Conservator of Forests, Headquarters	Level 14 in the Pay Matrix
7	Chief Conservator of Forests, Territorial	Level 14 in the Pay Matrix
8	Conservator of Forests, Northern Territorial Circle	Level 13A in the Pay Matrix
9	Conservator of Forests, Southern Territorial Circle	Level 13A in the Pay Matrix
10	Conservator of Forests, Research, Planning and Utilization	Level 13A in the Pay Matrix
11	Conservator of Forests, Wildlife and Bio-diversity	Level 13A in the Pay Matrix
12	Conservator of Forests, Head Quarters	Level 13A in the Pay Matrix
13	Conservator of Forests, Publicity and Training	Level 13A in the Pay Matrix

**Odisha**

1	Principal Chief Conservator of Forests, HoFF	Level 17 in the Pay Matrix
2	Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife) and ex-officio Chief Wildlife Warden	Level 16 in the Pay Matrix
3	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Kendu Leaf)	Level 15 in the Pay Matrix
4	Special Secretary (Forest & Environment)	Level 15 in the Pay Matrix
5	Director (Environment)	Level 15 in the Pay Matrix
6	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Projects, Community & Agro-forestry)	Level 15 in the Pay Matrix
7	Chief Conservator of Forests (Personnel Administration)	Level 14 in the Pay Matrix
8	Chief Conservator of Forests (Wildlife)	Level 14 in the Pay Matrix
9	Chief Conservator of Forests (Protection & Sustainable Management)	Level 14 in the Pay Matrix
10	Chief Conservator of Forests (Plan Programmes & Afforestation)	Level 14 in the Pay Matrix
11	Chief Conservator of Forests (Monitoring, Evaluation & Internal Vigilance)	Level 14 in the Pay Matrix
12	Chief Conservator of Forests (Forest Division) & Nodal Officer, FC Act.	Level 14 in the Pay Matrix
13	Regional Chief Conservator of Forests (Koraput, Bhawanipatana, Behrampur, Bhubaneshwar, Angul, Sambalpur West, Sambalpur East, Barapada)	Level 14 in the Pay Matrix
14	Chief Conservator of Forests, Training & Development	Level 14 in the Pay Matrix
15	Chief Conservator of Forests, (Kendu Leaf Headquarters)	Level 14 in the Pay Matrix
16	Conservator of Forests (Kendu Leaf)	Level 13A in the Pay Matrix
17	Conservator of Forests (Working Plan)	Level 13A in the Pay Matrix
18	Conservator of Forests (Planning)	Level 13A in the Pay Matrix
19	Conservator of Forests (Nodal Cell)	Level 13A in the Pay Matrix
20	Field Director, Similipal Tiger Reserve	Level 13A in the Pay Matrix
21	Director, Nandankanan Zoo & Botanical Garden	Level 13A in the Pay Matrix
22	Conservator of Forests (HRD)	Level 13A in the Pay Matrix
23	Conservator of Forests (Forest Utilization)	Level 13A in the Pay Matrix
24	Conservator of Forests (Finance, Budget & Audit)	Level 13A in the Pay Matrix
25	Conservator of Forests (Afforestation)	Level 13A in the Pay Matrix
26	Conservator of Forests (Wildlife)	Level 13A in the Pay Matrix
27	Director, Forest Training	Level 13A in the Pay Matrix
28	Assistant Principal Chief Conservator of Forests	Level 13A in the Pay Matrix

29	State Silviculturist	Level 13A in the Pay Matrix
<b>Punjab</b>		
1	Principal Chief Conservator of Forests & Head of the Forest Force	Level 17 in the Pay Matrix
2	Additional Principal Chief Conservator of Forests, Development	Level 15 in the Pay Matrix
3	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Forest Conservation and Nodal Officer FCA)	Level 15 in the Pay Matrix
4	Additional Principal Chief Conservator of Forests, (Administration & Co-ordination)	Level 15 in the Pay Matrix
5	Chief Conservator of Forests (Hills)	Level 14 in the Pay Matrix
6	Chief Conservator of Forests (Plains)	Level 14 in the Pay Matrix
7	Chief Conservator of Forests (Working Plan, Monitoring & Evaluation)	Level 14 in the Pay Matrix
8	Chief Conservator of Forests (FC Act Cum-Nodal Officer)	Level 14 in the Pay Matrix
9	Chief Conservator of Forests (IT & e-governance)	Level 14 in the Pay Matrix
10	Chief Conservator of Forests (Wildlife)	Level 14 in the Pay Matrix
11	Conservator of Forests (Research and Training)	Level 13A in the Pay Matrix
12	Conservator of Forests, Shiwalik (Territorial) Circle	Level 13A in the Pay Matrix
13	Conservator of Forests, Bist (Territorial) Circle	Level 13A in the Pay Matrix
14	Conservator of Forests, South (Territorial) Circle	Level 13A in the Pay Matrix
15	Conservator of Forests, Firozpur (Territorial)	Level 13A in the Pay Matrix
16	Conservator of Forests (Wildlife) Shiwalik Circle	Level 13A in the Pay Matrix
17	Conservator of Forests, North Territorial Circle	Level 13A in the Pay Matrix
18	Conservator of Forests (Working Plan)	Level 13A in the Pay Matrix
19	Conservator of Forests, Wildlife Parks & Protected Area	Level 13A in the Pay Matrix
<b>Rajasthan</b>		
1	Principal Chief Conservator of Forests, Jaipur	Level 17 in the Pay Matrix
2	Principal Chief Conservator of Forests and Chief Wildlife Warden, Jaipur	Level 16 in the Pay Matrix
3	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Development), Jaipur	Level 15 in the Pay Matrix
4	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Administration), Jaipur	Level 15 in the Pay Matrix
5	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife), Jaipur	Level 15 in the Pay Matrix
6	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Production), Jaipur	Level 15 in the Pay Matrix
7	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Forest Protection) and Nodal Officer, (FCA), Jaipur	Level 15 in the Pay Matrix
8	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Soil Conservation), Jaipur	Level 15 in the Pay Matrix
9	Chief Conservator of Forests, Jodhpur	Level 14 in the Pay Matrix
10	Chief Conservator of Forests, (Establishment) Jaipur	Level 14 in the Pay Matrix
11	Chief Conservator of Forests, Kota	Level 14 in the Pay Matrix
12	Chief Conservator of Forests, Udaipur	Level 14 in the Pay Matrix
13	Chief Conservator of Forests, (NTFP), Jaipur	Level 14 in the Pay Matrix
14	Chief Conservator of Forests, (PF and E), Jaipur	Level 14 in the Pay Matrix
15	Chief Conservator of Forests, Departmental Operation Scheme, Jaipur	Level 14 in the Pay Matrix
16	Chief Conservator of Forests, Ajmer	Level 14 in the Pay Matrix
17	Chief Conservator of Forests, Bharatpur	Level 14 in the Pay Matrix
18	Chief Conservator of Forests, (Wildlife), Kota	Level 14 in the Pay Matrix
19	Chief Conservator of Forests, (Wildlife), Udaipur	Level 14 in the Pay Matrix
20	Chief Conservator of Forests, Bikaner	Level 14 in the Pay Matrix
21	Chief Conservator of Forests, Jaipur	Level 14 in the Pay Matrix
22	Chief Conservator of Forests, (Wildlife), Jaipur	Level 14 in the Pay Matrix

23	Chief Conservator of Forests, (Wildlife), Jodhpur	Level 14 in the Pay Matrix
24	Chief Conservator of Forests, (Working Plan and Forest Settlement), Jaipur	Level 14 in the Pay Matrix
25	Chief Conservator of Forests, Flood Prone River Project, Jaipur	Level 14 in the Pay Matrix
26	Chief Conservator of Forests, River Valley Project, Kota	Level 14 in the Pay Matrix
27	Chief Conservator of Forests, (Plan), Jaipur	Level 14 in the Pay Matrix
28	Chief Conservator of Forests, (Protection), Jaipur	Level 14 in the Pay Matrix
29	Chief Conservator of Forests, (Research and Training) Jaipur	Level 14 in the Pay Matrix
30	Regional Conservator of Forests, (Monitoring and Evaluation) cum Chairperson, FDA, Jaipur, Kota, Jodhpur, Bikaner, Udaipur, Ajmer and Bharatpur	Level 13A in the Pay Matrix
31	Conservator of Forests, (Training), Jaipur	Level 13A in the Pay Matrix
32	Conservator of Forests, (Research), Jaipur	Level 13A in the Pay Matrix
33	Conservator of Forests, (Medicinal Plants), Jaipur	Level 13A in the Pay Matrix
34	Conservator of Forests, (Eco-Tourism), Jaipur	Level 13A in the Pay Matrix
35	Conservator of Forests, (Project Tiger), Alwar and Kota	Level 13A in the Pay Matrix
36	Conservator of Forests, (Joint Forest Management), Jaipur	Level 13A in the Pay Matrix
37	Conservator of Forests, (Concurrent Evaluation), Jaipur	Level 13A in the Pay Matrix
38	Conservator of Forests and TA to PCCF, Rajasthan, Jaipur	Level 13A in the Pay Matrix

**Sikkim**

1	Principal Chief Conservator of Forests, (Head Forest Force)	Level 17 in the Pay Matrix
2	Additional Principal Chief Conservator of Forests	Level 15 in the Pay Matrix
3	Chief Conservator of Forests	Level 14 in the Pay Matrix
4	Conservator of Forests (Territorial)	Level 13A in the Pay Matrix
5	Conservator of Forests (Soil Conservation)	Level 13A in the Pay Matrix
6	Conservator of Forests (Research and Development)	Level 13A in the Pay Matrix
7	Conservator of Forests (Wildlife)	Level 13A in the Pay Matrix
8	Conservator of Forests (Social Forestry)	Level 13A in the Pay Matrix

**Tamil Nadu**

1	Principal Chief Conservator of Forests (Head of Forest Force), Chennai	Level 17 in the Pay Matrix
2	Principal Chief Conservator of Forests, Chief Wildlife Warden	Level 16 in the Pay Matrix
3	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Administration)	Level 15 in the Pay Matrix
4	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Afforestation)	Level 15 in the Pay Matrix
5	Additional Principal Chief Conservator of Forests & Director, TNFA, Coimbatore	Level 15 in the Pay Matrix
6	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Forest Conservation Act)	Level 15 in the Pay Matrix
7	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Personnel & Vigilance)	Level 15 in the Pay Matrix
8	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Planning & Budgeting)	Level 15 in the Pay Matrix
9	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Research)	Level 15 in the Pay Matrix
10	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Social Forestry & Extension)	Level 15 in the Pay Matrix
11	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Wild Life)	Level 15 in the Pay Matrix
12	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Working Plan)	Level 15 in the Pay Matrix
13	Chief Conservator of Forests (Biodiversity Conservation)	Level 14 in the Pay Matrix
14	Chief Conservator of Forests (CDM)	Level 14 in the Pay Matrix
15	Chief Conservator of Forests & Director, AAZP	Level 14 in the Pay Matrix

16	Chief Conservator of Forests & Field Director, Annamalai Tiger Reserve	Level 14 in the Pay Matrix
17	Chief Conservator of Forests & Field Director, Kalakad Mundanthurai Tiger Reserve	Level 14 in the Pay Matrix
18	Chief Conservator of Forests & Field Director, Mudumalai Tiger Reserve	Level 14 in the Pay Matrix
19	Chief Conservator of Forests (Forest Consolidation)	Level 14 in the Pay Matrix
20	Chief Conservator of Forests (Forest Utilization)	Level 14 in the Pay Matrix
21	Chief Conservator of Forests (Forestry Extension)	Level 14 in the Pay Matrix
22	Chief Conservator of Forests (GIS)	Level 14 in the Pay Matrix
23	Chief Conservator of Forests (Headquarters)	Level 14 in the Pay Matrix
24	Chief Conservator of Forests (HRD)	Level 14 in the Pay Matrix
25	Chief Conservator of Forests (Planning & Development)	Level 14 in the Pay Matrix
26	Chief Conservator of Forests & Principal, TNFTC Vaigai Dam	Level 14 in the Pay Matrix
27	Chief Conservator of Forests (Project Formulation)	Level 14 in the Pay Matrix
28	Chief Conservator of Forests (Protection)	Level 14 in the Pay Matrix
29	Chief Conservator of Forests (Publicity)	Level 14 in the Pay Matrix
30	Chief Conservator of Forests (Research)	Level 14 in the Pay Matrix
31	Chief Conservator of Forests (Wildlife)	Level 14 in the Pay Matrix
32	Chief Conservator of Forests, Working Plan, Coimbatore	Level 14 in the Pay Matrix
33	Chief Conservator of Forests, Working Plan, Salem	Level 14 in the Pay Matrix
34	Chief Conservator of Forests, Working Plan, Trichy	Level 14 in the Pay Matrix
35	Chief Conservator of Forests, Working Plan, Vellore	Level 14 in the Pay Matrix
36	Conservator of Forests and Additional Director, AAZP	Level 13A in the Pay Matrix
37	Conservator of Forests, Genetics, Coimbatore	Level 13A in the Pay Matrix
38	Conservator of Forests, Planning & Development	Level 13A in the Pay Matrix
39	Conservator of Forests, Research	Level 13A in the Pay Matrix
40	Conservator of Forests (Territorial) - Chennai, Coimbatore, Dharmapuri, Dindigul, Erode, Madurai, Salem, Tiruchirapalli, Tirunelveli, Vellore, Villupuram, Virudhunagar	Level 13A in the Pay Matrix

**Telangana**

1	Principal Chief Conservator of Forests (Head of the Forest Force)	Level 17 in the Pay Matrix
2	Principal Chief Conservator of Forests	Level 16 in the Pay Matrix
3	Additional Principal Chief Conservator of Forests	Level 15 in the Pay Matrix
4	Chief Conservator of Forests	Level 14 in the Pay Matrix
5	Conservator of Forests	Level 13A in the Pay Matrix

**Tripura**

1	Principal Chief Conservator of Forests, Head of Forest Force	Level 17 in the Pay Matrix
2	Additional Principal Chief Conservator of Forests & CWLW (Wildlife & Eco-Tourism)	Level 15 in the Pay Matrix
3	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Project Formulation, Monitoring & Evaluation)	Level 15 in the Pay Matrix
4	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Administration & Public Relations)	Level 15 in the Pay Matrix
5	Chief Conservator of Forests, (Planning & Development)	Level 14 in the Pay Matrix
6	Chief Conservator of Forests, (WP & Survey)	Level 14 in the Pay Matrix
7	Chief Conservator of Forests, (Research & Training)	Level 14 in the Pay Matrix
8	Chief Conservator of Forests, (Territorial)	Level 14 in the Pay Matrix
9	Chief Conservator of Forests, (Protection & Nodal Officer-FCA)	Level 14 in the Pay Matrix
10	Chief Conservator of Forests (IT & Statistics)	Level 14 in the Pay Matrix
11	Conservator of Forests (Wildlife & Eco-Tourism)	Level 13A in the Pay Matrix
12	Conservator of Forests (Monitoring & Evaluation)	Level 13A in the Pay Matrix

13	Conservator of Forests (Establishment & HRD)	Level 13A in the Pay Matrix
14	Conservator of Forests (Project Formulation & EAP)	Level 13A in the Pay Matrix
15	Conservator of Forests (Territorial Coordination )	Level 13A in the Pay Matrix
16	Conservator of Forests (Vigilance & RTI)	Level 13A in the Pay Matrix

**Uttar Pradesh**

1	Principal Chief Conservator of Forests & Head of Department	Level 17 in the Pay Matrix
2	Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife)/ Chief Wildlife Warden	Level 16 in the Pay Matrix
3	Additional Principal Chief Conservator of Forests, Project	Level 15 in the Pay Matrix
4	Additional Principal Chief Conservator of Forests, Working Plan, Research and Training	Level 15 in the Pay Matrix
5	Additional Principal Chief Conservator of Forests, Planning & Agro Forestry	Level 15 in the Pay Matrix
6	Additional Principal Chief Conservator of Forests, Audit and Non Plan	Level 15 in the Pay Matrix
7	Additional Principal Chief Conservator of Forests, Information Technology	Level 15 in the Pay Matrix
8	Chief Conservator of Forests (Divisional) Lucknow, Kanpur, Gorakhpur, Mirzapur	Level 14 in the Pay Matrix
9	Chief Conservator of Forests (Territorial), Eastern Region Gorakhpur, Southern Region Allahabad, Bundelkhand Region Jhansi, Western Region Meerut, Ruhelkhand Region Bareilly, Central Region Lucknow, Agra Region Agra	Level 14 in the Pay Matrix
10	Chief Conservator of Forests / Director Forest Training Institute Kanpur	Level 14 in the Pay Matrix
11	Chief Conservator of Forests / Director Forest Research Institute Kanpur	Level 14 in the Pay Matrix
12	Chief Conservator of Forests, Administration (Non-Gazetted)	Level 14 in the Pay Matrix
13	Chief Conservator of Forests, Court Cases	Level 14 in the Pay Matrix (Rs. 1,44,200 - 2,18,200)
14	Chief Conservator of Forests, Eco-Development	Level 14 in the Pay Matrix
15	Chief Conservator of Forests. Forest Management	Level 14 in the Pay Matrix
16	Chief Conservator of Forests, Working Plan	Level 14 in the Pay Matrix
17	Chief Conservator of Forests, Policy Analysis & Co-ordination	Level 14 in the Pay Matrix
18	Chief Conservator of Forests, Administration (Gazetted)	Level 14 in the Pay Matrix
19	Chief Conservator of Forests, Monitoring & Evaluation	Level 14 in the Pay Matrix
20	Chief Conservator of Forests, Planning	Level 14 in the Pay Matrix
21	Chief Conservator of Forests, Project	Level 14 in the Pay Matrix
22	Chief Conservator of Forests / Nodal Officer Forest Protection Act, 1980	Level 14 in the Pay Matrix
23	Chief Conservator of Forests / Field Director Dudhwa National Park	Level 14 in the Pay Matrix
24	Chief Conservator of Forests, Human Resource Development	Level 14 in the Pay Matrix
25	Chief Conservator of Forests, Extension & Publicity	Level 14 in the Pay Matrix
26	Chief Conservator of Forests, Wildlife (Eastern) Allahabad	Level 14 in the Pay Matrix
27	Chief Conservator of Forests, Wildlife (Western) Meerut	Level 14 in the Pay Matrix
28	Chief Conservator of Forests, Finance & Account Audit	Level 14 in the Pay Matrix
29	Chief Conservator of Forests, Land Records & Settlement	Level 14 in the Pay Matrix
30	Chief Conservator of Forests / Security & Vigilance	Level 14 in the Pay Matrix
31	Chief Conservator of Forests, CAMPA	Level 14 in the Pay Matrix

32	Conservator of Forests (Territorial) Allahabad, Azamgarh, Basti, Chitrakutdham, Banda, Devipattan, Gonda, Moradabad, Meerut, Saharanpur, Faizabad, Varanasi, Jhansi, Bareilly & Agra	Level 13A in the Pay Matrix
33	Conservator of Forests, (Territorial) Aligarh Circle	Level 13A in the Pay Matrix
34	Conservator of Forests/ Working Plan officer	Level 13A in the Pay Matrix
35	Conservator of Forests, Silviculturist-Kanpur, Bareilly, Varanasi	Level 13A in the Pay Matrix
36	Conservator of Forests/ Director National Zoological Park, Kanpur	Level 13A in the Pay Matrix
37	Conservator of Forests, Monitoring, Vindhya Varanasi	Level 13A in the Pay Matrix
38	Conservator of Forests, Monitoring, Terai Bareilly	Level 13A in the Pay Matrix
39	Conservator of Forests, Monitoring, Plains Kanpur	Level 13A in the Pay Matrix
40	Conservator of Forests, Extinct Project Lucknow	Level 13A in the Pay Matrix

**Uttarakhand**

1	Principal Chief Conservator of Forests, Uttarakhand	Level 17 in the Pay Matrix
2	Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife)	Level 16 in the Pay Matrix
3	Principal Chief Conservator of Forests (Van Panchayat)	Level 16 in the Pay Matrix
4	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Project)	Level 15 in the Pay Matrix
5	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Forests Research, Management Training)	Level 15 in the Pay Matrix
6	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Forest Conservation/Nodal Officer)	Level 15 in the Pay Matrix
7	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Planning & Financial Management)	Level 15 in the Pay Matrix
8	Chief Conservator of Forests (Garhwal)	Level 14 in the Pay Matrix
9	Chief Conservator of Forests (Kumaon)	Level 14 in the Pay Matrix
10	Chief Conservator of Forests (Environment)	Level 14 in the Pay Matrix
11	Chief Conservator of Forests (HRD & Personnel)	Level 14 in the Pay Matrix
12	Chief Conservator of Forests (Eco-tourism)	Level 14 in the Pay Matrix
13	Chief Conservator of Forests (Working Plan)	Level 14 in the Pay Matrix
14	Chief Conservator of Forests (Biodiversity Conservation, Development & Research)	Level 14 in the Pay Matrix
15	Chief Conservator of Forests (Administration)	Level 14 in the Pay Matrix
16	Chief Conservator of Forests (Administration, Wildlife Protection & Intelligence)	Level 14 in the Pay Matrix
17	Chief Conservator of Forests (Monitoring, Evaluations & Audit)	Level 14 in the Pay Matrix
18	Chief Conservator of Forests & Director, Forests Training Academy	Level 14 in the Pay Matrix
19	Chief Conservator of Forests (Livelhood & NTFP)	Level 14 in the Pay Matrix
20	Chief Conservator of Forests (Publicity & Extension)	Level 14 in the Pay Matrix
21	Chief Conservator of Forests (Vigilance & Legal Cell)	Level 14 in the Pay Matrix
22	Conservator of Forests (Shiwalik Circle)	Level 13A in the Pay Matrix
23	Conservator of Forests (Yamuna Circle)	Level 13A in the Pay Matrix
24	Conservator of Forests (Bhagirathi Circle)	Level 13A in the Pay Matrix
25	Conservator of Forests (Garhwal Circle)	Level 13A in the Pay Matrix
26	Conservator of Forests (Western Circle)	Level 13A in the Pay Matrix
27	Conservator of Forests (South Kumaon)	Level 13A in the Pay Matrix
28	Conservator of Forests (North Kumaon Circle)	Level 13A in the Pay Matrix
29	Conservator of Forests & Director, Nanda Devi Biosphere Research	Level 13A in the Pay Matrix
30	Conservator of Forests (Forests Research)	Level 13A in the Pay Matrix
31	Conservator of Forests & Director, Jim Corbett National Park	Level 13A in the Pay Matrix
32	Conservator of Forests & Director, Rajaji National Park	Level 13A in the Pay Matrix
33	Conservator of Forests, Land Survey Directorate	Level 13A in the Pay Matrix

**West Bengal**

1	Principal Chief Conservator of Forests and Head of Forest Force	Level 17 in the Pay Matrix
2	Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife)	Level 16 in the Pay Matrix
3	Principal Chief Conservator of Forests (Research, Monitoring and Development)	Level 16 in the Pay Matrix
4	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife)	Level 15 in the Pay Matrix
5	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Human Resource and Development)	Level 15 in the Pay Matrix
6	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Headquarters and Wasteland Developments)	Level 15 in the Pay Matrix
7	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Finance)	Level 15 in the Pay Matrix
8	Additional Principal Chief Conservator of Forests (North Bengal)	Level 15 in the Pay Matrix
9	Additional Principal Chief Conservator of Forests (CAMPA & Nodal Officer FCA)	Level 15 in the Pay Matrix
10	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Biosphere Reserve)	Level 15 in the Pay Matrix
11	Chief Conservator of Forests (West)	Level 14 in the Pay Matrix
12	Chief Conservator of forests (Monitoring, Evaluation & Soil Conservation)	Level 14 in the Pay Matrix
13	Chief Conservator of Forests (Central)	Level 14 in the Pay Matrix
14	Chief Conservator of Forests Wildlife (North)	Level 14 in the Pay Matrix
15	Chief Conservator of Forests (Research & Development)	Level 14 in the Pay Matrix
16	Chief Conservator of Forests (Conservation & Extension)	Level 14 in the Pay Matrix
17	Chief Conservator of Forests (Finance)	Level 14 in the Pay Matrix
18	Chief Conservator of Forests (Personnel Management Cell)	Level 14 in the Pay Matrix
19	Chief Conservator of Forests (Public Grievance, Law & Information)	Level 14 in the Pay Matrix
20	Chief Conservator of Forests (Gazetted Establishment)	Level 14 in the Pay Matrix
21	Chief Conservator of Forests (Special Development Project)	Level 14 in the Pay Matrix
22	Chief Conservator of Forests (MIS & E.Governance)	Level 14 in the Pay Matrix
23	Chief Conservator of Forests, Northern Circle	Level 14 in the Pay Matrix
24	Chief Conservator of Forests, Hill Circle	Level 14 in the Pay Matrix
25	Chief Conservator of Forests, Western Circle	Level 14 in the Pay Matrix
26	Chief Conservator of Forests, Central Circle	Level 14 in the Pay Matrix
27	Field Director (Buxa Tiger Reserve)	Level 14 in the Pay Matrix
28	Field Director (Sunderban Tiger Reserve)	Level 14 in the Pay Matrix
29	Chief Conservator of Forests, South East Circle	Level 14 in the Pay Matrix
30	Chief Conservator of Forests, South West Circle	Level 14 in the Pay Matrix
31	Conservator of Forests, Wildlife (North) Circle	Level 13A in the Pay Matrix
32	Conservator of Forests, Wildlife (Headquarters) Circle	Level 13A in the Pay Matrix
33	Field Director, SBR	Level 13A in the Pay Matrix
34	Conservator of Forests (North-West) Circle	Level 13A in the Pay Matrix
35	Conservator of Forests (Research) Circle	Level 13A in the Pay Matrix
36	Conservator of Forests (Development Circle)	Level 13A in the Pay Matrix
37	Conservator of Forests ( Working Plan & GIS Circle)	Level 13A in the Pay Matrix
38	Conservator of Forests (Monitoring Cell)	Level 13A in the Pay Matrix
39	Conservator of Forests, Soil Conservation (North Circle)	Level 13A in the Pay Matrix
40	Conservator of Forests, Parks & Gardens	Level 13A in the Pay Matrix
41	Conservator of Forests (South Circle)	Level 13A in the Pay Matrix
42	Conservator of Forests, Administration, Publicity & Marketing Circle	Level 13A in the Pay Matrix

43	Conservator of Forests, Land Affairs & FCA	Level 13A in the Pay Matrix
----	--	-----------------------------

### PART-B

#### Posts carrying pay in the Senior Scale of the Indian Forest Service under the State Governments including posts carrying Special Allowance in addition to pay (as on 01.01.2016)

- (1) The number of posts in the Selection Grade in a State Cadre shall be as per the norms issued by the Central Government for fixation of cadre strength of Indian Forest Service.
- (2) The State Government concerned shall be competent to grant a special allowance for any of the posts specified in this part of the Schedule either individually or with reference to a group or class of such posts.
- (3) The amount of any special allowance which may be sanctioned by the State Government under clause (2) shall be Rs. 400 for posts in the Junior Time Scale, Rs. 600/- for posts in the Time Scale, Rs. 800/- for posts in the Junior Administrative Grade and Rs. 1000/- for posts in the Selection Grade.
- (4) Post in the junior time scale of the Service have not been specified in the Schedule but it shall be within the competence of the State Governments concerned to sanction any special allowance to be attached to such posts.

#### Andhra Pradesh

1	Deputy Conservator of Forests
---	-------------------------------

#### Arunachal Pradesh

1	Deputy Conservator of Forests (territorial namely Namsai, Roing, Jairmpur, Deomali, Banderdewa, Tezu, Pasighat, Bomdila, Along, Hapoli, Tawang)
2	Deputy Conservator of Forests (Social Forestry)
3	Deputy Conservator of Forests (Industries)
4	Deputy Conservator of Forests (Minor Forest Produce / NTFP)
5	Deputy Conservator of Forests (Silviculture)
6	Deputy Conservator of Forests (Wildlife - Naharlagun / Sejusa / Jengging)
7	Deputy Conservator of Forests (Biosphere Reserves & Ecotourism)

#### Goa

1	Deputy Conservator of Forests (Head Quarter)
2	Deputy Conservator of Forests (North)
3	Deputy Conservator of Forests (South)
4	Deputy Conservator of Forests (Working Plan)
5	Deputy Conservator of Forests (Parks, Gardens & Social Forestry)
6	Deputy Conservator of Forests (Research & Training)
7	Deputy Conservator of Forests (Wildlife - South)
8	Deputy Conservator of Forests (Wildlife - North)

#### Mizoram

1	Deputy Conservator of Forests (Aizawl, Champhai, Kolasib, Lunglei, Kwarthah, Darlawn)
2	Deputy Conservator of Forests (Working Plan)
3	Deputy Conservator of Forests (Wildlife)

#### Andaman & Nicobar Administration

1	Deputy Conservator of Forests (Planning & Monitoring)
2	Deputy Conservator of Forests (Mill)
3	Deputy Conservator of Forests (Silviculture)

4	Deputy Conservator of Forests (Working Plan)
5	Deputy Conservator of Forests (Wildlife)
6	Deputy Conservator of Forests (South Andaman, Baratang, Middle Andaman, North Andaman, Mayabunder, Nicobar, Little Andaman)

**Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu**

1	Deputy Conservator of Forests (Territorial)
2	Deputy Conservator of Forests (Wildlife)
3	Deputy Conservator of Forests, Daman & Diu

**Delhi**

1	Deputy Conservator of Forests (North, South, West)
2	Deputy Conservator of Forests (Protection & Monitoring)

**Puducherry**

1	Deputy Conservator of Forests
---	-------------------------------

**Lakshadweep**

1	Deputy Conservator of Forests
---	-------------------------------

**Chandigarh Administration**

1	Deputy Conservator of Forests
2	Deputy Conservator of Forests (Botanical Garden & Nature Reserve)

**Assam**

1	Deputy Conservator of Forests (Territorial)
2	Deputy Conservator of Forests (Wildlife)
3	Deputy Conservator of Forests (Assam State Zoo)
4	Working Plan Officer
5	Forest Utilisation Officer
6	Planning Officer
7	Silviculturist

**Meghalaya**

1	Deputy Conservator of Forests – (Khasi Hills, Jantia Hills, Garo Hills)
2	Deputy Conservator of Forests (Training)
3	Working Plan Officer
4	Planning Officer
5	Silviculturist
6	Director, Balphakram National Park
7	Deputy Conservator of Forests (Wildlife) (East and West Khasi Hills Wildlife Division)
8	Deputy Conservator of Forests (Utilization)
9	Deputy Conservator of Forests (Social Forestry)

**Bihar**

1	Deputy Conservator of Forests, Banka Forest Division, Gaya Forest Division, Munger Forest Division, Rohtas Forest Division, Kaimur Forest Division, Jamui Forest Division, Aurangabad Forest Division, Nawada Forest Division, Mithila Forest Division, Purnea Forest Division, Saran Forest Division, Tirhut Forest Division, Begusarai Forest Division, Patna Forest Division
2	Deputy Director, Tiger Reserve, West Champaran Division,
3	Deputy Director, Tiger Reserve, West Champaran Division II
4	Deputy Conservator of Forests (Working Plan), Patna
5	Director, Sanjay Gandhi Biological Park
6	Deputy Conservator of Forests, Nalanda Forest Division, Bhojpur Forest Division, Gopalganj Forest Division, Araria Forest Division, Research Training & Public Relations Division”

**Chhattisgarh**

1	Deputy Conservators of Forest (Territorial Divisions – Bilaspur, Marwahi, Korba, Raigarh, Katghora, Dharamjaygarh, Janjgir-Champa, Durg, Kawardha, Rajnandgaon, Khairagarh, Bastar, Bijapur, Sukma, Dantewada, Kanker, East Bhanupratappur, West Bhanupratappur, Narayanpur, North Kondagaon, South Kondagaon, Raipur, Dhamtari, Mahasanund, Korea, Jashpur, Manendragarh, Baloda Bazar, Gariaband, Balrampur, Sarguja, Surajpur, Balod, Mungeli
2	Director Kangarghati National Park Jagdalpur
3	Director, Guru Ghashidas National Park Baikunthpur
4	District Forest Officer, Research & Extension Division, Bilaspur
5	District Forest Officer, Research & Extension Division, Jagdalpur
6	Deputy Director, Indravati National Park, Bijapur
7	Deputy Director, Achanakmar Tiger Reserve, Bilaspur
8	Deputy Director, Udanti Sitanadi Tiger Reserve, Raipur
9	Deputy Director, Elephant Reserve, Sarguja

**Gujarat**

1	Sanctuary Superintendent, Sasan
2	Deputy Conservator of Forests, Dangs (South)
3	Deputy Conservator of Forests, Dangs (North)
4	Deputy Conservator of Forests, Valsad (North)
5	Deputy Conservator of Forests, Vyara
6	Deputy Conservator of Forests, Rajpipla (East)
7	Deputy Conservator of Forests, Rajpipla (West)
8	Deputy Conservator of Forests, Godhra
9	Deputy Conservator of Forests, Baria
10	Deputy Conservator of Forests, Sabarkantha (North)
11	Deputy Conservator of Forests, Banaskantha
12	Deputy Conservator of Forests, Bhavnagar
13	Deputy Conservator of Forests, Junagadh
14	Deputy Conservator of Forests, Surendranagar
15	Deputy Conservator of Forests, Kutch (East)
16	Deputy Conservator of Forests, Gir (West)
17	Deputy Conservator of Forests, Gir (East)
18	Deputy Conservator of Forests, SF, Navsari

19	Deputy Conservator of Forests, SF, Surat
20	Deputy Conservator of Forests, SF, Bharuch
21	Deputy Conservator of Forests, SF, Godhra
22	Deputy Conservator of Forests, SF, Nadiad
23	Deputy Conservator of Forests, SF, Ahmedabad
24	Deputy Conservator of Forests, SF, Banaskantha
25	Deputy Conservator of Forests, SF, Mehsana
26	Deputy Conservator of Forests, SF, Sabarkantha
27	Deputy Conservator of Forests, SF, Surendranagar
28	Deputy Conservator of Forests, SF, Rajkot
29	Deputy Conservator of Forests, SF, Jamnagar
30	Deputy Conservator of Forests, SF, Bhavnagar
31	Deputy Conservator of Forests, Valsad (South)
32	Deputy Conservator of Forests, SF, Kutch
33	Deputy Conservator of Forests, Sabarkantha (South)
34	Deputy Conservator of Forests, Administration, Gandhinagar
35	Deputy Conservator of Forests, Anand
36	Principal, Gujarat State Rangers College, Rajpipla
37	Deputy Conservator of Forests, Research, Gandhinagar.

### Haryana

1	Deputy Conservator of Forests (Morni)
2	Deputy Conservator of Forests (Ambala)
3	Deputy Conservator of Forests (Yamuna Nagar)
4	Deputy Conservator of Forests (Kurukshetra)
5	Deputy Conservator of Forests (Kaithal)
6	Deputy Conservator of Forests (Karnal)
7	Deputy Conservator of Forests (Sonipat)
8	Deputy Conservator of Forests (Gurgaon)
9	Deputy Conservator of Forests (Faridabad)
10	Deputy Conservator of Forests (Rohtak)
11	Deputy Conservator of Forests (Mohindergarh)
12	Deputy Conservator of Forests (Bhiwani)
13	Deputy Conservator of Forests (Hisar)
14	Deputy Conservator of Forests (Sirsa)
15	Deputy Conservator of Forests (Jind)
16	Deputy Conservator of Forests (Panipat)
17	Deputy Conservator of Forests (Jhajjar)
18	Deputy Conservator of Forests (Fatehabad)
19	Deputy Conservator of Forests (Rewari)
20	Deputy Conservator of Forests (Production), Yamuna Nagar
21	Deputy Conservator of Forests (Production), Kurukshetra
22	Deputy Conservator of Forests (Production), Karnal
23	Deputy Conservator of Forests (Production), Fatehabad

**Himachal Pradesh**

1	Deputy Conservators of Forest, (Territorial) Lahaul
2	Deputy Conservators of Forest, (Territorial) Bilaspur
3	Deputy Conservators of Forest, (Territorial) Chamba
4	Deputy Conservators of Forest, (Territorial) Dharamshala
5	Deputy Conservators of Forest, (Territorial) Hamirpur
6	Deputy Conservators of Forest, (Territorial) Kullu
7	Deputy Conservators of Forest, (Territorial) Mandi
8	Deputy Conservators of Forest, (Territorial) Nahan
9	Deputy Conservators of Forest, (Territorial) Shimla
10	Deputy Conservators of Forest, (Territorial) Solan
11	Deputy Conservators of Forest, (Territorial) Una
12	Deputy Conservators of Forest, (Territorial) Kinnaur
13	Deputy Conservators of Forest, (Territorial) Paonta
14	Deputy Conservators of Forest, (Territorial) Nalagarh
15	Deputy Conservators of Forest, (Territorial) Nurpur
16	Deputy Conservators of Forest, (Territorial) Dalhousie
17	Deputy Conservators of Forest, (Territorial) Palampur
18	Deputy Conservators of Forest, (Territorial) Rampur
19	Deputy Conservators of Forest, (Territorial) Sundernagar
20	Deputy Conservators of Forest, (Territorial) Chopal
21	Deputy Conservators of Forest, (Territorial) Rohru
22	Deputy Conservators of Forest, (Territorial) Rajgarh
23	Deputy Conservators of Forest, (Territorial) Bharmour
24	Deputy Conservators of Forest, Working Plan
25	Deputy Conservators of Forest, (Wildlife) Shimla
26	Deputy Conservators of Forest, (Wildlife) Sarahan
27	Deputy Conservators of Forest, (Wildlife) Dharamshala
28	Deputy Conservators of Forest, (Headquarter)

**Jammu & Kashmir**

1	Deputy Conservators of Forest (Territorial), Jammu, Kathua, Billawar, Udhampur, Ramnagar, Rajouri, Nowshera, Poonch, Reasi, Mohore, Batote, Doda, Kishtwar, Ramban, Marwah, Bhaderwah, JV Baramulla, Kamraj, Pir Panjal, Kehmal, Langet, Bandipora, Ganderbal, Shopian, Anantnag, Lidder, Leh, Kargil, Jammu (SF), Kathua (SF), Doda (SF), Srinagar (SF), Anantnag (SF), Working Plan-I and Working Plan-II
---	---

**Jharkhand**

1	Deputy Conservators of Forest (Territorial Divisions – Bokaro, Chaibasa North, Chaibasa South, Chatra North, Chatra South, Daltonganj North Division Deoghar, Dhalbhum, Dhanbad, Dumka, Garhwa North, Garhwa South, Giridih Division, Giridih Afforestation Division, Gumla, Hazaribagh East, Hazaribagh West, Koderma, Kolhan, Latehar, Porhat, Ranchi East, Ranchi West, Sahebganj, Saranda, Ramgarh, Jamtara, Godda, Pakur, Simdega and Khunti)
2	Deputy Conservators of Forest, Wildlife Division - Ranchi
3	Deputy Conservators of Forest, Wildlife Division - Hazaribagh
4	Deputy Conservators of Forest and Field Director Project Elephant, Jamshedpur
5	Deputy Conservators of Forest, Buffer Area, Palamau Tiger Reserve

6	Deputy Conservators of Forest, Core Area, Palamau Tiger Reserve
7	Deputy Conservators of Forest, Plan Chaatra Afforestation Division
8	Deputy Conservators of Forest, Plan Ranchi Afforestation Division
9	Deputy Conservators of Forest, Training Ranchi

**Karnataka**

1	Deputy Conservators of Forest (Territorial)
2	Deputy Conservators of Forest (Wildlife)
3	Deputy Conservators of Forest (Head Quarters)
4	Deputy Conservators of Forest (Training)

**Kerala**

1	Deputy Conservator of Forests, Territorial (Thiruvananthapuram, Thenmala, Ranni, Konni, Kottayam, Kothamangalam, Munnar, Malayattur, Chalakkudy, Thrissur, Palakkad, Nilambur (North), Wayanad (North), Punalur and Kannur.
2	Deputy Conservator of Forests & Wildlife Warden (Sulthan Battery & Silent Valley)
3	Deputy Conservator of Forests (Research) North & South
4	Deputy Conservator of Forests (Wildlife)
5	Deputy Conservator of Forests (Administration)
6	Deputy Conservator of Forests (Eco-Development and Tribal Welfare)
7	Deputy Conservator of Forests (Protection)
8	Deputy Director, Parambikulam, Periyar Tiger Reserve (East & West)
9	Deputy Conservator of Forests, (Development)
10	Deputy Conservator of Forests (HRD)
11	Deputy Conservator of Forests (Forest Resources)
12	Deputy Conservator of Forests, Research North Thrissur and South Thiruvananthapuram
13	Director of SFTI, Arippa & Walayar
14	Deputy Conservator of Forests (Working Plan) North, Central & South

**Madhya Pradesh**

1	Deputy Conservator of Forests (Territorial)- Badwaha, Badwani, Burhanpur, Dhar, East Chhindwara, East Mandla, Sidhi, Harda, Khargone, Mandsaur, Morena, Neemuch, North Balaghat, North Betul, North Panna, North Sagar, North Seoni, North Shahdol, South Shahdol, Obedullaganj, Raisen, Rajgarh, Ratlam, Rewa, Sendhava, Sheopur, South Balaghat, South Betul, South Panna, South Sagar, South Seoni, South Chhindwara, Shajapur, Datia, Annuppur, Ashoknagar, Ujjain, West Chhindwara, West Mandla, West Betul, Singruli, Bhind, Hosangabad, Jhabua and Alirajpur.
2.	Deputy Conservator of Forests (Production), Chhindwara, Dindori, Mandala, South Balaghat, Seoni, Bathol, Dewas and Raisen.
3.	Deputy Conservator of Forests (Wildlife/Tiger Reserve), Palpur, Kuno and Nauradehi,
4.	Deputy Conservator of Forests (Delhi Depo), Delhi,
5.	Deputy Conservator of Forests, Ranger's College, Balaghat
6.	Deputy Conservator of Forests, Head Quarters

**Maharashtra**

1	Deputy Director (Forest), Vigilance and Anti Corruption Bureau.
2	Deputy Conservator of Forests (Planning and Management Wildlife)
3	Deputy Conservator of Forests (Wildlife) Nasik
4	Deputy Conservator of Forests (Territorial), Nagpur, Pune, Aurangabad, Thane, Amravati, West Nasik, Nanded, Kolhapur, Wardha, Gondia, Bhandara, Gadchiroli, Chandrapur, Brahmapuri, Wadsa, Allapalli, Bhamragad, Sironcha, Central Chandha, East Melghat, West Melghat, Alibag, Yavatmal, Pusad, Pandharkawada, Buldana, Akola, Dhule, Nandubar, Jalgaon, Yawal, Mewasi, Parbhani East Nasik, Ahmednagar, Shahpur, Dahanu, Roha, Junnar, Solapur, Satara, Sawantwadi and Jawha
5	Deputy Conservator of Forests (Land Records), Eastern Region and Western Region
6	Deputy Conservator of Forests (Evaluation)
7	Deputy Conservator of Forests (Wildlife ) Akot, Allapalli, Gondia, Thane, Sipna, Gugamal (Malghat Tiger Reserve), Aurangabad and Akola

**Manipur**

1	Deputy Conservator of Forests (Divisions) Central, Southern, Northern, Western, Eastern, Tengnoupal, Jiribam, Thoubal, Bishnupur, Senapati
2	Deputy Conservator of Forests (Research, Silvi., & Training)
3	Deputy Conservator of Forests (Park & Sanctuary)
4	Deputy Conservator of Forests (Administration & Planning)
5	Deputy Conservator of Forests (Soil Conservation)
6	Deputy Conservator of Forests (Working Plan)
7	Director, Manipur Zoological Garden

**Nagaland**

1	Deputy Conservator of Forests, (Territorial) Dimapur, Kohima, Mokokchung, Mon, Peren, Phek, Tuensang, Wokha and Zunheboto
2	Deputy Conservator of Forests, Working Plan Officer
3	Deputy Conservator of Forests, Silviculturist
4	Deputy Conservator of Forests, HQ
5	Deputy Conservator of Forests/Director (Zoo)

**Odisha**

1	Deputy Conservator of Forests, Koraput
2	Deputy Conservator of Forests, Rayagada
3	Deputy Conservator of Forests, Jeypore
4	Deputy Conservator of Forests, Malkangiri
5	Deputy Conservator of Forests, Nowrangpur
6	Deputy Conservator of Forests, Palakhemundi
7	Deputy Conservator of Forests, Khariar
8	Deputy Conservator of Forests, Bolangir East
9	Deputy Conservator of Forests, Bolangir West
10	Deputy Conservator of Forests, Sundergarh
11	Deputy Conservator of Forests, Rourkela
12	Deputy Conservator of Forests, Sambalpur (North)
13	Deputy Conservator of Forests, Bargarh

14	Deputy Conservator of Forests, Deogarh
15	Deputy Conservator of Forests, Bonai
16	Deputy Conservator of Forests, Baripada
17	Deputy Conservator of Forests, Sambalpur (South)
18	Deputy Conservator of Forests, Karanjia
19	Deputy Conservator of Forests, Kalahandi (North)
20	Deputy Conservator of Forests, Kalahandi (South)
21	Deputy Conservator of Forests, Rairakhol
22	Deputy Conservator of Forests, Athamalik
23	Deputy Conservator of Forests, Angul
24	Deputy Conservator of Forests, Dhenkanal
25	Deputy Conservator of Forests, Athaganj
26	Deputy Conservator of Forests, Cuttack.
27	Deputy Conservator of Forests, Phulbani
28	Deputy Conservator of Forests, Nayagarh
29	Deputy Conservator of Forests, Khurda
30	Deputy Conservator of Forests, Keonjhar
31	Deputy Conservator of Forests, Baliguda
32	Deputy Conservator of Forests, Ghumsar (South)
33	Deputy Conservator of Forests, Ghumsar (North)
34	Deputy Conservator of Forests, Boudh
35	Deputy Conservator of Forests, Kendu Leaf
36	Deputy Conservator of Forests, Wildlife
37	Deputy Conservator of Forests, Headquarters

### Punjab

1	Deputy Conservator of Forests, Ropar (Territorial)
2	Deputy Conservator of Forests, Hoshiarpur (Territorial)
3	Deputy Conservator of Forests, Dasuya (Territorial)
4	Deputy Conservator of Forests, Ludhiana (Territorial)
5	Deputy Conservator of Forests, Jalandhar (Territorial)
6	Deputy Conservator of Forests, Amritsar (Territorial)
7	Deputy Conservator of Forests, Gurdaspur (Territorial)
8	Deputy Conservator of Forests, Ferozpur (Territorial)
9	Deputy Conservator of Forests, Patiala (Territorial)
10	Deputy Conservator of Forests, Bathinda (Territorial)
11	Deputy Conservator of Forests, Sangrur (Territorial)
12	Deputy Conservator of Forests, (Wildlife) Pathankot
13	Deputy Conservator of Forests, (Wildlife) Hoshiarpur
14	Deputy Conservator of Forests, (Wildlife) Ropar
15	Deputy Conservator of Forests, Nawanshahar (Territorial)
16	Deputy Conservator of Forests, S.A.S Nagar (Territorial)
17	Deputy Conservator of Forests, Muktsar (Territorial)

18	Deputy Conservator of Forests, Pathankot (Territorial)
19	Field Director, Chattbir Zoological Park

### Rajasthan

1	Deputy Conservator of Forests (Territorial), District Head Quarters at Ajmer, Alwar, Baran, Barmer, Banswara, Dungarpur, Bharatpur, Bhilwara, Bikaner, Bundi, Chittorgarh, Churu, Dausa, Dholpur, Hanumangarh, Jaipur, Jaisalmer, Jalore, Jodhpur, Jhalawar, Jhunjhunu, Karauli, Kota, Pali, Nagaur, Pratapgarh, Rajsamand, Sikar, Sirohi, Sri Ganganagar, Swaimadhopur, Tonk and Udaipur
2	Deputy Conservator of Forests (Wildlife), Bharatpur, Jaipur, Ranthambore and Sariska
3	Deputy Conservator of Forests (Harvesting Operation), Bikaner, Suratgarh, and Udaipur
4	Working Plan Officer, Udaipur, Kota, Jaipur and Bikaner

### Sikkim

1	Deputy Conservator of Forests, (Territorial), East, West, North, South
2	Deputy Conservator of Forests, (Wildlife), North East
3	Deputy Conservator of Forests, (Working Plan)
4	Deputy Conservator of Forests, (Soil Conservation)
5	Technical Assistant to the CCF & Deputy Conservator of Forests

### Tamil Nadu

1	Deputy Conservator of Forests & Deputy Director, AAZP
2	Deputy Conservator of Forests, Social Forestry, Madurai
3	Deputy Conservator of Forests, Social Forestry, Tirunelveli
4	Deputy Conservator of Forests, Social Forestry, Trichy
5	Deputy Conservator of Forests, Social Forestry, Vellore
6	Deputy Conservator of Forests, Social Forestry, Virudhunagar
7	Deputy Conservator of Forests- (Territorial) Attur, Coimbatore, Dharmapuri, Dindigul, Erode, Gudalur, Harur, Hosur, Kallakurichi, Kancheepuram, Kanyakumari, Kodaikanal, Madurai, Namakkal, Nilgiris (North), Nilgiris (South), Pudukottai, Salem, Sathyamangalam, Sivagangai, Thanjavur, Theni, Thoothukudi, Tirunelveli, Tirupattur, Tiruvallur, Tiruvannamalai, Trichy, Vellore, Villupuram.
8	Wildlife Warden, Chennai
9	Wildlife Warden, Nagai
10	Wildlife Warden, Ramanathapuram

### Telangana

1	Duputy Conservator of Forests
---	-------------------------------

### Tripura

1	Deputy Conservator of Forests (Head Quarters)
2	Deputy Conservator of Forests (EAP)
3	Deputy Conservator of Forests (Director of National Park)
4	Deputy Conservator of Forests (Forest Utilization)
5	Deputy Conservator of Forests (Working Plan Division)
6	Deputy Conservator of Forests (Research Division)
7	Deputy Conservator of Forests (Training Division )
8	Deputy Conservator of Forests (Planning & Development)
9	Deputy Conservator of Forests (Protection & FCA)

10	Deputy Conservator of Forests (IT & Statistics)
11	Deputy Conservator of Forests (District Forest Officer, North District)
12	Deputy Conservator of Forests (District Forest Officer, Dhalai District)
13	Deputy Conservator of Forests (District Forest Officer, West District)
14	Deputy Conservator of Forests (District Forest Officer, South District)
15	Deputy Conservator of Forests (Additional District Forest Officer, Dhalai District)
16	Deputy Conservator of Forests (Additional District Forest Officer, North District)
17	Deputy Conservator of Forests (Additional District Forest Officer, West District)
18	Deputy Conservator of Forests (Additional District Forest Officer, South District)
19	Deputy Conservator of Forests (NTFP i/c Medicinal Plants)

#### **Uttar Pradesh**

1	Deputy Conservator of Forests (Territorial)- Agra, Aligarh, Allahabad, Lucknow, Azamgarh, Ambedkarnagar, Badaun, Behraich, Balia, Banda, Barabanki, Bareilly, Basti, Bijnore, Bulandshaher, Jhansi, Chitrakoot, Deoria, Etah, Etawah, Faizabad, Farrukhabad, Fatehpur, Firozabad, Gaziabad, Gazipur, Gonda, Gorakhpur, Hamirpur, Hardoi, Jaunpur, Kanpur, Lalitpur, Mainpuri, Mathura, Meerut, Mirzapur, Moradabad, Muzaffarnagar, Mahoba, North Kheri, South Kheri, Obra, Social Forestry Division, Pilibhit, Padraund (Kushinagar), Pratapgarh, Raibareilly, Rampur, Renukoot, Saharanpur, Shahjanpur, Oria (Jalaun), Sitapur, Sonbhadra, Sultanpur, Shivalik, Unnao, Varanasi, Kashi Wildlife, Katarniaghata, Wildlife Behraich, Sohelwa Wildlife, Sohagbarwa Wildlife, Shravasti, Sidharthanagar, Gautambudhnagar (Noida)
2	Deputy Conservator of Forests to Principal Chef Conservator of Forests, Lucknow

#### **Uttarakhand**

1	Deputy Conservator of Forests (Territorial) Bageshwar, Almora, Pithoragarh, Champawat, Tarai Central, Tarai West, Haldwani, Tarai East, Dehradun, Tehri, Uttarkashi, Mussoorie, Nainital, Ramnagar, Chakrata, Badrinath, Kedarnath, Garhwal, Lansdowne, Narendranagar, Haridwar, Tons, Kalagarh and Rudraprayag
2	Working Plan Officer-1, Nainital
3	Working plan Officer-2, Nainital
4	Deputy Conservator of Forests (Research)
5	Deputy Conservator of Forests, Rajaji National Park
6	Deputy Conservator of Forests, Corbett Tiger Reserve
7	Deputy Conservator of Forests & Deputy Director, Training Academy
8	Deputy Conservator of Forests, Nanda Devi Biosphere Reserve
9	Deputy Conservator of Forests (Monitoring & Evaluation)
10	Deputy Conservator of Forests (Information Technology & Modernization)

#### **West Bengal**

1	Divisional Forest Officer, Baikunthapur Division
2	Divisional Forest Officer, Bankura (North) Division
3	Divisional Forest Officer, Bankura (South) Division
4	Divisional Forest Officer, Birbhum Division
5	Divisional Forest Officer, Burdwan Division
6	Divisional Forest Officer, Darjeeling Division
7	Divisional Forest Officer, Jalpaiguri Division
8	Divisional Forest Officer, Kurseong Division
9	Divisional Forest Officer, Malda Division
10	Divisional Forest Officer, Midnapur Division

11	Divisional Forest Officer, Jhargram Division
12	Divisional Forest Officer, Nandia Murshidabad Division
13	Divisional Forest Officer, 24-Parganas (South) division
14	Divisional Forest Officer, Purulia (North) Division
15	Divisional Forest Officer, Kansabati (North) Division
16	Divisional Forest Officer, Kurseong Soil Conservation Division
17	Divisional Forest Officer, Kalimpong Soil Conservation Division
18	Divisional Forest Officer, Working Plan (North) Division
19	Divisional Forest Officer, Silviculture (South) Division
20	Divisional Forest Officer, Silviculture (North) Division
21	Divisional Forest Officer, Silviculture Hill Division
22	Divisional Forest Officer, Monitoring (North) Division
23	Divisional Forest Officer, Monitoring (South) Division
24	Divisional Forest Officer, Planning Division
25	Divisional Forest Officer, Statistics Division
26	Assistant Chief Conservator of Forests
27	Divisional Forest Officer, Wildlife Headquarters Division
28	Divisional Forest Officer, Wildlife-I Division
29	Divisional Forest Officer, Wildlife-II Division
30	Divisional Forest Officer, Wildlife-III Division
31	Deputy Field Director, Buxa Tiger Reserve (East)
32	Deputy Field Director, Buxa Tiger Reserve (West)
33	Deputy Field Director, Suburban Tiger Reserve
34	Director (West Bengal Forest School)
35	Divisional Forest Officer, Urban & Recreational Forestry Division

**PART-C****Posts under the Central Government when held by member of the Service.****TABLE**

Name of Post	Scale of Pay	Central (Deputation on Tenure) Allowance
(1)	(2)	(3)
Secretary to the Government of India/ Special Secretary to the Government of India	Level 17 in the Pay Matrix	---
Additional Secretary to the Government of and India	Level 15 in the Pay Matrix	---
Joint Secretary to the Government of India	Level 14 in the Pay Matrix	---
Director to the Government of India	Level 13 in the Pay Matrix	Fifteen percent of the basic pay subject to the maximum of rupees one thousand per mensem.*

Deputy Secretary to the Government of India	Selection Grade: Level 13 in the Pay Matrix OR Junior Administrative Grade: Level 12 in the Pay Matrix	Fifteen percent of the basic pay subject to the maximum of rupees one thousand per mensem.* and further subject to the condition that pay plus Central (Deputation on Tenure) Allowance shall not exceed the maximum of the scale.
Under Secretary to the Government of India	Junior Administrative Grade: Level 12 in the Pay Matrix Or Senior Time Scale Level 11 in the Pay Matrix	Fifteen percent of the basic pay subject to the maximum of rupees eight hundred per mensem * further subject to the condition that pay plus Central (Deputation on Tenure) Allowance shall not exceed the maximum of the scale.

\*Till a final decision on CDTA is taken by the Committee constituted for the said purpose, CDTA will continue to be paid at existing rates in existing pay structure, as if the pay had not been revised w.e.f 1<sup>st</sup> day of January, 2016.

**Note.-** The Central (Deputation on Tenure) Allowance specified in this rule shall be paid to member of the Service for the period of deputation approved by the competent authority.

### SCHEDULE - III

#### Pay Matrix (w.e.f 01.01.2016)

Pay Band	15600-39100			37400-67000	37400-67000		67000-79000	75500-80000	80000
Grade	5400	6600 (STS)	7600 (JAG)	8700 (Selection Grade)	8900	10000	-	-	-
Level	10	11	12	13	13A	14	15	16	17
1	56100	67700	78800	118500	131100	144200	182200	205400	225000
2	57800	69700	81200	122100	135000	148500	187700	211600	
3	59500	71800	83600	125800	139100	153000	193300	217900	
4	61300	74000	86100	129600	143300	157600	199100	224400	
5	63100	76200	88700	133500	147600	162300	205100		
6	65000	78500	91400	137500	152000	167200	211300		
7	67000	80900	94100	141600	156600	172200	217600		
8	69000	83300	96900	145800	161300	177400	224100		
9	71100	85800	99800	150200	166100	182700			
10	73200	88400	102800	154700	171100	188200			
11	75400	91100	105900	159300	176200	193800			
12	77700	93800	109100	164100	181500	199600			
13	80000	96600	112400	169000	186900	205600			
14	82400	99500	115800	174100	192500	211800			
15	84900	102500	119300	179300	198300	218200			
16	87400	105600	122900	184700	204200				
17	90000	108800	126600	190200	210300				
18	92700	112100	130400	195900	216600				
19	95500	115500	134300	201800					
20	98400	119000	138300	207900					
21	101400	122600	142400	214100					
22	104400	126300	146700						
23	107500	130100	151100						
24	110700	134000	155600						
25	114000	138000	160300						
26	117400	142100	165100						
27	120900	146400	170100						
28	124500	150800	175200						
29	128200	155300	180500						
30	132000	160000	185900						

31	136000	164800	191500						
32	140100	169700	197200						
33	144300	174800	203100						
34	148600	180000	209200						
35	153100	185400							
36	157700	191000							
37	162400	196700							
38	167300	202600							
39	172300	208700							
40	177500								

**FORM OF OPTION**

[See rule 6]

\*1 I, \_\_\_\_\_ hereby elect the revised pay structure with effect from 1<sup>st</sup> January, 2016.

\*2. I \_\_\_\_\_ hereby elect to continue on Pay Band and Grade Pay on my substantive/officiating post mentioned below until.

\* the date of my next increment/the date of my subsequent increment raising my pay to Rs. \_\_\_\_\_ / I vacate or cease to draw pay in the existing pay structure/the date of my promotion/upgradation to the post of \_\_\_\_\_.

Existing Pay Band and Grade Pay \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Designation \_\_\_\_\_

Office in which employed \_\_\_\_\_

\* To be scored out, if not applicable.

**UNDERTAKING**

I hereby undertake that in the event of my pay having been fixed in a manner contrary to the provisions contained in these Rules, as detected subsequently, any excess payment so made shall be refunded by me to the Government either by adjustment against future payments due to me or otherwise.

Signature \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Designation \_\_\_\_\_

Date:

Place:

**Proforma - A****PROFORMA REGARDING FIXATION OF PAY OF STATE FOREST SERVICE OFFICERS APPOINTED TO OFFICIATE IN INDIAN FOREST SERVICE CADRE POSTS OR APPOINTED TO INDIAN FOREST SERVICE**

1. Name of the officer :
2. Date of appointment to Indian Forest Service/ appointment to officiate in a Cadre post :
3. Designation of the post held immediately prior to such appointment in Indian Forest Service :
4. Pay scale and pay drawn in the State Forest Service on the date of appointment to Indian Forest Service or to officiate in a cadre post.
5. Was the officer substantive or officiating in the post mentioned in serial number 3 :
6. If officiating, for less than three years, what was the substantive post :
7. Pay and pay scale of the substantive post or of the post in which he was officiating for a period of three years or more, continuously and after following the prescribed procedure :
8. Details of all the posts held by the officer before his appointment in the Service, pay scales and pay drawn in these posts :
9. Were the pay scales referred to in serial number 4 and 7 in force from 1.1.2016 :
10. If so, what was the Dearness Allowance admissible with reference to
  - (a) Substantive post :
  - (b) Officiating post :

(at the rate of Dearness Allowance in force on 1.1.2016 and not with reference to the Dearness Allowance rates in force on the date of appointment to Indian Forest Service/appointment to officiate in Indian Forest Service).
11. If the answer to serial number 9 is 'NO', when was the pay scale revised for the first time after 1.1.2006 and what were the pre-revised scale for the post referred to in serial number 7.
12. What was the quantum of Dearness Allowance/Dearness Pay/Interim relief sanctioned after 1.1.2016 and merged in the scale for the post referred to in serial number 7.
13. Number of completed years of service in Class I or Group 'A' of State Forest Service.
14. Proposal of the State Government for fixation of pay and basis thereof.

**EXPLANATORY MEMORANDUM**

The Central Government has decided to implement the recommendations made by the Sixth Central Pay Commission with the modification approved by the Seventh Central Pay Commission with modification approved by the Government as contained in Government of India Resolution No. 1-2/2016-IC dated the 25<sup>th</sup> July, 2016 relating to revision of pay scales in respect of the All India Services with effect from 1<sup>st</sup> January, 2016. With a view to implement those recommendations, the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2007 are being amended accordingly with effect from 1<sup>st</sup> January, 2016.

It is certified that no member of the Indian Forest Service is likely to be adversely affected by giving retrospective effect to these rules.

[F. No. 14021/5/2016-AIS-II]

KAVITHA. V. PADMANABHAN, Dy. Secy.